

- वर्ष 26 • अंक 3-4
- अप्रैल-सितंबर 2014



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल



कंपनी अधिनियम,
2013



अनर्जक आस्तियां



- अनर्जक आस्तियों की वसूली - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की भूमिका
- अस्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति के खाते
- बैंकों में कुशल नेतृत्व (लीडरशिप) की अवधारणा
- भारतीय महिला बैंक - अवसर और चुनौतियां
- कंपनी अधिनियम, 2013 - कॉर्पोरेट रुग्णता दूर करने के व्यापक उपाय



सदस्य



बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय सूची

● संपादक मंडल		1
● संपादकीय		2
● अनुचिंतन		4
● भाषण		5
● कंपनी अधिनियम, 2013 – कॉरपोरेट रुग्णता दूर करने के व्यापक उपाय	राजेन्द्र सिंह	12
● अनर्जक आस्तियों की वसूली – आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की भूमिका	डॉ. रमाकांत शर्मा	18
● बैंकिंग उत्पादों का दुर्विक्रय एवं ग्राहक शोषण	विजय प्रकाश श्रीवास्तव	24
● भारतीय महिला बैंक – अवसर और चुनौतियां	निधि चौधरी	27
● सूचना प्रौद्योगिकी का बैंकों की कार्यदक्षता पर प्रभाव – एक विश्लेषण व केस स्टडी	डॉ. रामजस यादव	32
● ऑटोमेटेड डेटा फ्लो (एडीएफ) – आज की प्रासंगिकता	ध्रुव मुखर्जी	38
● लाभप्रदता – बैंकों के लिए एक चुनौती	विद्या भूषण मल्होत्रा	44
● अस्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति के खाते	डी.के. जैन	48
● बैंकों में कुशल नेतृत्व (लीडरशिप) की अवधारणा	संतोष श्रीवास्तव	50
● इतिहास के पन्नों से	सावित्री सिंह	53
● पुस्तक समीक्षा	छाया राजे	57
● घूमता आईना	के.सी. मालपानी	59
● लेखकों से		64

संपादक-मंडल



प्रबंध संपादक

डॉ. रमाकांत गुप्ता
महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

सावित्री सिंह
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

एच. पंढरीनाथ
सहायक प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
गारमेट हाउस, वरली, मुंबई - 400 018

सदस्य

डॉ. ए.आर. जोशी
परामर्शदाता, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

ब्रिज राज
संकाय सदस्य एवं उप महाप्रबंधक
रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै

श्री जनमेजय पट्टनायक
उप महाप्रबंधक एवं प्रधानाचार्य
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
एसपीबीटी कॉलेज, मुंबई

श्री एच.एन. सक्सेना
उप महाप्रबंधक एवं प्रधानाचार्य
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, बंगलुरु

एम.वी. अशोकन
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. अजित कुमार
संकाय सदस्य एवं सहायक महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

डॉ. जवाहर कर्णावित
सहायक महाप्रबंधक
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो।
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

डॉ. रमाकांत गुप्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, गारमेट हाउस, वरली, मुंबई-400 018 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा
इंडिया प्रिंटिंग वर्क्स, मुंबई में मुद्रित।

इंटरनेट <http://www.rbi.org.in/hindi> पर भी उपलब्ध। E-mail : rajbhashaco@rbi.org.in फोन 2494 8263 फैक्स 2498 2077

संपादकीय....

प्रिय पाठको,

अहन्यहन्यात्मन एव तावज्जातुं प्रमादस्खलितं न शक्यम्।
प्रजासु कः केन पथा प्रयातीत्यशेषतो वेदितुमस्ति शक्तिः॥
- महाकवि कालिदास, अभिज्ञानशाकुन्तलम्



चिंतन

अर्थात् हम प्रमाद के कारण स्वयं रोज-रोज जो त्रुटियां करते हैं उन त्रुटियों को भी पूरी तरह से जानना संभव नहीं है। फिर प्रजा के अंदर कौन किस राह पर चल रहा है, इस बात को पूरी तरह से जानना कैसे संभव है?

यदि हम 'प्रजा' के स्थान पर 'बैंकों से उधार लेनेवालों' को रखकर देखें तो आज के संदर्भ में भी यह बड़ा ही सुसंगत प्रश्न है। उधार लेते समय ग्राहक बड़ा ही ईमानदार दिखाई देता है पर क्या पता उधार लेने के बाद उसकी क्या नीयत हो और वह किस रास्ते पर चलने लगे। बैंकों के ऋण के इरादतन चूककर्ता लोग इसी श्रेणी में आते हैं। कर्ज लेते समय वे बड़े सब्जबाग दिखाते हैं - लगता ही नहीं है कि इस कर्ज में कोई जोखिम है, पर कर्ज लेने के कुछ दिन बाद वे कर्ज देने वाले बैंकर को पहचानते तक नहीं हैं उनके ऊपर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो - किस्त देना तो दूर, लगता है कि जैसे घर का खर्च चलाना तक मुश्किल हो गया हो। पैसे डूबने का, एनपीए होने का एक प्रमुख कारण है बदनीयत। किसकी नीयत कब बदल जाए, यह जानना कैसे संभव है?

इरादतन चूककर्ताओं के मामले में अब काफी कड़ाई हो रही है ताकि एनपीए की समस्या से निपटा जा सके। इसीलिए हमने इस अंक से रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों के लेख देने की जो परंपरा शुरू की है, उसका श्रीगणेश उप गवर्नर महोदय के एनपीए संबंधी लेख के हिंदी अनुवाद से किया गया है। हमने कोशिश की है कि अनुवाद भी मूल जैसा लगे। हम अपने प्रयास में कितने सफल रहे हैं, यह हमें आपकी अनुक्रिया मिलने पर पता चलेगा। सरफेसी अधिनियम, 2002 में तो कर्ज की वसूली के लिए प्रावधान था ही, कंपनी अधिनियम, 2013 में भी इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं, जिसके बारे में पाठकों को रू-ब-रू कराया है श्री राजेंद्र सिंह ने "कंपनी अधिनियम, 2013 - कॉरपोरेट रुग्णता दूर करने के व्यापक उपाय" नामक अपने लेख में। इसी विषय पर एक और लेख है - डॉ. रमाकांत शर्मा का, जिसमें अनर्जक आस्तियों की वसूली में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की भूमिका स्पष्ट की गई है। इसी समस्या से संबंधित एक और लेख श्री विद्या भूषण मल्होत्रा का है। इस प्रकार यह अंक पाठकों की अनर्जक आस्तियों संबंधी ज्ञान-पिपासा को शांत करने में एक अहम भूमिका अदा करेगा।

जहां इरादतन चूककर्ता ग्राहकों से बैंकों को परेशानी हो रही है, वहीं इरादतन अवांछित प्रोडक्ट बेचने वाले बैंकों से ग्राहक भी परेशान हैं और इस समस्या पर प्रकाश डाला है बैंक ऑफ इंडिया के संकाय-सदस्य श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव ने अपने लेख "बैंकिंग उत्पादों का दुर्विक्रय एवं ग्राहक शोषण" में।

हमारे पूर्वजों ने कहा है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता" और यह सपना काफी सीमा तक पूरा हुआ है महिला बैंक की स्थापना से। इस नवीनतम बैंकिंग संस्था से आपका परिचय कराया है - महाराष्ट्र की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रीमती निधि चौधरी ने अपने लेख "भारतीय महिला बैंक - अवसर और चुनौतियां" में।

सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध सूचना प्रणाली के बिना आधुनिक बैंकिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन ज्वलंत विषयों पर एक एक लेख शामिल करने के साथ-साथ अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति अपने बैंक खातों का परिचालन किस प्रकार कर सकते हैं, उस पर भी एक लेख शामिल किया गया है।

साथ ही, पत्रिका की कार्यकारी संपादक श्रीमती सावित्री सिंह ने 'इतिहास के पन्नों से' में आपका परिचय कराया है स्वर्गीय श्री ए.बी. शेटी और अन्य उद्यमशील किसानों द्वारा स्थापित एवं 23 अक्टूबर 1931 को कर्नाटक राज्य के मंगलूर शहर से यात्रा शुरू कर पूरे भारत में डेढ़ हजार से अधिक शाखाएं खोलकर समूचे देश में बैंकिंग सेवाएं देने वाले बैंक "विजया बैंक" से तथा देश-दुनिया की नवीनतम आर्थिक-वित्तीय गतिविधियों को संक्षेप में उजागर किया है - श्री के.सी. मालपानी ने अपने लेख 'धूमता आईना' में।

अनुचिंतन

जहां तक भाषा का प्रश्न है, भाषा मूलतः विचार-विनिमय के लिए, संप्रेषण के लिए होती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए भाषण में प्रधान मंत्री जी की यह बात सबसे अच्छी लगी कि सरकारी कर्मचारी आज "सर्विस" नहीं बल्कि "जॉब" करने लगे हैं। जब तक सरकारी कर्मचारियों में सेवा की भावना नहीं आएगी, जब तक वे यह नहीं सोचेंगे कि हमने अपने काम से कितनों का भला किया, तब तक देश में उनका योगदान शून्य होगा और यह बात राजभाषा अधिकारियों पर भी उतनी ही लागू होती है। मेरी राय में हिंदी भाषा में संप्रेषणीयता का गुण लाना, ताकि लिखने वाला जो कहना चाहता है पढ़नेवाला उसे उसी रूप में समझ सके, राजभाषा अधिकारियों का प्रथम दायित्व है। हिंदी में बहुत कुछ रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है परन्तु उसे पढ़ा नहीं जा रहा है क्योंकि उसमें संप्रेषणीयता का अभाव है। अतः इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। राजभाषा अधिकारियों का योगदान हिंदी पत्रादि की संख्या से नहीं अपितु इस बात से आंका जाना चाहिए कि जो पत्रादि हिंदी में जारी किए गए उनसे संप्रेषणगत अंतराल कितना दूर हुआ। पत्रादि उन्हें हिंदी में जाना चाहिए जिन्हें उसकी ज़रूरत है और वह ऐसी हिंदी में लिखा हुआ हो जिसे पत्रादि पाने वाला समझ सके, अन्यथा अनुवाद पर किया गया व्यय निरर्थक है।

पिछले अंक के बारे में पाठकों ने खुलकर अपनी राय दी और उससे हमारा उत्साह बढ़ा। हम ऐसे सभी उत्साह-वर्धक पाठकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। पत्रिका के पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे इस अंक के प्रति भी अपनी अनुक्रिया और बहुमूल्य सुझाव ramakantgupta@rbi.org.in अथवा rajbhashaco@rbi.org.in नामक ई-मेल पत्तों पर अथवा डाक से अवश्य प्रेषित करें, ताकि हम इस पत्रिका को उनकी ज़रूरतों के अधिक अनुकूल बना सकें। अगला अंक बीते कल, वर्तमान और भविष्य की बैंकिंग के अलग-अलग पहलुओं पर आधारित विशेषांक होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि बैंकिंग के अलग-अलग पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करने की इच्छा रखने वाले पाठकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में हम अवश्य सफल होंगे।



(डॉ. रमाकांत गुप्ता)
महाप्रबंधक

अ | नु | चि | त | न

आपके बैंक की तिमाही पत्रिका 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' के जनवरी - मार्च 2014 अंक की प्रति प्राप्त हुई। यह पत्रिका पूर्ण रूप से सुसज्जित एवं आकर्षक है तथा इसमें प्रकाशित रचनाएं रोचक तथा ज्ञानवर्धक लगीं। 'दुर्विक्रय' लेख में डॉ. रमाकांत गुप्ता ने पारंपरिक बीमा योजना और एन. पी. एस. की विशेषताओं को समझाते हुए निवेशकों के नुकसान और प्रोडक्ट बेचने वाली संस्था के फायदे के माध्यम पर अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। श्री राजेंद्र सिंह द्वारा लिखित लेख 'ऋण सूचना ब्यूरो - चुनौतियां एवं समाधान' में ऋण ब्यूरो से लाभ और भारतीय रिज़र्व बैंक की पहल संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। श्री कुमार परिमलेन्दु सिन्हा के लेख 'वित्तीय स्थिरता और आर्थिक संवृद्धि' काफी ज्ञानवर्धक है। सर्वज्ञ शेखर गुप्ता द्वारा लिखित लेख 'वित्तीय शिक्षण - वर्तमान परिदृश्य' में वित्तीय शिक्षा के प्रसार में नियामकों की भूमिका, स्कूल पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा संबंधी जो जानकारी पेश की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में यह पत्रिका 'गागर में सागर' उक्ति को परिभाषित करती है। भविष्य में भी हम आपसे इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक पत्रिका की प्राप्ति की अपेक्षा करते हैं।

● आर.सी. नारायण

महाप्रबंधक
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अक्टूबर-दिसंबर 2013 का ग्राहक सेवा विशेषांक प्राप्त हुआ। यह अंक अत्यंत सूचनाप्रद एवं उपयोगी है। पत्रिका में दिए लेखों में ग्राहक सेवा के सभी पक्षों का समुचित विवेचन किया गया है तथा कोई भी पहलू अछूता नहीं रहा। इस अंक से ग्राहक सेवा के सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों पक्षों की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। इस अंक के सभी लेख सूचनाप्रद हैं विशेष रूप से 'ग्राहक सेवा-सिद्धांत एवं संप्रेषण', 'ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण', 'बैंकिंग प्रतिबद्धता कोड : एक समीक्षापरक

अवलोकन', 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 - प्रावधान, उपचार एवं लाचारगी', 'बैंकिंग के बदलते परिवेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं ग्राहक अपेक्षाएं' आदि लेखों में विषय का सम्यक् एवं गहन विश्लेषण किया गया है। पत्रिका की साज सज्जा एवं प्रकाशन उच्च कोटि का है जिसके लिए संपादक मंडल बधाई का पात्र है। निश्चय ही यह एक संग्रहणीय अंक है।

● एस.पी. चुघ

प्रादेशिक अध्यक्ष
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
प्रादेशिक कार्यालय, हैदराबाद

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अक्टूबर-दिसंबर 2013 - 'ग्राहक सेवा विशेषांक' प्राप्त हुआ। आज के प्रतिस्पर्धी बैंकिंग जगत में, विशेषकर हमारे भारतीय बैंकिंग परिवेश में ग्राहक सेवा अत्यंत समीचीन एवं चिंतन करने का विषय है। प्रासंगिक विषय का चयन करने के लिए आप सभी को साधुवाद। पत्रिका में संपादकीय से लेकर समस्त लेख, उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए समस्त बैंक कर्मियों को जागृत करते हैं। साथ-साथ, समस्त दिशा-निर्देशों को बखूबी बयां करते हैं। मेरा मानना है कि यह अंक निश्चित तौर पर भारतीय बैंकिंग जगत में ग्राहक सेवा को उन्नत करने में प्रेरक की भूमिका निभाएगा। यह अंक न सिर्फ हमारे बैंक बल्कि अन्य बैंकों में भी स्थापित ग्राहक सेवा अनुभागों/विभागों में सुरक्षित रखकर संदर्भ पुस्तिका के रूप में उपयोगी होगा।

'धूमता आईना' अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक है। पत्रिका में भाषा की शुद्धता, विचारों की स्पष्टता और सादगी दिल को छूती है। संपादक मंडल, लेखकों ने पत्रिका को सार्थक रूप दिया। सभी को बधाई।

● सुलेखा मोहन

उप महाप्रबंधक
केनरा बैंक, बंगलुरु

बैंकों में एनपीए का बढ़ता स्तर : रेटिंग दायित्व की प्रभावशीलता एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पारदर्शिता

सर्वप्रथम मैं एसोचैम को इस संगोष्ठी के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूँ, जहां एनपीए और क्रेडिट रेटिंग के ज्वलंत व चुनौतीपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श करने हेतु बैंकिंग और रेटिंग उद्योग के विशेषज्ञों को बुलाया गया है। ऐसे मुद्दे पर गहन चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इसका अभी तक कोई आसान हल नहीं मिला है और ऐसा कोई सरल उपाय मिल गया होता तो हम उस स्थिति में नहीं होते जहां आज हैं। एक मायने में तो पिछले तीन वर्षों ने हमें सचेत किया है, जब आर्थिक गतिविधि में सुस्ती आई थी तथा हमारे क्रेडिट मूल्यांकन व निगरानी प्रणाली की खामियां नज़र आईं। हमें इस स्थिति से निपटने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन और इस जोखिम को कम करने के लिए उसकी बारीकियों को जानने के साथ ही उद्योग जगत के विशेषज्ञों के विविधतापूर्ण अभिमतों व अनुभवों को जानने का अवसर मिला है।

आस्ति गुणवत्ता

चूंकि यह सम्मेलन भारतीय बैंकों में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के बढ़ते स्तर के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, अतः मैं एनपीए से जुड़े कुछ आंकड़ों के साथ-साथ शुरुआत करना चाहूंगा ताकि समस्या को सही तरीके से समझा जा सके।

नब्बे के दशक के मध्य से विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों को अमल में लाने की वजह से 2008 से पहले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में दीर्घकालीन आधार पर सुधार हो रहा था। जीएनपीए अनुपात में भारी गिरावट दर्ज हुई, जो मार्च 2001 के अंत के 12.0 प्रतिशत से घटकर मार्च 2006 के अंत में 3.5 प्रतिशत पर पहुंच गया और यह

स्तर मार्च 2011 तक बना रहा। किंतु उसके बाद से बैंकों के एनपीए में बढ़ोतरी होती रही है; दिसंबर 2013 के अंत की स्थिति के अनुसार देशी बैंकिंग प्रणाली के सकल अग्रिमों में सकल एनपीए का हिस्सा 4.40 प्रतिशत था। मार्च 2014 का अंतिम आंकड़ा अभी ज्ञात नहीं हुआ है; यद्यपि कुछ लोगों को दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश की आर्थिक परिस्थितियों में यह अनुपात वाजिब लग सकता है, तथापि दिसंबर 2013 की स्थिति के अनुसार बैंकों के सकल अग्रिमों में बैंकिंग प्रणाली की कुल दबावग्रस्त आस्तियों (जिसमें एनपीए और पुनर्चित मानक आस्तियां शामिल हैं) का हिस्सा 10.13 प्रतिशत था जो रिज़र्व बैंक के लिए चिंता का कारण है।

एनपीए क्यों बढ़ रहा है ?

बढ़ता एनपीए बैंकिंग उद्योग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सुस्त अर्थव्यवस्था में एनपीए का बढ़ना लाजिमी है। आर्थिक कमज़ोरियों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2012 से बैंकों के एनपीए का स्तर बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में एनपीए में बढ़ोतरी प्रखर रही है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्ति गुणवत्ता को कई कारक प्रभावित करते हैं जैसे वैश्विक और देशी अर्थव्यवस्था में छाई मंदी, दीर्घकालीन नीतिगत अड़चनें, विभिन्न परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया में देरी, उच्च संवृद्धि के दौर में कंपनियों का अंधाधुंध विस्तार आदि। तथापि, आर्थिक मंदी के साथ ही बैंकों के ऋण मूल्यांकन, संवितरण व वसूली व्यवस्था में मौजूद कमज़ोरियों को बैंकों के उच्च एनपीए के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आवेदनों के सुदृढ़ सत्यापन व

(एसोचैम के तत्वावधान में ली-मेरिडियन, नई दिल्ली में 31 मई 2014 को आयोजित सम्मेलन में श्री रा. गांधी, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण)

अनुवादकर्ता - श्री पंढरीनाथ, सहायक प्रबंधक, राजभाषा विभाग

छानबीन की प्रक्रिया की कमी, ऋण संवितरण के बाद पर्यवेक्षण के अभाव और वसूली प्रक्रिया में कमज़ोरियों के कारण इन बैंकों की आस्ति गुणवत्ता और बिगड़ गई।

क्रेडिट रेटिंग और आस्ति गुणवत्ता

आइए अब हम बैंकों की क्रेडिट रेटिंग और आस्ति-गुणवत्ता के बीच के संबंध पर चर्चा करें। क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा बताई गई ऐसी दूरदर्शी राय होती है जिससे यह पता चलता है कि उधारकर्ता संपूर्ण देय राशि की चुकौती नियत समय पर करने की क्षमता और इच्छा रखता है या नहीं। स्पष्टतया क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा की गई परिस्थिति विशेष में उसकी ऋण-पात्रता के मूल्यांकन पर आधारित होती है। क्रेडिट रेटिंग के माध्यम से विशिष्ट क्रेडिट सुविधा या एक विशिष्ट प्रतिभूति से संबद्ध क्रेडिट जोखिम का भी पता चल सकता है।

क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले क्रेडिट स्कोर से किस प्रकार भिन्न होती है? क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोर दोनों ही ऋण जोखिम के मापक होते हैं जो उधारकर्ता के चूक करने की अलग-अलग संभावनाओं के स्तर को दर्शाते हैं। किंतु इन दोनों का ऋण जोखिम के मापन का तरीका अलग-अलग है। जहां क्रेडिट रेटिंग ऋण जोखिम का पूर्वानुमान होता है, वहीं क्रेडिट स्कोर क्रेडिट ब्यूरो द्वारा दिए जाने वाले ऐसे स्कोर हैं जो उधारकर्ता की चुकौती के वृत्तांत पर आधारित होते हैं। जहां क्रेडिट रेटिंग के अंतर्गत भविष्य में निश्चित काल-खंड में उधारकर्ता के सामने खड़े होने वाले जोखिम को विचार में लिया जाता है, वहीं क्रेडिट स्कोर के तहत कर्ज की चुकौती में उधारकर्ता के विगत निष्पादन को आंका जाता है। दोनों में दूसरा अंतर यह है कि क्रेडिट स्कोर विशिष्ट उधारकर्ता को दिया जाता है, जबकि क्रेडिट रेटिंग विशिष्ट सुविधा के लिए दी जा सकती है।

हालांकि, आम तौर पर क्रेडिट रेटिंग का अभिप्राय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई रेटिंग से है, फिर भी बैंकों में आंतरिक रेटिंग व्यवस्था भी चलन में है। बैंकों में उधारकर्ताओं से संबंधित आंतरिक रेटिंग व्यवस्था बासेल-II विनियमों के अंतर्गत शुरू की गई बैंक ऋणों की बाहरी क्रेडिट रेटिंग से काफी पहले अस्तित्व में आ गई थी। रिज़र्व बैंक द्वारा अक्टूबर 1999 में जारी किए गए 'बैंकों में जोखिम प्रबंधन प्रणाली' संबंधी दिशा-निर्देशों में यह बताया गया कि क्रेडिट रेटिंग/ स्कोरिंग के माध्यम से किए जाने

वाले जोखिम के आकलन के प्रति उच्च प्रबंध तंत्र का ध्यान आकृष्ट किया जाए। साथ ही, अक्टूबर 2002 में जारी किए गए 'ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधी मार्गदर्शी नोट' में यह उल्लेख किया गया है कि:

'किन्हीं ऋणों/ एक्सपोज़रों के "शोध्य" या "अशोध्य" श्रेणी में सहज व स्थूल रूप से किए जाने वाले वर्गीकरण से जुड़ी सीमाओं से बचने हेतु एक ऋण-जोखिम रेटिंग ढांचा (सीआरएफ) ज़रूरी है। सीआरएफ ढांचे के अंतर्गत किसी ऋण एक्सपोज़र से संबद्ध जोखिमों के प्रमुख संक्षिप्त संकेतक के रूप में अंक/ वर्ण/ संकेत का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का रेटिंग ढांचा ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मूर्त रूप देने वाला एक बुनियादी मॉड्यूल होता है तथा सभी उन्नत मॉड्यूल/ दृष्टिकोण इसी ढांचे पर आधारित होते हैं.....'

बैंक द्वारा दी जाने वाली क्रेडिट रेटिंग का निम्नलिखित मदों के लिए प्रयोग किया जा सकता है :

- क. व्यक्ति-विशेष का क्रेडिट चयन - किसी व्यक्ति को ऋण देने या न देने के संबंध में निर्णय लेना।
- ख. ऋण सुविधा का कीमत-निर्धारण (क्रेडिट स्प्रेड) और विशिष्टताएं - हालांकि, जोखिम आधारित कीमत-निर्धारण ऋण जोखिम प्रबंधन का प्रमुख घटक होता है, फिर भी उपलब्ध प्रमाणों से यह स्पष्ट होता है कि बैंक ऋण के कीमत-निर्धारण पर जोखिम रेटिंग की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक कारक अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालते हैं। किंतु जहां तक वाणिज्यिक पत्र जैसे ट्रेडेड कर्ज लिखत का प्रश्न है, रेटिंग और क्रेडिट स्प्रेड की कड़ी अब भी विद्यमान है।
- ग. पोर्टफोलियो-स्तरीय विश्लेषण।
- घ. चौकसी, निगरानी और आंतरिक एमआईएस।
- ङ. बैंक/ उधारदाता के समग्र जोखिम विन्यास का आकलन करना। मुख्यतः यह पोर्टफोलियो-स्तरीय विश्लेषण के लिए उपयोगी होगा। उदाहरणार्थ, विभिन्न श्रेणी के सीआरएफ के लिए ऋण एक्सपोज़र स्प्रेड, प्रत्येक सीआरएफ श्रेणी में होने वाली हानियों का माध्य और मानक विचलन तथा समग्र रूप से एक्सपोज़रों का अंतरण बैंक के समस्त पोर्टफोलियो के लिए कुल ऋण जोखिम को उजागर करेगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारत स्थित बैंकों ने आंतरिक क्रेडिट रेटिंग ढांचे का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। अधिकतर बैंकों में मौजूद आंतरिक रेटिंग ढांचे बाहरी सेवा-प्रदाताओं द्वारा विकसित सोल्यूशनों पर आधारित हैं। तथापि, हरेक बैंक के आंतरिक रेटिंग ढांचे की प्रभावशीलता व स्वरूप का स्तर अलग-अलग है। हालांकि, 'भेड़चाल' से बचने के लिए मतभेद का होना ज़रूरी है, फिर भी समान मॉडल के आधार पर विभिन्न बैंकों की रेटिंगों में अत्यधिक अंतर रहने से इन मॉडलों की स्थिरता या प्रयोक्ताओं द्वारा इन मॉडलों के उपयुक्त रूप से प्रयोग करने की क्षमता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

कॉर्पोरेट ग्राहकों की रेटिंग के लिए आम तौर पर प्रयोग किए जाने वाले आंतरिक क्रेडिट रेटिंग ढांचे के अतिरिक्त छोटे उधारकर्ताओं और रिटेल उधारकर्ताओं की रेटिंग के लिए बैंक सरल क्रेडिट स्कोरिंग मॉडलों का भी प्रयोग करते हैं। आम तौर पर रिटेल ग्राहकों से संबंधित क्रेडिट स्कोरिंग के अंतर्गत चार प्रकार के संकेतकों पर विचार किया जाता है नामतः जनसांख्यिकीय संकेतक, वित्तीय संकेतक, रोज़गार संकेतक और व्यवहारगत संकेतक।

चूँकि क्रेडिट रेटिंग/ स्कोर ऋण जोखिम का मापक होते हैं, अतः इनका एनपीए से प्रगाढ़ संबंध होता है। बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों को तब एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब बैंक यह मान लेते हैं कि उधारकर्ता ने संविदा के निबंधन व शर्तों के अनुसार कर्ज की चुकौती नहीं की है या उसके द्वारा चुकौती करने की संभावना नहीं है। इस तरह से एनपीए ऋण जोखिम का प्रतिबिंब होते हैं। चूँकि क्रेडिट रेटिंग ऋण जोखिम का सापेक्षक मापक होती है, अतः निम्नतर क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ता की तुलना में उच्चतर क्रेडिट रेटिंग वाले ग्राहक के चूक करने की संभावना कम होनी चाहिए। परिणामतः बैंकों की बहियों में अच्छी क्रेडिट रेटिंग रखने वाले उधारकर्ताओं का उच्च अनुपात एनपीए के निम्न स्तर के रूप में परिणत होना चाहिए। किंतु इस अवधारणा की सत्यता का पता क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई रेटिंग की तुलना में वास्तविक रूप में पैदा हुए चूक के मामलों की संख्या के आधार पर लगाना चाहिए।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दी गई रेटिंग और बैंक द्वारा दी गई रेटिंग की तुलना करते समय एक और अहम बात को ध्यान में रखना चाहिए जो है 'चूक' का आकलन किस प्रकार किया गया है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ऐसे मामलों को भी चूक की

श्रेणी में शामिल कर देती हैं जहां बकाया एक रुपये की चुकौती नहीं की गई हो या कर्ज की चुकौती में निर्धारित समय से एक दिन की देरी हो गई हो। जहां तक बैंकों का संबंध है किसी आस्ति को केवल उस स्थिति में अनर्जक आस्ति के रूप में देखा जाएगा जब निर्धारित चुकौती 90 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं की जाती है। चूक की पहचान करने का प्रयोजन भिन्न होने के कारण चूक की परिभाषा भी बदल जाती है।

बैंकों को क्या करना चाहिए?

बैंकों को अपनी आंतरिक क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली, अर्थात् उनके ऋण मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है। साथ ही, बैंकों को अपने मूल्यांकन के साथ-साथ बाहरी ऋण मूल्यांकन पर भी विचार करना चाहिए। इससे उनकी प्रणाली सुव्यवस्थित होगी और कम से कम इस पहलू से बैंकों का पक्ष मज़बूत होगा। तथापि, इसके बावजूद बैंकों को आर्थिक मंदी या नीतिगत परिवर्तनों या इरादतन चूक जैसे अन्य कारकों के प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। किंतु इससे एक चिंता का समाधान तो हो जाएगा। यही वह बिंदु है जहां अपने अनुभव और पिछले वर्षों में अपने अच्छे कार्यनिष्पादन रिकार्ड को देखते हुए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियमन

भारत के परिप्रेक्ष्य में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का सामान्य पर्यवेक्षण और विनियमन सेबी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) विनियमावली, 1999 के अंतर्गत किया जाता है। सेबी द्वारा जारी किए गए विनियमों में कई पहलू शामिल किए गए हैं, जैसे- रेटिंग एजेंसियों का पंजीकरण, रेटिंग एजेंसियों से संबंधित समुचित व उपयुक्त मानदंड, रेटिंग प्रक्रिया और उसकी कार्यप्रणाली एवं उसके रिकार्ड, पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण, हित-संघर्ष से बचना, आचार संहिता आदि। प्रारंभ में ये विनियम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा कर्ज प्रतिभूतियों के संबंध में दी जाने वाली रेटिंग पर लागू होते थे, किंतु बाद में इसके अंतर्गत बैंक ऋण रेटिंग सहित सभी रेटिंग गतिविधियों को शामिल कर लिया गया।

इसके अलावा, किसी रेटिंग एजेंसी को एक बाहरी ऋण मूल्यांकन संस्था की आधिकारिक मान्यता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा

बासेल-II ढांचे के अंतर्गत दी जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ऐसी आधिकारिक मान्यता इस बात का मूल्यांकन कर जारी करता है कि वह एजेंसी बासेल-II ढांचे के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों पर कितना खरा उतरती है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब तक छह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को आधिकारिक मान्यता दी है, जो हैं क्रिसिल, इक्रा, केयर, इंडिया रेटिंग्स, ब्रिकवर्क रेटिंग्स और स्मेरा रेटिंग्स। भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को आधिकारिक मान्यता देते समय इस बात को ध्यान में रखा है कि इससे रेटिंग बाज़ार में इष्टतम प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बीच चलने वाली प्रतिस्पर्धा के प्रभाव पर किए गए कतिपय अध्ययनों से यह पता चला है कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से 'रेटिंग शॉपिंग' की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे रेटिंग की गुणवत्ता बाधित हो जाएगी। अनिल के. कश्यप और नतालिया कोवरिजनिख (सितंबर 2013) ने यह दर्शाया है कि '.....क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां प्रतिस्पर्धा की होड़ में अपने शुल्क को कम कर देती हैं, प्रयास कम करती हैं और इससे सटीक रेटिंग हो नहीं पाती'। किंतु प्रिडेटोरी प्राइसिंग से बचने के लिए रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि वे रेटिंग प्राप्त करने वाली संस्थाओं के साथ की जाने वाली अपनी शुल्क व्यवस्था का उल्लेख अपनी वेबसाइट पर करें। इस प्रकटीकरण के अंतर्गत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा लिए जाने वाले न्यूनतम शुल्क और प्रभारित शुल्क के निर्धारक कारक शामिल हैं।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पात्रता का मूल्यांकन विभिन्न गुणात्मक व मात्रात्मक मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इन अपेक्षाओं को छह मानदंडों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, यथा- वस्तुनिष्ठता, स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय पहुंच/ पारदर्शिता, प्रकटीकरण, संसाधन और विश्वसनीयता।

वस्तुनिष्ठता

बासेल विनियमों के अनुसार क्रेडिट रेटिंग की कार्यपद्धति कठोर, सुव्यवस्थित हो और वह पूर्ववर्ती अनुभव पर आधारित किसी वैधीकरण (पश्च परीक्षण अर्थात् बैंक टेस्टिंग आदि) के अनुरूप हो। इसके अतिरिक्त, ऐसी रेटिंग पर सतत चौकसी रखी जानी चाहिए।

रिज़र्व बैंक कई कारकों पर विचार करके इस मानदंड का आकलन करता है, जैसे- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित चूक की परिभाषा और चूक पर की जाने वाली कार्रवाई, पूर्ववर्ती चूक दें, चूक की दरों की सामान्यता (अर्थात् जितनी कम रेटिंग चूक की संभावना उतनी ही अधिक), रेटिंग की स्थिरता (अर्थात् निश्चित अवधि के लिए रेटिंग के अपरिवर्तित रहने की संभाविता), रेटिंग की भविष्यवाणी करने की क्षमता, मौजूदा प्रवृत्ति के अनुरूप रेटिंग कार्यपद्धति में सुधार आदि। रिज़र्व बैंक उपर्युक्त मदों के मूल्यांकन हेतु क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के चूक अध्ययन, संक्रमण आव्यूह (मैट्रिक्स), गिनी सहगुणांक (को-एफिशंट) आदि का परिशीलन करता है।

चूक संबंधी दरों के मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी रेटिंग एजेंसियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे बैंक ऋण रेटिंग के संबंध में चूक की एकसमान परिभाषा का प्रयोग करें।

स्वतंत्रता

बासेल मानदंडों में यह बताया गया है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्वतंत्र होनी चाहिए और उसे रेटिंग देते समय किसी राजनीतिक या आर्थिक दबाव में नहीं आना चाहिए। रेटिंग प्रक्रिया भी हितों के ऐसे किसी टकराव से मुक्त होनी चाहिए जो शेयरधारिता ढांचे या निदेशक मंडल की संरचना की वजह से पैदा हो सकता हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक रेटिंग एजेंसी की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने हेतु उसके स्वामित्व और उसकी संगठनात्मक संरचना (बोर्ड और रेटिंग समितियों में स्वतंत्र निदेशकों की मौजूदगी), व्यक्तियों की स्वतंत्रता अर्थात् रेटिंग शुल्क और रेटिंग की गुणवत्ता के बीच हित के टकराव, शेयरधारकों के साथ हित के टकराव, रेटिंग समिति के स्तर पर हित के टकराव, कारोबार विकास और रेटिंग गतिविधियों के पृथक्करण, रेटिंग कारोबार के अन्य कारोबारी गतिविधियों से पृथक्करण का आकलन करता है।

अंतरराष्ट्रीय पहुंच/ पारदर्शिता

इस मापदंड के अंतर्गत रिज़र्व बैंक इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी भेदभाव के बिना देशी और अंतरराष्ट्रीय प्रयोक्ताओं से संबंधित अपनी रेटिंग कार्यपद्धति और रेटिंग तर्काधार पर आवश्यक प्रकटीकरण कर रही है या नहीं।

प्रकटीकरण

आधिकारिक मान्यता की प्रक्रिया के दौरान रिज़र्व बैंक इस बात की जांच करता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी निम्नलिखित प्रकटीकरण करती है या नहीं : रेटिंग कार्यपद्धति, जिसके अंतर्गत चूक की परिभाषा, समय सीमा, और प्रत्येक रेटिंग का तात्पर्य शामिल हैं; प्रत्येक रेटिंग श्रेणी में पाई जाने वाली वास्तविक चूक की दरें; तथा रेटिंग के संक्रमण। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए व्यापक रूप में विभिन्न प्रकार के प्रकटीकरण अनिवार्य कर दिए हैं।

संसाधन

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की स्तरीय रेटिंग करने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। रिज़र्व बैंक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के संबंध में मूल्यांकन करता है कि उसके पास मानव संसाधन की पर्याप्त क्षमता है या नहीं अर्थात् कर्मचारियों की संख्या, उनकी अर्हताएं और अनुभव आदि। साथ ही, रिज़र्व बैंक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को आधिकारिक मान्यता देने से पहले उसकी प्रौद्योगिकीय क्षमता का भी पता लगता है। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से यह अपेक्षा भी रखता है कि वे अर्थव्यवस्था, विभिन्न सेक्टरों, कंपनियों आदि से संबंधित सूचना के विभिन्न स्रोतों तक पहुंच रखें।

विश्वसनीयता

रेटिंग एजेंसी की विश्वसनीयता इस आधार पर परखी जाती है कि उस रेटिंग एजेंसी की रेटिंग स्वतंत्र पक्षों, जैसे निवेशक, बीमाकर्ता, ट्रेडिंग करने वाले भागीदार आदि को किस सीमा तक स्वीकार्य है। रिज़र्व बैंक रेटिंग कार्य के सिलसिले में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को प्राप्त गोपनीय सूचना के दुरुपयोग को रोकने हेतु निर्धारित उसकी आंतरिक व्यवस्था की भी जांच करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की विश्वसनीयता का निर्धारण करने हेतु यह भी देखा जाता है कि वह एजेंसी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन आयोग (आईओएससीओ) और एसोसिएशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ इन एशिया (एसीआरए) द्वारा विनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करती है या नहीं।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को आधिकारिक मान्यता दिए जाने के अलावा बासेल-॥ ढांचे के तहत यह अपेक्षा की गई है कि

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली रेटिंग मानकीकृत जोखिम भारांकन ढांचे के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उपयुक्त जोखिम भारांकों के अनुरूप हो। बासेल-॥ ढांचे के तहत यह अपेक्षा की गई है कि राष्ट्रीय विनियामक यह तय करें कि जोखिम भारांक के लिए किस प्रकार की रेटिंग उपयुक्त होगी। मैपिंग प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ हो और उस प्रक्रिया से गुजरकर क्रिया जाने वाला जोखिम भारांक मूल्यांकन रेटिंग से दिखाई पड़ने वाले ऋण जोखिम के स्तर के अनुरूप हो। भारत में रिज़र्व बैंक ने सभी रेटिंग एजेंसियों के लिए एकसमान जोखिम भारांकों का निर्धारण किया है। इस प्रकार के एकसमान जोखिम भारांकों का निर्धारण रेटिंगों के सापेक्षिक रूप में कम व्यापन और चूक के संबंध में पर्याप्त रूप से पहले से आंकड़ों की अनुपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

आधिकारिक मान्यता देते समय किए जाने वाले विस्तृत मूल्यांकन के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को दी गई आधिकारिक मान्यता की वार्षिक समीक्षा कर यह पता लगाता है कि वे बासेल-॥ ढांचे के तहत दी गई आधिकारिक मान्यता को जारी रखने की पात्रता रखती हैं या नहीं। रिज़र्व बैंक इस समीक्षा के दौरान प्रक्रिया के साथ-साथ उसके निष्कर्षों का भी मूल्यांकन करता है। वैयक्तिक रेटिंग एजेंसी की रेटिंग प्राप्त पोर्टफोलियो की संचयी चूक दरों की तुलना बासेल-॥ ढांचे के तहत प्रस्तावित बेंचमार्क संचयी चूक दरों के साथ की जाती है। भारत में बैंक ऋण रेटिंगों की संचयी चूक दरें बासेल-॥ ढांचे में विनिर्दिष्ट बेंचमार्क से अधिक हैं।

बैंकों के क्रेडिट मूल्यांकन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के मूल्यांकन के बीच सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए ?

बैंकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को चार मुद्दों पर मिलकर काम करना ज़रूरी है जिससे बैंकों को अपने पोर्टफोलियो को जोखिम मुक्त करने और अपने ऋणों पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखने में सहायता मिलेगी।

पहला, भारतीय बैंक बासेल-॥ मानदंडों के अनुरूप जोखिम आधारित पूंजी अपेक्षाओं का परिकलन करने हेतु बाहरी क्रेडिट एजेंसियों के क्रेडिट मूल्यांकन अभिमत का व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं। यद्यपि बैंकों को सभी ऋणों की पूंजी अपेक्षा का परिकलन करने हेतु बाहरी रेटिंग एजेंसियों की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना

ज़रूरी नहीं है (गौरतलब है कि ₹10 करोड़ से अधिक ऋणों के लिए ही क्रेडिट रेटिंग ज़रूरी है), तथापि कुछ बैंक कंपनियों को रेटिंग कराने के लिए कहते हैं। जाहिर है कि वे अपने ऋण मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से ऐसा करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बैंकों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा किए गए मूल्यांकन का प्रयोग पूंजी पर्याप्तता से इतर प्रयोजनों के लिए भी किया जा रहा है। किंतु बैंकों को चाहिए कि वे इस संबंध में कंपनियों को आने वाली लागत के मुकाबले उन्हें होने वाले लाभ को भी ध्यान में रखें।

हम ऋण सूचना को साझा करने की बात कर रहे हैं, जो कि कारोबारी चक्र के आवर्तन और उनके परिणामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारे यहां ऋण सूचना कंपनियों जैसी कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कंपनियों के बारे में बैंकों को जानकारी देती हैं। साथ ही, समय के साथ-साथ रेटिंगों के स्वरूप में आने वाले बदलाव का मुद्दा भी है जिस पर बैंकों को निगरानी रखनी चाहिए और उन्हें नियमित रूप से क्रेडिट रेटिंग कंपनियों की समांतर रेटिंग मैप तैयार कर उसकी तुलना अपने मॉडलों और रेटिंग से करनी चाहिए। यह बैंकों के लिए अपने संपूर्ण पोर्टफोलियो की तैयारी की दृष्टि से एक उपयोगी जांच होगी।

दूसरा, मुझे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों की असीम उपयोगिताएं दिखाई दे रही हैं और इसके मद्देनज़र हम बैंकों एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के ऋण जोखिम मूल्यांकन के दोनों मॉडलों में और सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। यह सुझाव दिया गया है कि बैंकों को चाहिए कि वे अपने पोर्टफोलियो को जोखिम-मुक्त कराने के लिए दीर्घकालीन वित्त चाहने वाली कंपनियों को कर्ज का आंशिक हिस्सा कॉरपोरेट कर्ज बाज़ार से जुटाने को कहें। इस प्रकार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की बाज़ार आसूचना, जो कि बॉण्ड बाज़ार के उधार के लिए अनिवार्य है, एक ऐसा उपयोगी औजार साबित होगी जो बैंकों को उस संस्था को उधार देते समय काम आएगा। यह वर्तमान में आस्ति-देयता प्रबंधन संबंधी मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में तथा निधि की बढ़ती मांग के ऐसे दौर में काफी प्रासंगिक भी साबित होगी जब अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ ले और बुनियादी संरचना क्षेत्र में तेजी आ जाए। बैंक उधारकर्ताओं की निधि की समग्र मांग को पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। हमें इस कदम के परिणामों पर विस्तार से चर्चा करनी होगी और बैंकों तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के विशेषज्ञों की मौजूदगी वाले इस मंच पर इस मुद्दे को उठाना काफी समीचीन होगा।

तीसरा, लघु और मध्यम उद्यम एक ऐसा क्षेत्र है जो आर्थिक झटकों को झेलने के लिए मज़बूत हो जाता है। इन उद्यमों का आकार ही इनके लिए घातक होता है और ये मंदी के दौर में सबसे पहले प्रभावित हो जाते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के पास लघु और मध्यम उद्यमों की रेटिंग के लिए कई मॉडल उपलब्ध हैं तथा एनएसआईसी योजना के अंतर्गत इन उद्यमों को रेटिंग शुल्क पर सब्सिडी मिलती है। यदि बैंक इन उद्यमों को ऋण देने से पहले उनकी रेटिंग प्राप्त करें तो बेहतर होगा ताकि ऋण के संवितरण से पहले ही जांच हो सके। इन उद्यमों की अत्यधिक संख्या के मद्देनज़र बैंकों द्वारा इन पर समुचित सावधानी बरतना संभव नहीं है। ऐसे में बैंक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की प्रणाली का पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं ताकि उनके लिए एक बना-बनाया ढांचा काम में लाया जा सके।

चौथा, आप जानते ही हैं, हाल ही में हमने बैंकों द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन इन्फ्रा बॉण्डों के लिए दिए जाने वाले ऋणों की मात्रा को बढ़ाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हम इस दिशा में कोशिश जारी रखेंगे और यह कदम निश्चय ही बॉण्ड बाज़ार के विकास के लिए भी असरदार होगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां इस कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। बॉण्ड बाज़ार का यह मामला एक ऐसा उदाहरण है, जहां बैंक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां साथ मिलकर एक अभीष्ट परिणाम के लिए कार्य कर रही हैं और अंततः इससे अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा।

कॉरपोरेट बॉण्ड बाज़ार का विकास बैंकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में बढ़ते एनपीए की समस्या को दूर किया जा सकता है।

अतः बैंकों के संचालन में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ऐसी अहम भूमिका अदा कर रही हैं, जो पूंजी पर्याप्तता और बासेल-II से भी बढ़कर हैं। अंतिम निर्णय और ऋण मूल्यांकन बैंक द्वारा ही किया जाना है और जो कोई जानकारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से प्राप्त होगी वह अतिरिक्त सूचना मात्र होगी जिसका उपयोग किया जा सकता है। बैंक बासेल-III के अंतर्गत अपनी पूंजी अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का सहारा लेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी मज़बूती के लिए टियर-II बॉण्ड जुटाने होंगे। किंतु वे एक उधारदाता के रूप में नहीं, अपितु एक बाज़ार उधारकर्ता के रूप में पेश आएंगे।

हालांकि, अपने ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने हेतु आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण को अपनाने हेतु भारतीय बैंकों के लिए रूपरेखा तैयार है, फिर भी आंतरिक रेटिंग दृष्टिकोण को अपनाने की बैंकों की क्षमता व तत्परता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि बैंक इस कार्य में प्रयुक्त मॉडलों के आधार पर आंकड़ों का परीक्षण करने की स्थिति में हैं या नहीं। अतः बैंकों को तब तक ऋण जोखिम के परिकलन हेतु बाहरी क्रेडिट रेटिंगों पर ही निर्भर रहना होगा जब तक सभी प्रणालियां व्यवस्थित रूप से कार्य न करने लगें।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जवाबदेही

अब हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जवाबदेही और पारदर्शिता पर नज़र डालेंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जवाबदेही और पारदर्शिता क्यों ज़रूरी है? इसके साथ ही मुख्य मुद्दा सामने आता है जो है क्रेडिट रेटिंग के लिए शुल्क कौन अदा करता है। इस संबंध में दो पारंपरिक मॉडल मौजूद हैं। ये हैं: 'निवेशक-अदाकर्ता' मॉडल, जहां निवेशक या बैंकर क्रेडिट रेटिंग कराता है तथा 'निर्गमकर्ता-अदाकर्ता' मॉडल, जहां प्रतिभूति का निर्गमकर्ता या उधारकर्ता रेटिंग के लिए शुल्क अदा करता है। हाल में 'समाज-अदाकर्ता' नामक एक नए मॉडल का प्रस्ताव किया जा रहा है, जहां एक तटस्थ तीसरी पार्टी, जैसे सरकार, विनियामक आदि, द्वारा कर्ज की रेटिंग हेतु शुल्क अदा किया जाएगा।

प्रत्येक मॉडल की अपनी-अपनी खूबियां व खामियां हैं। अब हम 'निर्गमकर्ता-अदाकर्ता' मॉडल पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह मॉडल हमारे देश में अधिकतर पाया जाने वाला मॉडल है। जैसा मैंने पहले बताया 'निर्गमकर्ता-अदाकर्ता' मॉडल के अंतर्गत कर्ज का निर्गमकर्ता या उधारकर्ता या तो स्वैच्छिक रूप से या विनियामक अपेक्षा को पूरा करने के लिए क्रेडिट रेटिंग कराता है। जहां तक भारत में कर्ज के सार्वजनिक निर्गम का संबंध है भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अनुसार निर्गमकर्ताओं को क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करना ज़रूरी है। पर जहां तक बैंक ऋणों का संबंध है इस प्रकार की कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है, भले ही कॉर्पोरेट ऋणों से संबद्ध बैंकों की पूंजी अपेक्षाएं क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर करती हैं। बैंक अपने विवेकानुसार उधारकर्ताओं से क्रेडिट रेटिंग की अपेक्षा रख सकते हैं।

'निर्गमकर्ता-अदाकर्ता' मॉडल का फायदा यह है कि ज्यों ही रेटिंग दी जाए और वह स्वीकृत हो जाए, त्यों ही उसका सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण किया जाता है तथा वह प्रयोक्ताओं को निःशुल्क उपलब्ध हो जाती है। कर्ज प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए इच्छुक छोटे निवेशकों और व्यक्तियों को क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने हेतु कोई शुल्क अदा करने की ज़रूरत नहीं है। इस मॉडल का एक और फायदा है कि निर्गमकर्ता सूचना साझा करने हेतु तत्पर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ही रेटिंग करायी थी। तथापि, इस मॉडल में हित का टकराव भी अंतर्निहित है। चूंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की आय और लाभ रेटिंगों की मात्रा पर निर्भर करती है, अतः ग्राहकों को जुटाने और बनाए रखने हेतु बढ़ा-चढ़ाकर रेटिंग दिलाने की कुप्रवृत्ति पैदा हो सकती है।

संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय व आर्थिक संकट के कारणों की जांच करने वाले वित्तीय संकट जांच आयोग (2011, पृष्ठ सं. 212) ने यह निष्कर्ष निकाला है कि '...जिस कारोबारी मॉडल के लिए फर्म प्रतिभूतियां जारी करने के संबंध में की गई रेटिंग हेतु शुल्क अदा करते हैं उसमें रेटिंगों की गुणवत्ता व सत्यता को नज़रअंदाज किया गया है; रेटिंग एजेंसियों ने अपनी रेटिंगों की गुणवत्ता व सत्यता के बजाय बाज़ार के हिस्से और लाभ की अवधारणा को वरीयता दी है।' हाल के वित्तीय संकट में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भूमिका के बारे में ऐसे निष्कर्षों ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर सख्त विनियामक निगरानी रखने के लिए मज़बूर कर दिया है।

सार रूप में हम कह सकते हैं कि एनपीए के बढ़ते स्तर और दबावग्रस्त आस्तियों की समस्या से निपटने के लिए बैंकों द्वारा उठाए जाने वाले सक्रिय प्रयासों में क्रेडिट रेटिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। बैंक बाहरी रेटिंगों का प्रयोग तीसरी पार्टी द्वारा किए गए पेशेवर मूल्यांकन के रूप में या तो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं या फिर उसे अपनी आंतरिक रेटिंग के साथ जोड़कर कर सकते हैं। तथापि, बैंकों को बाहरी रेटिंग का प्रयोग संतुलित रूप से करना होगा क्योंकि हाल के वित्तीय संकट ने ऐसी रेटिंगों पर अतिनिर्भरता के खतरों को उजागर किया है।

मुझे पूरा विश्वास है कि आज के विचार-विमर्श से निकलने वाले निष्कर्ष से भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी जैसे नियामकों के लिए कई उपयोगी सुझाव मिलेंगे।

धन्यवाद!

○○○

कंपनी अधिनियम, 2013 – कॉरपोरेट रुग्णता दूर करने के व्यापक उपाय

कॉरपोरेट रुग्णता अब एक आम बात हो गई है। शुरू-शुरू में उन्हीं कॉरपोरेट इकाइयों को रुग्ण माना गया था जिनके बैंक/वित्तीय संस्थाओं में खाते अतिदेय/अनियमित थे। इन इकाइयों के अनुवर्तन तथा पोषण कार्यक्रमों को चलाने के लिए पहले इनका अध्ययन किया जाता था। बाद में इस परिभाषा को अपर्याप्त समझा गया और उसी के अनुसार इनकी परिभाषा में परिवर्तन किया गया। इस परिभाषा के अनुसार, जो इकाई लगातार आंतरिक बचत करने में असफल हो और अपने जीवन-यापन के लिए लगातार बाहरी कोष प्राप्त करने पर निर्भर हो, उसी को रुग्ण माना गया। कई वर्षों पहले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रुग्ण उद्योग के बारे में आयोजित एक संगोष्ठी में रुग्ण इकाई को एक ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया जो लगातार नकद हानि उठा रही हो। आगे चलकर इस परिभाषा में भी परिवर्तन कर दिया गया। इसके आधार पर किसी लघु उद्योग इकाई को तब रुग्ण माना जाना चाहिए जब किसी लेखा वर्ष के अंत में इसकी संचित हानि इसके पिछले 5 वर्षों की उच्च शुद्ध निवल मालियत के 50 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक हो गई हो।

80 के दशक के आते-आते देश के व्यावसायिक वातावरण में रुग्णता की समस्या ने एक विकराल रूप ले लिया था। इसी



राजेंद्र सिंह

मुख्य प्रबंधक (से.नि.)

इंडियन ओवरसीज़ बैंक

कारण भारत सरकार द्वारा 1981 में श्री टी. तिवारी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति का उद्देश्य औद्योगिक रुग्णता के बारे में जांच करना और इसके उपचार के लिए उपाय सुझाना था।

इस समिति के सुझावों के आधार पर भारत सरकार द्वारा एक विशेष अधिनियम पारित किया गया जिसको रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 का नाम दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य रुग्णता के कारणों का पता लगाना और संभावित आर्थिक रूप से व्यवहार्य इकाइयों को पुनरुज्जीवित करना था। इस अधिनियम से यह आशा की गई थी कि रुग्ण इकाइयों को पुनरुज्जीवित कर व्यर्थ रूप में पड़े निवेश को उत्पादक बनाया जा सकेगा, अव्यवहार्य इकाइयों का समापन किया जा सकेगा और उनसे प्राप्त निवेश को अन्य उत्पादनशील इकाइयों में लगाया जा सकेगा। इस संबंध में सभी उपाय जो उपलब्ध हैं या संभव हो सकते हैं उनको लागू किया जाना था।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

विशेषज्ञों के इस दल ने औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड गठित करने का सुझाव दिया था और इसकी स्थापना जनवरी 1987 में की गई थी। मई 1987 से इस बोर्ड ने कार्य करना शुरू किया। अप्रैल 1987 में इसके लिए एक अपील प्राधिकारी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया गया।

वर्ष 1991 में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी कंपनियों को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत लाया गया। इसमें व्यापक स्तर पर परिवर्तन किए गए जिससे औद्योगिक रुग्णता की पहचान सुचारु रूप से की जा सके।

विशेष उपबंध अधिनियम सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए लागू है। इसकी पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं:-

- उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में उल्लेख किए गए उद्योग। इसमें जलपोत एवं अन्य जलयान, जो ऊर्जा पर आधारित हैं, शामिल हैं।
- इनमें लघु उद्योग इकाइयां या अनुषंगी इकाइयां, जिनको उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 3 (ज) में परिभाषित किया गया है, शामिल नहीं हैं।

रुग्णता का पता लगाने के लिए मापदंड

- 1) किसी वित्तीय वर्ष के अंत में इसकी संचित हानि इसकी निवल मालियत (प्रदत्त पूंजी एवं आरक्षित निधि) के बराबर या उससे अधिक है।
- 2) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित तिथि से पांच वर्ष तक का कार्यकाल पूरा कर लिया है।
- 3) वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पहले 12 महीनों में प्रतिदिन 50 या उससे अधिक श्रमिकों ने कार्य निष्पादन किया है।
- 4) इस कंपनी के पास फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस होना अनिवार्य है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन इसी उद्देश्य से किया गया था कि रुग्ण कंपनियों/इकाइयों का उपचार कर उनको पटरी पर लाया जा सके। परंतु अनेक कारणों से इस बोर्ड को आशा के अनुकूल सफलता नहीं मिली। उदाहरण के लिए जितनी कंपनियां/इकाइयां पुनरुज्जीवित की गईं उनसे अधिक संकटग्रस्त की सूची में जुड़ती गईं। इसके पीछे अनेक कारण हैं- प्रवर्तकों द्वारा आगे संसाधनों के निवेश न करने की इच्छा जो प्रवर्तकों में रुग्ण कंपनियों के प्रति पुनरुज्जीवन और कायाकल्प के लिए उत्सुकता का अभाव होने का संकेत देती है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के स्वयं रुग्ण हो जाने पर कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 का प्रस्ताव किया

गया जिससे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण का गठन हुआ। इन न्यायाधिकरणों के गठन से अब औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का कार्य इनके जिम्मे हो गया।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की अनर्जक आस्तियों को कम करने के लिए प्रोत्साहन आधारित और कठोर कार्रवाई के मिश्रित उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रोत्साहन आधारित कदम के रूप में कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्रचना योजना को अगस्त 2001 में लागू किया गया। यह प्रणाली कॉर्पोरेट कर्ज से संबंधित एक विशिष्टीकृत संस्थागत प्रबंधन है जिसमें समस्याग्रस्त कर्जों की पुनर्रचना की जाती है। इस प्रणाली में बहुविध बैंकिंग खाते/समूहन खाते/संघीय सहायता व्यवस्था के अंतर्गत आने वाली कॉर्पोरेट इकाइयों के निधि आधारित और गैर-निधि आधारित खाते शामिल किए जाते हैं जिनकी बकाया राशि ₹10 करोड़ या उससे अधिक है।

कॉर्पोरेट इकाइयों एवं बैंकों द्वारा कॉर्पोरेट कर्ज पुनर्रचना प्रणाली का दुरुपयोग किए जाने की संभावनाएं भी रहती हैं, जहां इस प्रणाली में शामिल करने हेतु ऐसे प्रस्ताव भी प्रेषित किए जाते हैं जिनमें चूक का कारण कंपनी स्वयं है - जैसे कर्जों का दुरुपयोग, अक्षमता और व्यावसायिक कुप्रबंधन आदि। ऐसी इकाइयां किसी छूट या रियायत की पात्र नहीं होतीं। इस प्रणाली में उन्हीं कॉर्पोरेट इकाइयों को शामिल किया जाता है जो बाहरी कारणों जैसे आर्थिक मंदी, मानसून संबंधी समस्याओं - सूखा, बाढ़, घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में गिरावट आदि के दुष्प्रभावों से ग्रस्त हैं।

इस प्रणाली के अंतर्गत ऐसे खाते भी शामिल किए जाते हैं जो किसी कर्ज वसूली न्यायाधिकरण/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड या किसी भी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं।

कठोर कार्रवाई के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (संक्षेप में सरफेसी) अधिनियम, 2002 लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत बैंक/वित्तीय संस्थाएं उन संपत्तियों

का अधिग्रहण कर सकती हैं जिन्हें बैंक के पक्ष में बंधक किया गया है। इस अधिनियम से जो अपेक्षाएं बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को थीं उनमें आंशिक सफलता ही मिली है। यही कारण है कि इस अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए हैं जिनसे बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को वसूली सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

कॉर्पोरेट रुग्णता एवं कंपनी अधिनियम, 2013

इस अधिनियम में रुग्ण कंपनियों के तीव्र गति से पुनर्वासन और पुनरुज्जीवन के बारे में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को अध्याय XIX की 17 धाराओं (253-269) में प्रस्तुत किया गया है।

जमानती लेनदारों (बैंकों/वित्तीय संस्थाओं) का जहां कंपनियों की बकाया राशि में 50 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व है और ऐसी कंपनियां मांग की सूचना से 30 दिनों के भीतर ऋण का भुगतान करने या संरक्षित करने या जमानती लेनदारों के संतुष्टि तक समाधान करने में असफल रहती हैं तो जमानती लेनदारों के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वे न्यायाधिकरण के समक्ष भुगतान करने, संरक्षित करने या समाधान करने में असफल रहने के साक्ष्य के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं कि कंपनी को रुग्ण घोषित कर दिया जाए। साथ ही, जमानती लेनदारों द्वारा इस बात के लिए भी आवेदन किया जा सकता है कि कंपनी की किसी भी समापन प्रक्रिया को रोक दिया जाए।

इसमें एक विशेष बात यह है कि न्यायाधिकरण को किसी कंपनी को रुग्ण घोषित करने के निर्णय को 60 दिनों की अवधि में ही देना है। इस समय सीमा के समाप्त हो जाने पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। कंपनी के रुग्ण घोषित हो जाने के बाद जमानती लेनदारों द्वारा कंपनी के पुनरुज्जीवन और पुनर्वासन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

जहां जमानती लेनदारों द्वारा बैंक को प्राप्य राशि की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की जाती है वहां पुनरुज्जीवन और पुनर्वासन का प्रावधान लागू नहीं होगा। रुग्ण कंपनियों के पुनर्वासन की मंजूरी

में इनका वित्तीय पुनरुज्जीवन, प्रबंधन में बड़े स्तर पर फेरबदल, समामेलन या अधिग्रहण, कंपनी के शेयरों की बिक्री, कंपनी को पट्टे पर देना और कर्मचारियों की नियुक्ति को युक्तिसंगत बनाना आदि शामिल है। इसकी मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं:

- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं (जमानती लेनदारों) द्वारा मांग नोटिस जारी किये जाने के 30 दिनों के भीतर भुगतान न करना।
- कंपनी द्वारा जमानती लेनदारों को पर्याप्त प्रतिभूति उपलब्ध न कराना।
- न्यायाधिकरण के समक्ष जमानती लेनदारों और स्वयं कंपनियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके उत्तर में यदि न्यायाधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि कंपनी रुग्ण है और यह विश्वास जागृत होता है कि कंपनी के लिए कर्ज की अदायगी एक निश्चित अवधि में करना व्यावहारिक प्रतीत होता है तो न्यायाधिकरण कंपनी को आदेश जारी कर सकता है।
- न्यायाधिकरण आवेदन प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर यह निर्धारित करे कि कंपनी रुग्ण है या नहीं।
- जब एक कंपनी को रुग्ण घोषित कर दिया जाता है तब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 254 के अंतर्गत एक आवेदन इसके पुनरुज्जीवन और पुनर्वासन के लिए दिया जा सकता है। यह आवेदन जमानती लेनदारों या स्वयं कंपनी द्वारा दिया जा सकता है। इस आवेदन के साथ पिछले वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणियां, लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र, पुनरुज्जीवन और पुनर्वासन प्रक्रिया का प्रारूप और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होता है। जहां रुग्ण कंपनी की पुनर्जीवन एवं पुनर्वासन प्रारूप योजना नहीं है वहां इस हेतु आवेदन के साथ घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है।

न्यायाधिकरण धारा 254 के अंतर्गत पुनर्जीवन एवं पुनर्वासन हेतु आवेदन पत्र की प्राप्ति से सात दिनों के भीतर एक निश्चित तिथि का निर्धारण करती है जिसमें सभी संबंधित पक्षों को सुना जाता है। इसकी अवधि 90

दिनों से अधिक की नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में न्यायाधिकरण द्वारा धारा 256 के अंतर्गत एक अंतरिम प्रशासक की नियुक्ति की जाती है जो एक कंपनी प्रशासक के रूप में न्यायाधिकरण के दिशा-निर्देशों पर कार्य निष्पादन करता है।

पुनरुज्जीवन और पुनर्वासन योजना (धारा 261)

- अंतरिम प्रशासक के लिए आवश्यक होगा कि कंपनी के पुनरुज्जीवन और पुनर्वासन के उपायों पर विशेष उल्लेख करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 261 के अंतर्गत पुनरुज्जीवन और पुनर्वासन के जिन उपायों की पहचान की जाती है उनके विकल्प निम्नलिखित हैं :

- i) रुग्ण कंपनी की वित्तीय पुनर्रचना,
- ii) प्रबंधन में परिवर्तन/अधिग्रहण द्वारा रुग्ण कंपनी का समुचित प्रबंधन,
- iii) रुग्ण समामेलन कंपनी का किसी अन्य कंपनी के साथ समामेलन या अन्य कंपनी का रुग्ण कंपनी के साथ समामेलन,
- iv) रुग्ण कंपनी या उसके एक अंश या पूरी संपत्तियों या व्यवसाय का अधिग्रहण,
- v) रुग्ण कंपनी के किसी संपत्ति के एक अंश या पूरे व्यवसाय की बिक्री या उसका निर्गमन,
- vi) प्रबंधकीय, कार्मिक, अधिकारीगण और अधीनस्थ कर्मचारियों का नियमों के आधार पर युक्तिकरण,
- vii) ऐसे अन्य उपयुक्त निरोधक, सुधारक और उपचारक उपायों को लागू करना, जो आवश्यक हैं,
- viii) रुग्ण इकाइयों द्वारा लेनदारों/जमानती लेनदारों से लिए गए कर्जों की अदायगी, कर्जों की अवधि का पुनर्निर्धारण या उसकी पुनर्रचना,
- ix) ऐसे प्रासंगिक, संगत या पूरक उपाय, जो आवश्यक एवं व्यावहारिक हैं और ऊपर दी गई धाराओं के अंतर्गत हैं, उनको लागू करना।

पुनरुज्जीवन और पुनर्वासन योजना की स्वीकृति (धारा 262)

रुग्ण कंपनी प्रशासक द्वारा तैयार की गई योजना कंपनी के लेनदारों की एक बैठक आयोजित कर उनके समक्ष प्रस्तुत की जाती है और 60 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। न्यायाधिकरण यह अवधि 60 दिनों से 120 दिनों तक बढ़ा सकता है।

बैठकों में मंजूरी

कंपनी प्रशासक द्वारा इन बैठकों का आयोजन जमानती लेनदारों और गैर जमानती लेनदारों के लिए अलग-अलग किया जाता है। यदि गैर जमानती लेनदारों का प्रतिनिधित्व कंपनी की बकाया राशि में एक चौथाई है और जमानती लेनदारों में यह प्रतिनिधित्व तीन-चौथाई है तो उनकी स्वीकृति प्राप्त की जाती है और इसे न्यायाधिकरण के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

समामेलन के मामलों में जहां एक रुग्ण कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ विलय किया जाता है, इसकी भी स्वीकृति दोनों कंपनियों के शेयरधारकों की आम सभा में एक विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित कर दी जाती है। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद ही अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

न्यायाधिकरण द्वारा जांच-पड़ताल

कंपनी प्रशासक द्वारा तैयार की गई योजना की जांच न्यायाधिकरण द्वारा की जाती है। यदि इस योजना में कोई संशोधन किया जाता है तो इस संशोधित प्रारूप को रुग्ण कंपनी और इसके प्रशासक को भेज दिया जाता है। समामेलन के मामलों में इसे समामेलन प्रक्रिया में भाग लेने वाली अन्य कंपनी को भी भेजा जाता है।

न्यायाधिकरण लोगों के सुझाव और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए प्रारूप के संक्षिप्त रूप को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेज सकता है। इस योजना के संपूर्ण प्रारूप की एक प्रति को संबंधित कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में या विज्ञापन के जरिए दिए गए स्थान पर रखा जा सकता है।

सुझावों एवं आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा आवश्यक संशोधन भी किए जा सकते हैं। इसमें रुग्ण कंपनी, कंपनी प्रशासक, समामेलन करने वाली कंपनी, कोई भी शेयरधारक या लेनदार या कंपनियों के कर्मचारी भी अपने सुझाव या अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

स्वीकृत योजना

न्यायाधिकरण जब इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि योजना की स्वीकृति वैध रूप में की गई है, तब योजना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर स्वीकृति का आदेश जारी किया जाता है। यह सभी पक्षों के लिए एक चुनौती भरा कार्य है। न्यायाधिकरण द्वारा दी गई स्वीकृति को एक निर्णायक साक्ष्य के रूप में मान्यता प्राप्त होती है जो इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी के पुनरुज्जीवन या समामेलन या अन्य कोई उपाय, जिसका उल्लेख किया गया है, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इस योजना की स्वीकृति की एक प्रति, जिसको लिखित रूप में न्यायाधिकरण के एक अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है, सभी विधिक कार्यवाहियों में साक्ष्य के तौर पर स्वीकार्य होगी।

इस स्वीकृति की एक प्रति रुग्ण कंपनी द्वारा प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइल की जाती है।

आस्तियां एवं देयताएं

जहां स्वीकृत योजना के अंतर्गत रुग्ण कंपनी की आस्ति या देयता का किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति के पक्ष में या किसी कंपनी या व्यक्ति की आस्ति या देयता का रुग्ण कंपनी के पक्ष में अंतरण करने का प्रावधान है वहां योजना में प्रदत्त मूल अधिकारों और सीमाओं के आधार पर एवं योजना के परिचालन या अन्य प्रावधानों के आधार पर आस्ति अंतरित समझी जाएगी और इसी तरह देयता भी अन्य कंपनी या व्यक्ति या रुग्ण कंपनी के पक्ष में अंतरित समझी जाएगी।

स्वीकृत योजना की समीक्षा

न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी स्वीकृत योजना की समीक्षा की जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। साथ ही, कंपनी प्रशासन को प्रत्यक्ष रूप से लिखित आदेश जारी कर एक नई योजना तैयार करने के लिए

कहा जा सकता है। इसमें कंपनी प्रशासन के सुझावों को भी शामिल किया जा सकता है।

कंपनी के प्रशासक की रिपोर्ट के आधार पर कंपनी का समापन (धारा 265)

यदि लेनदारों द्वारा योजना को स्वीकृति नहीं मिलती तो कंपनी प्रशासक द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर न्यायाधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधिकरण द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XX के प्रावधानों के अंतर्गत रुग्ण कंपनी के समापन की कार्यवाही निष्पादित की जाएगी।

योजना की बाध्यता (धारा 263)

स्वीकृत योजना के परिचालन में आने की तिथि से ही यह रुग्ण कंपनी, हस्तांतरित कंपनी या अन्य कंपनी और उसके कर्मचारियों, अंशधारकों लेनदारों और गारंटीकर्ताओं पर बाध्य होगा।

स्वीकृत योजना का कार्यान्वयन (धारा 264)

इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए न्यायाधिकरण को संबंधित कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ की गई संविदा एवं इस संविदा के फलस्वरूप होने वाले किसी भी दायित्व को प्रवर्तित करने, संशोधित करने या निरस्त करने का अधिकार होगा।

न्यायाधिकरण को यह भी अधिकार होगा कि वह लिखित रूप में कंपनी प्रशासक को प्राधिकृत करे कि वह स्वीकृत योजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करे। कंपनी प्रशासक को यह भी आदेश जारी किया जा सकता है कि वह योजना के कार्यान्वयन के बारे में नियतकालिक प्रगति रिपोर्ट न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करे।

रुग्ण कंपनियों की संपत्ति की बिक्री

स्वीकृत योजना के अंतर्गत किसी रुग्ण कंपनी की पूरी संपत्ति या उसके बड़े हिस्से की बिक्री के मामले में उससे प्राप्त राशि का उपयोग न्यायाधिकरण के निर्देशों के आधार पर किया जाता है। इसमें देनदारों और लेनदारों को अधिकार होता है कि वे इन संपत्तियों की बिक्री के पहले इसके अंतिम मूल्यांकन की जांच-पड़ताल कर सकें और जहां आवश्यक हो वे उसकी समीक्षा के लिए अपील भी दायर कर सकते हैं।

जहां कहीं भी योजना लागू करने में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है या संबंधित पक्षों द्वारा अपने-अपने दायित्वों के कार्यान्वयन में कठिनाई आ रही है, ऐसी स्थिति में कंपनी प्रशासक द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें योजना को संशोधित करने या योजना को असफल घोषित कर इसके समापन के लिए अनुरोध करना शामिल है।

जहां कंपनी प्रशासक उपलब्ध नहीं है, वहां सुरक्षित लेनदार या हस्तांतरित कंपनी ऐसा आवेदन कर सकती है। न्यायाधिकरण ऐसे मामलों में आवेदन प्राप्त के 30 दिनों के भीतर तीन-चौथाई सुरक्षित लेनदारों की सहमति लेकर आवश्यक आदेश जारी कर सकता है।

पुनरुज्जीवन कोष और दिवालिया कोष की स्थापना

कंपनी अधिनियम, 2013 में यह भी अधिदेश दिया गया है कि एक पुनरुज्जीवन कोष और दिवालिया कोष की स्थापना की जाए जिसमें भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, कंपनियों द्वारा किये गये जमा संग्रहण, निवेश से प्राप्त आय या अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों को शामिल किया जा सकता है। इस कोष को कंपनी कर्मचारियों के भुगतान, कंपनी की परिसंपत्तियों की देखभाल या कार्रवाई के दौरान होने वाले आकस्मिक व्यय के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

यद्यपि ऐसे कोष की स्थापना को एक अच्छा कदम कहा जा सकता है फिर भी इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसमें निधियों का संग्रहण कैसे किया जाता है और इनका वितरण कैसे होता है?

कंपनी अधिनियम, 2013 का व्यापक दायरा

- जहां रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 केवल औद्योगिक कंपनियों के लिए लागू है वहीं कंपनी अधिनियम, 2013 में सभी क्षेत्रों में आने वाली कंपनियों को शामिल किया गया है। यह एक बड़ा कदम है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार एक कंपनी रुग्ण है या नहीं, इसमें संचित हानि के निवल मालियत से अधिक होने का मानक

लागू नहीं होता बल्कि यह इन कंपनियों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कर्जों की अदायगी के आधार पर निर्धारित होता है। अन्य शब्दों में, रुग्ण कंपनी के निर्धारण का मसला अब बैंकों/वित्तीय संस्थाओं (जमानती लेनदारों) के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इसे भी एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में रुग्ण कंपनियों के पुनरुज्जीवन और पुनर्वासन में सभी हितधारकों की भूमिका नहीं है और इसके प्रावधानों में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं (जमानती लेनदारों) की भूमिका ही केंद्र बिंदु में है। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को इस कदम से काफी राहत मिलने की आशा है।

उपसंहार

पिछले कुछ वर्षों से देश का आर्थिक वातावरण व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं रहा है जिसका स्पष्ट प्रभाव बैंकों के ऊपर पड़ा है। बैंकों में बढ़ती अनर्जक आस्तियां बैंकों के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई हैं। स्थिति इतनी भीषण है कि 29 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से 24 बैंकों की निवल अनर्जक आस्तियों का स्तर निवल अग्रिमों से 2 प्रतिशत से अधिक है जिससे वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निवेश करने के पात्र भी नहीं हैं। अतः अनर्जक आस्तियों को कम करना भी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए समय की पहली मांग है।

अतः बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को कॉर्पोरेट संस्थाओं में फंसे कर्जों की अदायगी के लिए आवश्यकता के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

नोट

अध्याय 19 धारा 253-261 वर्तमान में अधिसूचित नहीं हुए हैं अतः लागू नहीं हैं। समरूप प्रावधान (253 के) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 424क में वर्णित हैं। जिन विषयों पर कंपनी अधिनियम, 2013 अधिसूचित नहीं या लागू नहीं, वहां कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होंगे।

○○○

अनर्जक आस्तियों की वसूली - आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की भूमिका

किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान की तरह बैंकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन भी उनकी लाभप्रदता के आधार पर किया जाता है। बैंकों की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव डालने वाला एक बड़ा कारण वसूल न हो पाने वाले ऋणों (अनर्जक आस्तियों) की विद्यमानता और उनमें वृद्धि होना है। चूंकि बैंकों का मुख्य कार्य जमाओं के रूप में ऋण लेना और इस प्रकार जुटाई गई राशि को अधिक ब्याज दर पर उधार देना है, अतः उनकी लाभप्रदता के लिए यह पहली शर्त है कि इस प्रकार उधार दी गई राशि उन्हें ब्याज सहित समय पर मिलती रहे। लेकिन, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से बैंकों द्वारा उधार दी गई राशि का एक अच्छा-खासा भाग उन्हें ब्याज सहित समय पर नहीं मिलता या फिर उसके वापस मिलने की संभावना कम या खत्म हो जाती है, ये हैं -

- इरादतन चूक अर्थात् उधार लेने वालों द्वारा जानबूझकर उधार की चुकौती न करना।
- बैंकों द्वारा ऐसी कंपनियों/उद्योगों को उधार देना जिनमें बाद में समस्याएं उत्पन्न हो जाएं और वे चाहते हुए भी ऋण न चुका पाएं।



डॉ. रमाकांत शर्मा
महाप्रबंधक (से.नि.)
भारतीय रिज़र्व बैंक

- प्राकृतिक आपदाओं की वजह से उधार की चुकौती न होना।
- नीतिगत या प्रौद्योगिकीगत परिवर्तनों के कारण उधारकर्ता का समस्याग्रस्त होना।
- हड़ताल जैसी श्रमिक समस्याओं या कच्चे माल की अचानक कमी से उत्पन्न समस्याओं के कारण उधार न चुका पाना।
- अन्य ऐसे बाहरी कारण जिन पर ऋण देने वाले बैंक का कोई नियंत्रण न हो।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के प्रथम चरण में जहां बैंकों के आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था, वहीं सुधारों के दूसरे चरण में बैंकों की संस्थागत कार्यकुशलता में सुधार लाने पर बल दिया गया। बैंकों की लाभप्रदता में सुधार लाने के लिए अनर्जक आस्तियों में कमी लाने और इन पर लगाम लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता को शिद्दत से महसूस किया गया क्योंकि इनमें भारी वृद्धि हो रही थी। वास्तविकता तो यह है कि आज भी बैंकों की बढ़ती अनर्जक आस्तियां अर्थात् वसूल न हो पा रहे उधारों का बढ़ता भारी बोझ गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इस समस्या की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 31 दिसंबर 2013 की स्थिति के अनुसार बैंकों का कुल एनपीए 6.50 लाख करोड़ रुपये के ऊपर पहुंच चुका था (नवभारत 4 मई 2014)।

बढ़ती अनर्जक आस्तियों का बैंकिंग प्रणाली पर प्रभाव

- वसूल न हो पा रहे उधारों (एनपीए) के बढ़ते बोझ के निम्नलिखित गंभीर परिणाम सामने आते हैं-

- बैंकों की आय और संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- अनर्जक आस्तियों की समस्या के समाधान के लिए बैंकों को अपने संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। जिस श्रम, धन और समय का उपयोग बैंक अपना कारोबार बढ़ाने और लाभप्रदता में वृद्धि करने के लिए कर सकते थे, उसे इस समस्या के समाधान में लगाना पड़ता है।
- बैंक जोखिम उठाने से बचने लगते हैं। विशेषकर, वे छोटे उद्योगों, लघु कारोबारियों, कम आय वर्ग के लोगों तथा नई परियोजनाओं को उधार देने से बचते हैं, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक जोखिम निहित होता है। इससे बैंक का कारोबार सीमित होकर रह जाता है।
- चूंकि बैंक ज़रूरतमंद लोगों/उद्योगों को उधार देने से बचते हैं, अतः पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर पड़ता है।

ऋण आस्तियों को अनर्जक आस्तियों में परिवर्तित न होने देने के लिए उठाए गए कदम

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि बैंकों की बढ़ती अनर्जक आस्तियां जहां स्वयं बैंकों के संसाधनों और कारोबार पर विपरीत प्रभाव डालती हैं, वहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी खराब असर डालती हैं। अतः इस समस्या का समाधान करने के लिए कई कदम उठाए गए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नानुसार हैं -

- ऋण आस्तियों को 'मानक', 'अवमानक', 'संदिग्ध' और 'हानि' में वर्गीकृत करने के निदेश दिए गए ताकि उनकी वसूली की वास्तविक स्थिति प्रबंध-तंत्र के सामने आ सके, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए यथावश्यक कदम उठाए जा सकें तथा हानि की दशा में उनके लिए लेखा-बहियों में जरूरी प्रावधान किए जा सकें।
- बाद में, मानक और अवमानक आस्तियों के बीच एक नया वर्गीकरण 'विशेष उल्लेख खाते' या 'स्पेशल मेशन अकाउंट' के रूप में किया गया। इसका उद्देश्य ऐसी मानक आस्तियों को प्रबंध तंत्र के सामने लाना था

जिनके अवमानक आस्तियों में परिवर्तित होने के चिह्न प्रकट होने लगे हों ताकि समय रहते उन्हें अवमानक आस्तियों में परिवर्तित होने से बचाने के उपाय किए जा सकें। ऋण आस्तियों को 'स्पेशल मेशन अकाउंट' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं है कि उनकी चुकौती अतिदेय हो गई हो, इसके लिए ऐसे अन्य तत्त्वों को भी विचार में लिया जाता है जो ऋण खाते में अनियमितताओं तथा रुग्णता को प्रतिबिंबित करते हों। चूंकि ऐसे ऋण खातों पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें 'स्पेशल मेशन अकाउंट' कहा गया। यह बात ध्यान देने की है कि 'स्पेशल मेशन अकाउंट' के रूप में वर्गीकृत आस्तियां अनर्जक आस्तियां नहीं होतीं, ये वे आस्तियां होती हैं जिनके अवमानक या अनर्जक आस्तियों में परिवर्तित होने की आशंका उत्पन्न होने लगती है। वास्तव में, 'स्पेशल मेशन अकाउंट' में उन्हें वर्गीकृत ही इसलिए किया जाता है कि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए और उन्हें अवमानक आस्ति होने से बचाया जाए। 'स्पेशल मेशन अकाउंट' या 'दबावग्रस्त' आस्तियों को निम्नलिखित तीन उपवर्गों में वर्गीकृत किया जाता है-

स्पेशल मेशन अकाउंट-उपवर्ग	वर्गीकरण का आधार
एसएमए-0	अवमानक में परिवर्तित होने के वित्तेतर संकेत।
एसएमए-1	मूलधन और ब्याज की अदायगी 31-60 दिन तक अतिदेय हो गई हो।
एसएमए-2	मूलधन और ब्याज की अदायगी 61-90 दिन तक अतिदेय हो गई हो।

- 'स्पेशल मेशन अकाउंट' के तौर पर वर्गीकृत ऋण आस्तियों को अवमानक आस्तियों या अनर्जक आस्तियों के रूप में परिवर्तित होने से बचाने के लिए बैंकों के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं, ये हैं-

- ऋणकर्ता से वचन लेना कि वह एक निश्चित अवधि में खाते को नियमित कर देगा।
- ऋण की अवधि का पुनर्निर्धारण।
- ऋण की पुनर्रचना।
- पुनर्वास वित्त उपलब्ध कराना।
- ऋणकर्ता से समझौता करना।
- कानूनी कार्रवाई करना।

उक्त तमाम प्रयासों के बाद भी यदि विशेष स्थितियों के कारण संबंधित आस्तियों को अनर्जक आस्तियों में परिवर्तित होने से नहीं रोका जा सकता तो बैंक के पास उन्हें बट्टे खाते में डालने के अलावा कोई और विकल्प शेष नहीं रहता। इस स्थिति से बचने के लिए बैंकों को अपनी अनर्जक आस्तियों को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेचने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसके जरिए बैंक अपने उक्त डूबंत ऋणों की काफी सीमा तक वसूली कर सकते हैं और अपने तुलन-पत्रों से अनर्जक आस्तियों को कम कर सकते हैं या उन्हें हटा सकते हैं। इस संदर्भ में, हम यहां विशेष रूप में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की भूमिका पर चर्चा करेंगे।

आस्ति पुनर्निर्माण – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अनर्जक आस्तियों में कमी लाने के लिए विदेशों में 'असेट रिकंस्ट्रक्शन या आस्ति पुनर्निर्माण' जैसा महत्वपूर्ण उपाय पहले से ही मौजूद रहा है जिसे 'असेट मैनेजमेंट या आस्ति प्रबंधन' के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में बैंकिंग और वित्तीय सुधारों के लिए गठित नरसिंहम समिति प्रथम ने पहली बार 'आस्ति पुनर्निर्माण' शब्द का प्रयोग किया था। इस समिति ने केंद्र सरकार के अंशदान से एक 'केंद्रीय आस्ति पुनर्निर्माण निधि' की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था। इस निधि का उपयोग बैंकों के तुलनपत्रों से उनके अनर्जक ऋणों (आस्तियों) को हटाने के लिए किया जाना था। चूंकि यह विचार परवान नहीं चढ़ सका, अतः नरसिंहम समिति द्वितीय ने 'आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी' की संकल्पना प्रस्तुत की। यह संकल्पना मलेशिया और कोरिया जैसे विश्व के कई देशों में हुए सफल प्रयोग पर आधारित थी। इन कंपनियों की स्थापना की परिकल्पना डूबंत ऋणों की वसूली के

साथ-साथ उन्हें वसूली योग्य ऋणों में परिवर्तित करने का उद्देश्य लेकर की गई थी।

नरसिंहम समिति द्वितीय की सिफारिशों को विचार में लेते हुए संसद ने "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002" पारित किया। यह अधिनियम 21 जून 2002 से लागू हुआ जिसका उद्देश्य ऐसी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां स्थापित करने के लिए रास्ता खोलना था जो भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अशोध्य (डूबंत) तथा समस्याग्रस्त ऋणों को खरीद सकें तथा उनकी वसूली की प्रक्रिया को अंजाम दे सकें।

विधिक पहलू

- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कंपनी के रूप में की जा सकती है।
- उपर्युक्तानुसार गठित कंपनी का भारतीय रिज़र्व बैंक के पास विधिवत् पंजीकरण कराना होता है। इसके लिए उसे निर्धारित फार्म में आवेदन करना होता है।
- पंजीकरण के प्रयोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक आवेदक कंपनी की खाता-बहियों का निरीक्षण कर सकता है।
- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी के पास अपनी स्वयं की कम से कम 2 करोड़ रुपये की निधि होनी चाहिए अथवा ऐसी अन्य राशि होनी चाहिए जो उसके द्वारा अधिगृहीत कुल वित्तीय आस्तियों के 15 प्रतिशत से कम न हो।
- पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी परिचालन शुरू कर सकती है।

प्रारंभ में, भारत में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां स्वयं बैंकों द्वारा प्रायोजित की गई थीं, लेकिन बाद में इसमें निजी क्षेत्र ने भी प्रवेश किया। इस समय भारत में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, ये कंपनियां बैंकिंग प्रणाली की अनर्जक आस्तियों को अधिगृहीत करने, उनका प्रबंधन करने और

उनकी वसूली करने का काम करती हैं ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के तुलनपत्रों में से अनर्जक आस्तियों के अस्तित्व को कम/समाप्त किया जा सके और वे इस चिंता से मुक्त होकर अपने सामान्य कारोबार पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सकें।

भारत में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां एक न्यास के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अशोध्य और समस्याग्रस्त ऋणों को बट्टे पर खरीदती हैं, उनकी वसूली करती हैं तथा न्यास के प्रबंधन के लिए शुल्क अर्जित करती हैं। उक्त अधिनियम इन कंपनियों को बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के चूककर्ता फर्मों की भौतिक आस्तियों को अपने कब्जे में लेने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसा तब किया जा सकता है जब ऋण की राशि के आधार पर तीन-चौथाई ऋणदाता ऐसी कार्रवाई का समर्थन करें। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ये कंपनियां ऐसी विशेषज्ञ एजेंसियों के रूप में कार्य करती हैं जो बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के अशोध्य और समस्याग्रस्त ऋणों को खरीद कर उन्हें चिंता विमुक्त होने में सहायता प्रदान करती हैं।

उदाहरण के लिए, किसी बैंक के अशोध्य और समस्याग्रस्त आवास ऋणों को कोई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी खरीद लेती है तो बैंक की लेखा-बहियों में से उतना अशोध्य आवास ऋण निकल जाता है। चूंकि अशोध्य ऋणों की यह खरीद बट्टे पर की जाती है, अतः बैंक को प्रत्यक्षतः बट्टे की राशि जितनी हानि वहन करनी होती है। लेकिन, ऐसे अशोध्य ऋणों के विक्रय से उसे तत्काल वह शेष राशि प्राप्त हो जाती है, जिसकी वसूली उसके लिए कठिन या अशोध्य होने के कारण चिंता का कारण बन रही है। अनर्जक आस्तियों के विक्रय से प्राप्त इस राशि का उपयोग बैंक अपने व्यवसाय के लिए कर सकता है तथा अपने उन संसाधनों को भी उत्पादक कार्यों में लगा सकता है जो ऐसे अशोध्य ऋणों की वसूली के प्रयासों में जाया हो रहे थे।

दूसरी ओर, अशोध्य ऋण खरीदने वाली कंपनी अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके ऋणकर्ताओं से उन ऋणों की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर देती है। यदि ऋण की वसूली नहीं हो पाती तो वह ऐसे ऋणों के लिए बंधक रखी गई संपत्ति को बेचकर ऋण की वसूली कर सकती है। चूंकि ऐसी कंपनी का मुख्य कार्य यही होता है, इसलिए वह अपना पूरा ध्यान इस पर केंद्रित कर सकती है तथा अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग करते हुए उक्त प्रक्रिया को

कुशलतापूर्वक अंजाम दे सकती है। कहना नहीं होगा कि इसके लिए उसके पास प्रशिक्षित स्टाफ, अनुभव तथा सभी आधारभूत सुविधाएं और समर्थन उपलब्ध होता है।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा वित्तीय आस्तियों में अपना हित सृजित करना

वित्तीय आस्तियों में अपना हित सृजित करने के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां उक्त अधिनियम तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित कदम उठा सकती हैं -

- ये कंपनियां बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से उनकी अनर्जक आस्तियां या तो सीधे ही खरीद सकती हैं या फिर इस हेतु गठित न्यास (ट्रस्ट) के जरिए अधिगृहीत कर सकती हैं। इसके लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत पात्र संस्थागत क्रेताओं को प्रतिभूति रसीदें जारी करके संसाधन जुटाने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाती हैं।
- ये कंपनियां बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण के लिए डिबेंचर अथवा बांड अथवा डिबेंचर के स्वरूप वाली अन्य कोई प्रतिभूति जारी कर सकती हैं।
- उक्त अधिनियम के अंतर्गत पात्र संस्थागत क्रेताओं को प्रतिभूति रसीद जारी करके निधियां जुटाने का काम कर सकती हैं।
- ऋण की जमानत के रूप में रखी गई आस्तियों के प्रवर्तन के प्राधिकरण अथवा प्रबंधन को बदलने के अपने कानूनी प्राधिकार का प्रयोग करते हुए आस्ति पुनर्निर्माण कर सकती हैं।
- ऋण की जमानत के रूप में रखी गई संपत्ति/संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को शक्ति प्रदान कर सकती हैं तथा ऐसी जमानतों को बेचने या पट्टे पर देने या फिर चूककर्ता फर्मों आदि का प्रबंधन बदलने अथवा अपने अधिकार में लेने का काम कर सकती हैं।

आस्ति पुनर्निर्माण के तरीके

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी आस्ति पुनर्निर्माण के लिए निम्नलिखित तरीके अपना सकती है -

- ऋणकर्ता का प्रबंधन बदल सकती है या फिर अपने हाथ में ले सकती है।
- ऋणकर्ता के पूरे या आंशिक व्यवसाय को बेच सकती है या उसे पट्टे पर दे सकती है।
- ऋणकर्ता द्वारा चुकाई जाने वाली किस्तों का पुनर्निर्धारण कर सकती है।
- जमानत के रूप में रखी गई संपत्ति/आस्ति में हित का प्रवर्तन उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर सकती है।
- ऋणकर्ता द्वारा चुकाए जाने वाले ऋण का निपटान कर सकती है।
- जमानत के रूप में रखी गई आस्तियों को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने कब्जे में ले सकती है।

अपील की व्यवस्था

आस्ति पुनर्निर्माण की कार्रवाई से असंतुष्ट ऋणकर्ता या कोई व्यक्ति संबंधित ऋण वसूली न्यायाधिकरण के पास अपील दायर कर सकता है। अपील प्राधिकारी जमा की जाने वाली राशि को अपने विवेक के अनुसार कम या समाप्त कर सकता है। ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आदेश से असंतुष्ट ऋणकर्ता/व्यक्ति अपील न्यायाधिकरण के पास अपील कर सकता है।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लेनदेन का तरीका

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा विभिन्न न्यासों का गठन किया जाता है। ये न्यास ही बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की अनर्जक आस्तियां अधिगृहीत करते हैं।

- उक्त अधिनियम के अनुसार ऐसे किसी न्यास में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी का कम से कम 5 प्रतिशत का निवेश होना चाहिए।

- इस हेतु गठित न्यास अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक ही अस्तित्व में रह सकते हैं।
- अनर्जक आस्तियां उचित मूल्य पर खरीदी जाती हैं। उचित मूल्य तय करते समय वसूली योग्य राशि तथा वसूली में लगने वाले अनुमानित समय को विचार में लिया जाता है।
- न्यास द्वारा निवेशकों को प्रतिभूति रसीदें जारी की जाती हैं। ये निवेशक उक्त अधिनियम के अंतर्गत पात्र संस्थागत क्रेता का स्वयं अनर्जक आस्ति विक्रेता बैंक होते हैं।
- यदि आस्ति विक्रेता बैंक ही न्यास में निवेशक भी हों तो उनकी स्थिति ऋणदाता से बदलकर प्रतिभूति-निवेशक की हो जाती है और न्यास निधि में उनका अधिकार, स्वत्वाधिकार तथा हित निर्मित हो जाता है।
- अनर्जक आस्तियों के अधिग्रहण के साथ ही उन पर न्यास का विधिक स्वामित्व स्थापित हो जाता है और प्रतिभूतिधारक लाभार्थी बन जाते हैं। ऋणकर्ताओं से वसूल हुई राशि में से न्यास द्वारा प्रतिभूतिधारकों को निवेश की राशि लौटाई जाती है।

उपर्युक्त संपूर्ण प्रक्रिया के संचालन में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा न्यास को सहयोग प्रदान किया जाता है।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना से लाभ

उपर्युक्त विवेचन से आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की स्थापना के लाभ स्वतः ही स्पष्ट हो जाते हैं। संक्षेप में इन्हें निम्नानुसार क्रमबद्ध किया जा सकता है -

- किसी भी केंद्रीकृत प्रक्रिया से मिलने वाले सभी लाभ इसमें निहित हैं।
- विशेषीकृत कंपनी के रूप में काम करने के कारण आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की अनर्जक आस्तियों की समस्या के समाधान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर सकती है।
- इन कंपनियों की विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ उठाकर बैंक और वित्तीय संस्थाएं अशोध्य ऋणों की वसूली पर अपना समय और संसाधन न लगाकर उनका उपयोग

अपने सामान्य बैंकिंग कारोबार में कर सकती हैं और अपना पूरा ध्यान कारोबार अच्छी तरह संचालित करने तथा उसे बढ़ाने पर लगा सकती हैं।

- केंद्रीय एजेंसी के रूप में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी बैंकिंग प्रणाली से अशोध्य ऋण खरीदती है तथा उनके प्रतिभूतीकरण के माध्यम से नए निवेशकों को प्रणाली से जोड़ती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक को 'वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002' के अंतर्गत उक्त कंपनियों के विनियमन की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग ने समय-समय पर जो अधिसूचनाएं/परिपत्र जारी किए हैं, उनका समेकन मास्टर परिपत्र के रूप में किया गया है। इस मास्टर परिपत्र में प्रतिभूतीकरण/पुनर्निर्माण कंपनियों के पंजीकरण के लिए आवेदन, कारोबार शुरू करने के प्रमाण-पत्र, न्यूनतम स्वाधिकृत निधियां रखने, तिमाही विवरण प्रस्तुत करने, लेखापरीक्षित तुलन-पत्र प्रस्तुत करने, इनके द्वारा गठित न्यासों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश करने, जारी की गई प्रतिभूति रसीदों के निवल आस्ति मूल्य, प्रतिभूति रसीदें जारी करते समय किए जाने वाले प्रकटीकरण, वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण, जारी की गई प्रतिभूति रसीदों के मोचन, ऋणकर्ता का प्रबंधन बदलने या अपने हाथ में लेने, ऋण सूचना कंपनियों को सूचना प्रस्तुत करने, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री प्रणाली लागू करने से संबंधित दिशा-निर्देश शामिल हैं। इन सभी दिशा-निर्देशों का उद्देश्य उक्त कंपनियों के परिचालन को इस प्रकार विनियमित करना है जिससे देश, जनता, निवेशकों तथा स्वयं इन कंपनियों का हित सुरक्षित रहे।

हाल ही में, 28 मार्च 2014 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत शहरी सहकारी बैंकों को यह अनुमति प्रदान की है कि वे प्रतिभूति/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई अपनी वित्तीय आस्तियों के संबंध में इन कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन, ऐसा करते समय यह सुनिश्चित किया जाना

होगा कि किसी सक्षम न्यायालय ने उन्हें इस प्रकार के लेनदेन से प्रतिबंधित नहीं किया हो।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां और सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंक

जहां सरकारी क्षेत्र के बैंक अपनी अनर्जक आस्तियां इन आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेच रहे हैं, वहीं निजी क्षेत्र के बैंक अपनी अनर्जक आस्तियों की खुद वसूली पर अधिक जोर दे रहे हैं (नवभारत 28 मार्च 2014)। मार्च 2014 तिमाही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 10,000 करोड़ रुपये की अपनी अनर्जक आस्तियां उक्त कंपनियों को बेची हैं। इनमें से देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने कुल 67,800 करोड़ रुपये की अपनी अनर्जक आस्तियों में से लगभग 4000 करोड़ रुपये की अनर्जक आस्तियां आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची हैं। भारतीय स्टेट बैंक के 200 साल के इतिहास में यह पहला मौका था जब उसने अपनी अनर्जक आस्तियों की बिक्री की।

जहां तक निजी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, वे आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों का बहुत सीमित उपयोग कर रहे हैं। उक्त तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक की अनर्जक आस्तियां उसकी कुल ऋण आस्तियों का 3.3 प्रतिशत थीं। लेकिन उसने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अपनी कोई अनर्जक आस्ति नहीं बेची थी। एचडीएफसी बैंक ने मात्र 6 करोड़ रुपये और यस बैंक ने 12 करोड़ रुपये की अनर्जक आस्तियां ही उक्त कंपनियों को बेचीं।

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां बैंकों और वित्तीय कंपनियों की अनर्जक आस्तियों की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये बैंकों के फंसे हुए ऋणों यानि अनर्जक आस्तियों को बट्टे पर खरीदकर उनकी वसूली का दायित्व उठाती हैं। इससे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अनर्जक आस्तियों की वसूली की चिंता से निजात मिलती है और वे अपना पूरा ध्यान अपने कारोबार पर केंद्रित कर सकती हैं।

○○○

बैंकिंग उत्पादों का दुर्विक्रय एवं ग्राहक शोषण

किसी भी व्यापार या उद्योग की सफलता इस बात में है कि उसका विस्तार हो, उसके द्वारा उत्पादित या बेची जाने वाली वस्तुओं/सेवाओं को अधिक से अधिक लोग खरीदें और उससे संतुष्ट हों। आम तौर पर अधिक बिक्री ही अधिक लाभ में परिवर्तित होती है। अधिक बेचने की भावना बाज़ार में प्रतियोगिता उत्पन्न करती है। एक अच्छी बाज़ार अर्थव्यवस्था वह मानी जाती है जिसमें स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा मिले।

एकाधिकार अर्थात् मोनोपली का युग लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे उत्पादों व सेवाओं की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है जो एकाधिकार की सीमा में आते हों। उपभोक्तावाद की एक पहचान यह है कि इसमें एक जैसे उत्पादों व सेवाओं को बेचने वाले कई विक्रेता होते हैं तथा ग्राहकों को विकल्पों में से चुनने की छूट होती है। आज के समय को उपभोक्तावाद का युग कहा जाता है। अतः बाजार में ऊपर वर्णित स्थिति स्वाभाविक रूप से दिखाई देती है। एकाधिकार में जहां विक्रेता मजबूत स्थिति में होता है वहीं प्रतियोगिता में ग्राहक की ताकत ज्यादा होती है। बाजार में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने एवं ग्राहक सशक्तीकरण हेतु कई देशों में कानून बनाए गए हैं और हमारा देश भी इसका अपवाद नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ऐसा ही एक कानून है।



विजय प्रकाश श्रीवास्तव
संकाय सदस्य, प्रबंध विकास संस्थान
बैंक ऑफ इंडिया, बेलापुर

बैंकिंग सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत में जितनी प्रतिस्पर्धा बैंकिंग में देखने को मिलती है उतनी शायद ही किसी अन्य कारोबार में। सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक हैं, निजी क्षेत्र के नई एवं पुरानी पीढ़ी के बैंक हैं, विदेशी बैंक हैं और सहकारी बैंक हैं। ग्रामीण इलाकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं। अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए सभी बैंकों को ग्राहकों की ओर उनसे व्यवसाय हासिल करने की जरूरत है। अतः उनके बीच प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है। लेकिन यह प्रतिस्पर्धा केवल बैंकों के ही बीच आपस में नहीं है, बल्कि बैंकों की प्रतिस्पर्धा स्टॉक मार्केट, म्यूच्युअल फंड, बीमा कंपनियों, डाक घर और सर्राफा बाजार से भी है क्योंकि वे भी ग्राहक को निवेश का विकल्प प्रदान करते हैं और कई मामलों में यहां प्रतिफल ज्यादा मिल सकता है, भले ही जोखिम भी ज्यादा हो। कुल निष्कर्ष यह है कि बैंकिंग कारोबार हर तरफ से प्रतिस्पर्धा से घिरा हुआ है और प्रतिस्पर्धा में आगे रहना किसी भी बैंक के लिए आसान कार्य नहीं है।

अपने कारोबारी लक्ष्यों को लेकर इन दिनों बैंक अत्यधिक गंभीर हैं। बैंकों के कॉरपोरेट प्लान में इन लक्ष्यों का उल्लेख होता है। अंततः ये लक्ष्य शाखाओं के बीच आबंटित किए जाते हैं। कार्मिकों विशेषकर सेल्स/मार्केटिंग स्टाफ के लिए लक्ष्य निर्धारित करने का चलन बैंकों व वित्तीय संगठनों में बढ़ रहा है। हमारे देश में बैंकिंग कारोबार के नियमन का कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंपा गया है। भारतीय बैंक संघ तथा भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) भी बैंकों के कामकाज पर निगरानी रखते हैं। इन सभी की नीति भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को पारदर्शी व नैतिकतापूर्ण बनाने की रही है। अगर बैंक इन संस्थाओं के बताए हुए रास्तों एवं निर्देशों पर चलें तो माना जाएगा कि बैंक ग्राहकों के साथ अपने संव्यवहारों में पूरी सावधानी बरत रहे हैं और अपनी तरफ से उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दे रहे हैं।

लेकिन कभी-कभी बैंकों से चूक हो जाया करती है। कारोबार बढ़ाने की कोशिश में बैंक के कुछ कार्मिक या प्रतिनिधि विक्रय एवं दुर्विक्रय के बीच के अंतर को भूल जाते हैं। दुर्विक्रय के कुछ उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं -

बढ़ा-चढ़ाकर या झूठे दावे करना

जब से बैंकों ने तीसरी पार्टी के उत्पाद बेचने शुरू किए हैं तब से ऐसे मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों ब्याज से इतर आय जुटाने के लिए बैंकों द्वारा बीमा पॉलिसियां, म्यूच्युअल फंड तथा सोने के सिक्के बेचने का कार्य किया जा रहा है। इनके विक्रय की प्रक्रिया में कई बार बढ़ा-चढ़ाकर या झूठे दावे किए जाते हैं। बीमा में ग्राहक को कुछ ऐसे लाभ गिना दिए जाते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। जोखिमों को कवर करने की कतिपय शर्तें होती हैं। इन शर्तों के बारे में या तो ठीक से नहीं बताया जाता या छिपाया जाता है। बीमा सुरक्षा में क्या कवर है यह तो सभी बताते हैं लेकिन क्या कवर नहीं होगा इसे स्पष्ट रूप से अक्सर नहीं बताया जाता। म्यूच्युअल फंड ग्राहक द्वारा जमा की गई पूरी राशि फंड की यूनिट्स खरीदने में लगा दी जाए ऐसा कम ही होता है। लोड फैक्टर तथा अन्य खर्चों के लिए म्यूच्युअल फंड कंपनियां ग्राहकों से पैसे वसूल करती हैं पर ग्राहक को इसके बारे में पहले से बताया नहीं गया होता। ऐसे ही लॉक-इन पीरियड के विषय में तथ्य छुपाए जाने के मामले देखने में आए हैं। कुछ वर्षों पहले तक कई म्यूच्युअल फंड अपनी खास योजनाओं के लिए गारंटीयुक्त प्रतिफल का दावा करते थे। बाद में सेबी ने इस तरह के दावे करने पर रोक लगा दी। म्यूच्युअल फंड कंपनियां भले ही आज अपने विज्ञापनों में इसका जिक्र न कर सकें पर उनके विक्रय प्रतिनिधि अभी भी ग्राहकों के सामने अवास्तविक आशावादी तस्वीर प्रस्तुत कर उन्हें आकर्षित करने की चेष्टा करते हैं।

क्रेडिट कार्ड का ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए दुर्विक्रय के तरीके अपनाए जा रहे हैं। आज बहुत से कार्ड विक्रेता बैंक अपना बेसिक कार्ड आजीवन मुफ्त (लाइफ टाइम फ्री) देने की पेशकश करते हैं। आजीवन मुफ्त का आशय अधिकांश ग्राहक यह लगाते हैं कि उन्हें कार्ड के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है, जबकि वास्तव में हमेशा ऐसा नहीं होता। ग्राहकों से सदस्यता शुल्क भले ही न लिया जाए; प्रोसेसिंग

शुल्क, नवीकरण शुल्क आदि शुल्कों की मांग की जाती है जो ग्राहक की उम्मीद से परे होता है। ऐसी घटनाएं ग्राहक के विश्वास को चोट पहुंचाती हैं। क्रेडिट कार्ड के बिल के देरी से भुगतान पर अत्यधिक ऊंची दर से जुर्माना लगाना इस व्यापार में बहुत दिनों से चला आ रहा है। अगर ग्राहक को स्पष्ट रूप से बताकर शुल्क की वसूली की जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें अंधकार में रखकर या उनकी सरलता का फायदा उठाकर गैर वाजिब शुल्क लेना ग्राहक का शोषण करना ही कहा जाएगा। क्रेडिट कार्ड के फार्म में भले ही सारी बातों का जिक्र हो, पर विक्रय प्रतिनिधि अक्सर ग्राहक से फार्म पर जल्दी में हस्ताक्षर करा लेते हैं और उन्हें फार्म में दिए गए नियमों को पढ़ने या समझने का मौका ही नहीं देते। यहां ग्राहक को भी सावधानी बरतनी चाहिए और जहां कहीं भी जरूरी लगे, उसे सवाल पूछने से नहीं चूकना चाहिए।

अनावश्यक/आवश्यकता से अधिक ऋण देना

बैंकों की आय का एक मुख्य जरिया उनके द्वारा दिए गए ऋणों पर मिलने वाला ब्याज है। बैंक जमाराशि जुटाते ही इसलिए हैं कि इसका बड़ा हिस्सा ऋण के रूप में दे सकें। अतः सभी बैंकों की कोशिश रहती है कि उनका ऋण पोर्टफोलियो बढ़े। आज बैंकों के पास प्रायः सभी वैध उद्देश्यों के लिए ऋण योजनाएं हैं। विशेषकर खुदरा ऋणों पर बैंक ज्यादा जोर दे रहे हैं। चिंता की बात यह है कि ऋण आवश्यकताओं का आकलन करते समय कई बार बैंकों और/या उनके प्रतिनिधियों द्वारा उतनी सावधानी नहीं बरती जाती जितनी कि अपेक्षित है। जो भी ऋण लेने को तैयार हो उसे कुछ कागजात हस्ताक्षर कराकर ऋण दे देना समस्या को घर बुलाने जैसा है। इस तरह से दिए गए ऋणों के अनुत्पादक आस्ति में बदलने की संभावना ज्यादा होती है। यह मानकर चलना कि हर कोई वास्तविक जरूरत होने पर ही ऋण लेगा, गलत निर्णयों का कारण बन सकता है। गलत निर्णय तब भी कहा जाएगा जब किसी को उस सीमा से अधिक ऋण दिया जाए जितना उसकी परियोजना, चाहे वह उद्यम हो या खरीददारी, के लिए आवश्यक है। आजकल लोगों को फोन कर पूछा जाता है कि क्या उन्हें कर्ज की जरूरत है। ज्यादातर ऐसी कॉल्स निजी बैंकों के सेल्स एजेंट करते हैं। यहां इस बात की पूरी संभावना बनती है कि कुछ लोग आगे बढ़कर ऋण लेने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हो जाएंगे कि उन्हें कोई ऋण देने की पेशकश कर रहा है। साथ

ही, लोग ऋण लेने का बहाना भी ढूँढ़ लेंगे। ऋणों की मार्केटिंग करना तो ठीक है पर इसमें अत्यधिक सजग रहने की जरूरत है।

कुछ मामलों में ऋण योजनाओं को अत्यधिक आकर्षक बनाकर पेश किया जाता है और जो बातें ग्राहक को विमुख कर सकती हैं उन्हें छिपाया जाता है। जैसे समय पर भुगतान न करने की स्थिति में दंड ब्याज, स्वीकृत ऋण सीमा का उपयोग न करने की स्थिति में लिया जाने वाला शुल्क, वसूल किए जाने वाले वार्षिक शुल्क वगैरह। समीकृत मासिक किस्त की राशि के निर्धारण में कुछ बैंक पारदर्शिता नहीं बरतते। शुरू में ग्राहक को लुभाने के लिए कुछ और बताया जाता है पर बाद में स्थिति कुछ और होती है। ऋणों पर ब्याज की गणना करने का तरीका सभी बैंकों में एक जैसा नहीं है। एक जितनी रकम और एक ही ब्याज दर तथा अदायगी अवधि होते हुए किसी बैंक में किस्त कम रकम की होती है तो कहीं ज्यादा की। अंतर ब्याज की गणना करने की पद्धति में है, कुल मिलाकर जिसका परिणाम ग्राहकों द्वारा बैंक को ज्यादा रकम चुकाने में होता है।

किसी भी सौदे में दो पक्षकार होते हैं - बेचने वाला एवं खरीदने वाला। जहां बेचने वाले को चाहिए कि वह अपने द्वारा बेची जाने वाली वस्तु या सेवा के बारे में सब कुछ स्पष्ट रूप से बताए और कुछ छुपाए नहीं, वहीं खरीददार का भी फर्ज बनता है कि खरीदने से पहले वह सौदे को समझ व परख ले ताकि उसे बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन बैंकिंग उत्पादों के मामले में यहां एक चुनौती सामने आती है। भौतिक अथवा उपभोक्ता वस्तुओं की सामने से जांच पड़ताल करना आसान होता है, लेकिन वित्तीय उत्पाद जिनमें बैंक योजनाएं भी शामिल हैं, अमूर्त रूप में होते हैं। इसमें सब कुछ सामने नहीं होता। फिर वित्तीय उत्पाद जटिल भी होते हैं। यहां वित्तीय साक्षरता की भूमिका समझ में आती है। साक्षरता में हमारा देश पहले ही पीछे है और वित्तीय साक्षरता में उससे भी पीछे। वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्राहकों का शोषण होने के पीछे एक बड़ा कारण है - ग्राहकों का वित्तीय रूप से साक्षर न होना। वित्तीय साक्षरता से अभिप्राय वित्तीय मसलों की समझ व ज्ञान रखना है ताकि इनके आधार पर बचत, निवेश तथा कर आयोजना संबंधी समुचित निर्णय लिए जा सकें। वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता मुख्यतः व्यक्तिगत वित्त के संदर्भ में होती है और इसमें उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों को जानना शामिल है।

भारतीय रिज़र्व बैंक तथा सेबी जैसी संस्थाओं ने वित्तीय साक्षरता के विस्तार हेतु पहल की है। कुछ बैंकों की तरफ से वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनकी सेवाएं निःशुल्क तथा बगैर किसी बाध्यता के हासिल की जा सकती हैं। कस्बाई एवं ग्रामीण इलाकों तक इन केंद्रों की पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता से कोई इंकार नहीं कर सकता क्योंकि वित्तीय साक्षरता की कमी वहाँ की जनता में ज्यादा दिखती है।

यह भी पाया गया है कि कई बार जिस संस्था द्वारा वित्तीय उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है, उसके कर्मचारियों या बिक्री/ कॉल सेंटर प्रतिनिधियों को ही उत्पाद के बारे में पूरी अथवा सही जानकारी नहीं होती। अतः उनसे ग्राहक को मिलने वाली जानकारियां भी गलत या आधी-अधूरी होती हैं। बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को इस पर ध्यान देते हुए इस कमी को दूर करना चाहिए। इस हेतु प्रशिक्षण की मदद ली जा सकती है। एक औसत ग्राहक की सोच यह होती है कि जो लोग बैंक आदि में काउंटर पर बैठे हैं और उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हें चुनकर रखा गया है। वे योग्य तथा विश्वसनीय हैं। ग्राहकों का ऐसा भरोसा अगर टूट जाता है तो इसे दुःखद ही कहा जाएगा।

दुर्विक्रय एवं ग्राहक शोषण का पक्ष नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है। कारोबार में नैतिकता को अपनाना एक गंभीर विषय है और इससे कारोबारी की रेटिंग और छवि निर्धारित होती है। बहुत से विदेशी संस्थागत निवेशक ऐसी कंपनियों में निवेश नहीं करते जिनका कारोबारी नैतिकता में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अगर किसी संस्था को अपना कारोबार बढ़ाना है, बाजार में टिके रहना है और अपनी उम्दा छवि बरकरार रखनी है तो यह नैतिकता को अपनाकर ही संभव हो सकता है। आधुनिक संगठन बहुत सोच-विचार करने के पश्चात् अपने विज्ञान, मिशन तथा संस्थागत मूल्यों का निर्धारण करते हैं और इनमें सभी स्तरों पर नैतिकता को अपनाने की बात कही गई होती है। बड़े, मंजोले सभी बैंकों व वित्तीय संस्थाओं पर यह लागू है। यहां बड़ी चुनौती यह है कि ग्राहकों के साथ संव्यवहारों में यह नैतिकता परिलक्षित हो। यह तभी संभव होगा जब ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार हो, उनसे लिया जाने वाला शुल्क नियमानुसार एवं वाजिब हो, उन्हें वास्तविक व पूरी जानकारी मिले और किसी भी प्रकार से उनका शोषण न हो।

○○○

भारतीय महिला बैंक – अवसर और चुनौतियां

भारत सरकार ने वार्षिक बजट 2013 में 1,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र में एक महिला बैंक की स्थापना करने की घोषणा की थी, जिसे 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जन्म तिथि के दिन से प्रारंभ किया गया है। यह महिला बैंक मुख्यतः महिला उद्यमियों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य करेगा। उक्त बैंक की रूपरेखा तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) को केनरा बैंक के पूर्व सीएमडी श्री एम.बी.एन.राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसके सदस्यों में बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व सीएमडी एम. डी. माल्या, सेवा प्रबंध निदेशक जयश्री व्यास, स्टेट बैंक कैपिटल की प्रबंध निदेशक और सीईओ अरुंधति भट्टाचार्य, पंजाब नेशनल बैंक की कार्यपालक निदेशक उषा अनंतसुब्रमण्यम और भारतीय बैंक संघ (IBA) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री के. रामकृष्णन शामिल हैं। इस समिति ने अप्रैल 2013 में अपनी रिपोर्ट जारी की। सितम्बर 2013 में महिला बैंक में 115 परिवीक्षाधीन अधिकारियों (PO) की भर्ती के लिए आवेदन जारी किए गए, जिसमें चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची में 64 फीसदी महिलाएं हैं।



निधि चौधरी

भारतीय प्रशासनिक सेवा
महाराष्ट्र

महिला बैंक की आवश्यकता

संयुक्त राष्ट्र के कई शोधों से पता चला है कि अगर महिलाएं कमाने लगे तो परिवार में उनका स्तर बढ़ता है। वर्ष 2012 के विश्व बैंक के एक सर्वे के मुताबिक भारत में केवल 26 फीसदी महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है। ग्रामीण भारत में यह संख्या और भी कम है। देश में लगभग 35 फीसदी महिलाएं आज भी साक्षर नहीं हैं और उनके लिए बैंकिंग परिचालनों को समझना अत्यंत कठिन है। ऐसी स्थिति में यदि महिला बैंक अन्य बैंकों से भिन्न प्रक्रियाएं अपनाता है तो वह निरक्षर एवं कम पढ़ी-लिखी महिलाओं तक अपनी पहुंच स्थापित कर सकेगा तथा अब तक वित्तीय क्षेत्र की पहुंच से वंचित महिलाओं के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। महिला बैंक की स्थापना महिला स्वयं सहायता समूहों के विकास और उन्नयन में भी योगदान देगी। इससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकेगा जिसकी मौजूदा परिस्थितियों में नितांत आवश्यकता है।

महिला बैंकों की पृष्ठभूमि

देश में महिला बैंक की स्थापना कोई नई बात नहीं है। हां, केंद्रीय सरकार द्वारा बजट के माध्यम से पहली बार ऐसा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। छोटे स्तर पर महिला बैंकों की स्थापना के प्रयास भारत में ही नहीं, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में भी किए जा चुके हैं। वर्ष 1947 में पांडियन बैंक ने मदुरै के टाउन हॉल सड़क पर एक पूर्णतया महिलाओं द्वारा संचालित शाखा खोली थी, जिसमें उस समय 10 महिलाएं कार्य करती थीं। इसके अलावा 1974 में इला भट्ट ने गुजरात में सेवा बैंक की स्थापना की थी जो कि आज लगभग एक लाख महिलाओं को ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। इसी समय बांग्लादेश में मुहम्मद युनूस द्वारा ग्रामीण बैंक के माध्यम से महिलाओं को

ऋण देने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसे बाद में वर्ष 2005 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 1989 में सरकार द्वारा 100 मिलियन की चुकता पूंजी (Paid-up Capital) के साथ महिला बैंक की स्थापना की गई। आज वहां सरकारी महिला बैंक की लगभग 38 शाखाएं कार्य कर रही हैं। इसके अलावा युगांडा, श्रीलंका, मॉरीशस इत्यादि देशों में भी महिलाओं के द्वारा बैंक संचालित किए जा रहे हैं जिनके द्वारा न सिर्फ महिलाओं को बैंकिंग सुविधाएं दी जाती हैं वरन् उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्य कार्यक्रमलाप भी किए जाते हैं।

भले ही प्रस्तावित महिला बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक होगा, लेकिन महिलाओं द्वारा एक लंबे अरसे से विकसित एवं विकासशील देशों में बैंक संचालित किए जा रहे हैं। भारत में भी सरकारी बैंकिंग के क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात एवं दक्षिण भारत के राज्यों में कई महिला बैंक कार्य कर रहे हैं, इसलिए सरकार द्वारा महिला बैंक की घोषणा कोई नवोन्मेष न होकर छोटे स्तर पर पहले से ही सफल हो चुके परीक्षण को बड़े स्तर पर लागू की गई महती आकांक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए।

कैसे भिन्न होगा महिला बैंक ?

सार्वजनिक क्षेत्र का यह महिला बैंक अन्य बैंकों से कई मायनों में भिन्न होगा। इस बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी महिलाएं होंगी। बैंक में महिलाओं को आसानी से बचत खाते, कर्ज, बीमा, पेंशन इत्यादि सुविधाएं मिल सकेंगी। महिला बैंक की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

- यह बैंक मुख्य रूप से छोटे स्तर पर कारोबार करने वाली महिला कारोबारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा।
- यह महिलाओं के वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने की दिशा में कार्य करेगा।
- पंजाब नैशनल बैंक की कार्यपालक निदेशक सुश्री उषा अनंतसुब्रमण्यम भारतीय महिला बैंक की पहली अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं।
- पुरुषों को इस बैंक से पूरी तरह अलग नहीं किया गया है। पुरुष इस बैंक में अपना पैसा जमा कर सकेंगे, लेकिन

उन्हें बैंक से किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता अर्थात् ऋण नहीं मिलेगा।

- यह बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। अर्थात् फिलहाल इसे निजी या विदेशी बैंकों द्वारा खोले जाने की घोषणा नहीं की गई है।
- भारतीय महिला बैंक नवम्बर 2013 में सभी छह बैंकिंग क्षेत्रों (Banking Regions) में एक-एक शाखा के साथ प्रारंभ किया गया है। इस बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। इसकी पहली शाखा नरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर स्थापित की गई है।
- प्रारंभ में यह कहा गया था कि इस महिला बैंक में सभी कर्मचारी व अधिकारी भी महिलाएं ही होंगी, किन्तु इस बैंक द्वारा की गई परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती में 36 फीसदी पुरुषों का चयन किया गया है।
- इस बैंक को शुरू में 1,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे छोटे स्तर पर ऋण मुहैया करवाने के दृष्टिकोण से पर्याप्त माना जा सकता है। ज़रूरत के मुताबिक सरकार पुनः इस बैंक को पूंजी दे सकती है।
- इस बैंक के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नए बैंकों के लिए जारी दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे।
- यह बैंक भी सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा होगा, इसलिए इस पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में जारी दिशा-निर्देश ही लागू होंगे।
- यह अनुमान लगाया गया है कि यह बैंक अपने संचालन के पहले वर्ष में 40 शाखाओं, 125 एटीएम तथा लगभग 30,000 ग्राहकों के साथ कार्य करेगा जो कि सातवें वर्ष तक 800 शाखाएं, 2,100 एटीएम तथा 55 लाख से अधिक ग्राहक खाते खोल पाएगा।

क्या है महिला बैंक के फायदे ?

बजट 2013-14 में वित्त मंत्री द्वारा की गई महिला बैंक की घोषणा को प्रायः सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस प्रकार का बैंक वित्तीय समावेशन, महिला

सशक्तीकरण, बैंकिंग में विविधीकरण एवं बेहतर जोखिम प्रबंधन करने में सफल होगा जिनकी विवेचना नीचे दिए गए शीर्षकों के तहत की गई है -

- **वित्तीय समावेशन** - विश्व बैंक की ग्लोबल फाइनेंशियल इनक्लूजन डेटाबेस स्टडी के मुताबिक भारत में केवल 26 प्रतिशत महिलाओं का किसी वित्तीय संस्था में औपचारिक खाता है। इसका मतलब है कि उनका किसी बैंक, क्रेडिट यूनियन, सहकारी समिति, पोस्ट ऑफिस या सूक्ष्म वित्त संस्था में से किसी एक में खाता है। यह वैश्विक औसत 47 प्रतिशत से कम है, यहाँ तक कि विकासशील देशों के 37 प्रतिशत के मुकाबले भी कम है। स्पष्ट है कि देश में सामाजिक, आर्थिक कारणों से महिलाओं का वित्तीय समावेशन नहीं हुआ है। अतः महिला बैंक उन तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हो सकता है।
- **महिला सशक्तीकरण** - भारत में अधिक से अधिक महिलाएं अब कामकाजी होती जा रही हैं और उनकी एक बड़ी संख्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। ऐसे में महिला बैंक महिलाओं के सशक्तीकरण और उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। पिछले कुछ सालों से देश में बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। कई बैंकों की मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी महिलाएं हैं। मसलन एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड की प्रमुख क्रमशः शिखा शर्मा, चंदा कोचर एवं रेणु कर्नाड हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए बैंक की अवधारणा बैंकिंग से महिलाओं को बड़ी संख्या में जोड़ने और उनके सशक्तीकरण में योगदान देगा।
- **रोजगार** - सूत्रों के अनुसार दो साल में इसकी शाखाओं की संख्या 60 की जाएगी। स्पष्ट है कि युवा महिलाओं के लिए इन बैंकों में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सरकार महिला बैंक को बड़े वित्तीय आकार के साथ शुरू करना चाहती है। बैंकों की बड़ी शाखाओं में औसतन 75

से 100 जनबल की ज़रूरत होती है। बैंकिंग विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि बैंकों के लिए कुशल और अच्छी-खासी संख्या में मानव संसाधन जरूरी होता है। ऐसे में महिला बैंक महिलाओं के लिए नौकरी के नए रास्ते खोलेगा जिससे बैंकिंग उद्यम में लिंग समानता भी बढ़ेगी।

- **बेहतर जोखिम प्रबंधन** - वित्तीय मामलों के जानकार एवं सामाजिक वैज्ञानिक लीड विश्वविद्यालय के अध्यापक निक विलसन कहते हैं कि महिला प्रबंधकों का नजरिया वित्तीय जोखिम के मामले में संतुलित रहता है। वे दबाव में भी सही निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। महिलाओं द्वारा संचालित महिला बैंकों में जोखिम प्रबंधन भी अन्य बैंकों की तुलना में अधिक संतुलित होने की संभावना है।
- **बैंकिंग में विविधीकरण** - वर्ष 2008 के आर्थिक संकट के बाद यह स्पष्ट सबक मिला है कि अर्थव्यवस्था में एक ही प्रकार के बैंकों के बजाय अलग-अलग प्रकार के बैंक होने चाहिए। यह विविधीकरण संकट के समय सभी बैंकों के एक साथ विफल होने की संभावना को टालता है। यूं तो भारतीय बैंकिंग में अनेक मॉडल हैं, महिला बैंकों की यह नई अवधारणा इस विविधीकरण को और बढ़ाएगी।
- **स्वयं सहायता समूहों की प्रगति** - पिछले कुछ दशकों में देश में महिला स्वयं सहायता समूहों की संख्या काफी बढ़ी है। इन स्वयं सहायता समूहों को महिला बैंकों की स्थापना से विशेष लाभ होगा क्योंकि अब ये समूह महिला बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
- **सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए प्रतिस्पर्धा** - अब तक देश में महिलाओं को दिए जाने वाले ऋणों का प्रतिशत बहुत ही कम रहा है। प्रायः ये ऋण सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा ही दिए जाते हैं। अब महिला बैंक की स्थापना से सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को अच्छी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिससे महिलाओं को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर में भी कमी आएगी।

क्या हैं महिला बैंक की चुनौतियां ?

महिला बैंक की स्थापना का विचार महिलाओं के उत्थान की दिशा में एक अच्छी सोच कहा जा सकता है लेकिन इसकी सफलता में अनेक बाधाएं रुकावट बन सकती हैं। महिलाओं की गतिशीलता पर प्रतिबंध, आस्तियों पर स्वामित्व की कमी, सम्पत्ति के न होने, बैंकिंग परिचालनों में जटिल प्रक्रियाओं, लालफीताशाही इत्यादि के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को दूर किए बिना केवल महिला बैंक की स्थापना से देश की आधी आबादी को वित्तीय तंत्र में समावेशित करना संभव नहीं होगा और यह बैंक भी शहरी महिलाओं से अधिक अपनी पहुंच स्थापित नहीं कर पाएगा। नीचे दिए गए बिंदुओं में इन चुनौतियों की चर्चा की गई है-

- **सामाजिक गतिशीलता की कमी** - बैंकिंग सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण सामाजिक गतिशीलता से जुड़ा है। अब शिक्षा, जागरूकता, महिला अधिकारों के बारे में चेतना बढ़ाए बिना केवल महिला बैंक के माध्यम से महिलाओं का वित्तीय समावेशन एक गंभीर चुनौती होगा।
- **महिलाओं की औपचारिक क्षेत्र में नगण्य उपस्थिति** - हमारे देश में बहुत कम महिलाएं औपचारिक क्षेत्र का हिस्सा हैं और अधिकांश अपने घरों से ही छोटे-मोटे काम करती हैं। ऐसे में, औपचारिक बैंकों की औपचारिक कार्यप्रणालियों से कितनी सहजता होगी, यह कहना कठिन है।
- **वित्त पर नियंत्रण का अभाव** - भारत में अधिकांश महिलाएं अपनी कमाई पति के हाथों में थमा देती हैं। कई अध्ययनों से साबित हुआ है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा बचत करने वाली होती हैं, किंतु बैंक खाते न होने की वजह से उन्हें अपनी आमदनी घर के पुरुषों के हाथ में थमानी पड़ती है। इसलिए केवल महिला बैंक खोलने के बजाय सभी बैंकों को अधिकाधिक महिलाओं के बैंक खाते खोलने के लिए प्रेरित करना जरूरी है।
- **निरक्षरता** - हमारे देश में महिलाओं की साक्षरता केवल 65 प्रतिशत के आस-पास है, वहीं वित्तीय साक्षरता के

मामले में तो स्थिति और भी बदतर है। महिलाओं की आर्थिक परतंत्रता के पीछे कई संस्थागत कारण जिम्मेदार हैं, जिन्हें दूर किए बिना महिला बैंक की स्थापना एक प्रतीकवाद (Tokenism) से अधिक अहमियत नहीं रखती।

- **मॉर्टगेज न होना** - बैंकों द्वारा ऋण देते समय ग्राहक की ऋण चुकाने की क्षमता को परखा जाता है, जिसमें ग्राहक के पास स्थिर आमदनी का स्रोत, संपत्ति पर स्वामित्व इत्यादि पर ध्यान दिया जाता है। इस संदर्भ में यह विचारणीय है कि हमारे देश में बड़ी संख्या में महिलाओं के पास संपत्ति का अधिकार नहीं है और यही वजह है कि वे ऋण के बदले कुछ जमा कराने की स्थिति में नहीं होंगी जिससे ऋण प्राप्त करने में आने वाली अड़चनें महिला बैंक की स्थापना के बाद भी यथावत् रहेंगी।
- **लैंगिक असमानता को बढ़ावा** - कई आलोचकों का मत है कि महिला बैंक की स्थापना वित्तीय क्षेत्र में लैंगिक असमानता उत्पन्न करती है। भारत को वास्तव में ज्यादा से ज्यादा बैंकों की जरूरत है जो कि स्त्री और पुरुष सभी उद्यमियों को ऋण उपलब्ध करवाएं ताकि देश के विकास में लघु उद्यमों का योगदान बढ़ सके। ऐसे में एक महिला बैंक की स्थापना के बजाय बैंकिंग कर्मचारियों को महिला उद्यमियों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाना अधिक आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे श्री जे.एस. वर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार देश में लिंग भेद को बढ़ावा दे रही है। बजट में महिला बैंक खोलने की बात बिल्कुल बेतुकी है। महिला-पुरुष का भेद करना ठीक नहीं, अगर सरकार महिलाओं पर ध्यान देना चाहती है तो सभी बैंकों में उनके लिए अलग व्यवस्था क्यों नहीं कराती?
- **सूक्ष्म वित्त संस्थाओं से टकराव** - बैंक की घोषणा से छोटे कर्जदाताओं विशेषकर सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एम.एफ.आई.) के बीच संशय तथा प्रतिस्पर्धा की भावना पनपने लगी है क्योंकि एम.एफ.आई. का अब

तक महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करने में लगभग एकाधिकार रहा है।

- **मानव संसाधन की चुनौतियां** – सरकारी बैंकों में कार्यरत मानव संसाधन की समस्याओं से जुड़ी हुई खंडेलवाल समिति का मानना है कि मानव संसाधन स्तर पर सरकारी बैंकों की चुनौतियां कम होने के बजाय बढ़ने वाली हैं क्योंकि आगामी वर्षों में तकरीबन 80 प्रतिशत महाप्रबंधक, 65 प्रतिशत उप महाप्रबंधक, 58 प्रतिशत सहायक महाप्रबंधक और 44 प्रतिशत मुख्य प्रबंधक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस वजह से रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2010 से वर्ष 2020 की अवधि को सेवानिवृत्ति का दशक करार दिया है। स्पष्ट है, बैंकों में नवीन स्टाफ एवं अधिकारियों की भर्ती के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होगी और योग्य मानव संसाधन की कमी, नौकरी से इस्तीफा इत्यादि का खामियाजा महिला सरकारी बैंक को भी भुगतना पड़ सकता है।
- **पूर्ववर्ती प्रयासों की असफलता** – भारत के सरकारी महिला बैंक का पूर्ववर्ती पाकिस्तान का सरकारी महिला बैंक मॉडल लगभग असफल हो चुका है। वर्ष 1989 में प्रारंभ होने के बावजूद पिछले 24 सालों में इसकी केवल 38 शाखाएं खुली हैं। ऐसे में भारत के पहले सरकारी महिला बैंक से सीमित संसाधनों के साथ वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तीकरण की बड़ी उम्मीदें पालना परिकल्पना हो सकती है।

सारांश

सार रूप में हम कह सकते हैं कि इक्कीसवीं सदी में जब लैंगिक समानता एवं स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया जा रहा है, एक महिला बैंक का विचार पढ़े-लिखे शहरी समुदाय में भले ही दकियानूसी लगता हो लेकिन हमारा देश आज भी एक ग्रामीण बाहुल्य देश है, इस तथ्य से किनारा नहीं किया जा सकता है। आज भी गांवों की महिलाएं घूंघट, पर्दा इत्यादि कुरीतियों की शिकार हैं। ऐसे में यदि एक बैंक, जिसमें कर्मचारी और अधिकारी महिलाएं होंगी, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और बैंक में प्रवेश करने से वे नहीं घबराएंगी। यदि महिला बैंक की ज़रूरत को हम नकारते हैं तो शायद देश की राजधानी दिल्ली की मेट्रो परियोजना में अलग से बनाए गए महिला डिब्बों की आवश्यकता को भी नकारेंगे। आज हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और अधिक गहराई हैं। ऐसे में महिला बैंक की अवधारणा महिलाओं की वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सही कदम साबित हो सकती है। बीते सालों में, स्वयं सहायता समूहों की बंदौलत ग्रामीण क्षेत्रों एवं कस्बानुमा शहरों में महिला कारोबारियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है, जिनके लिए महिला बैंक एक वरदान साबित हो सकता है। हर नया प्रारंभ चुनौतियों से होकर गुजरता है, लेकिन यदि इसे सरकार, रिज़र्व बैंक और बैंकिंग क्षेत्र का सहयोग मिला तो निश्चित ही यह महिलाओं के वित्तीय समावेशन की राह में प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है।

○○○

प्रकाशकों से

जो प्रकाशक अपनी पुस्तक की समीक्षा करवाना चाहते हैं वे कृपया अपनी पुस्तक की दो प्रतियां भिजवाने की व्यवस्था करें।

पाठकों से


इस पत्रिका को आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना अनुरोध लिखित रूप में 'कार्यकारी संपादक, बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' को भेजना होगा। आपका फार्म मिलते ही आपका नाम डाक सूची में शामिल कर लिया जाएगा और तदनंतर आपको पत्रिका अगले दो वर्ष तक मिलती रहेगी। दो वर्ष समाप्त होने के पूर्व आप अपनी सदस्यता को नवीकृत कर लिया करें ताकि पत्रिका निरंतर मिलती रहे। आपसे अनुरोध है कि अपने सहयोगियों को भी यह जानकारी प्रदान करें तथा अपनी मांग से हमें तत्काल अवगत कराएं ताकि हम तदनुसार प्रतियों का मुद्रण कर सकें। **पुराने पाठक कृपया पत्राचार करते समय अपनी सदस्यता संख्या का उल्लेख अवश्य करें।**

• पाठकों की प्रतिक्रियाओं का हमें सदैव इंतजार रहता है •

सूचना प्रौद्योगिकी का बैंकों की कार्यदक्षता पर प्रभाव - एक विश्लेषण व केस स्टडी

भूमिका

बैंकिंग उद्योग में वर्ष 1991 के वित्तीय सुधारों के उपरांत आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं जिनमें एन.पी.ए. मानदंडों का लागू होना, बैंकिंग सेवाओं व ब्याज दरों का अविनियमन, व्यावसायिक घरानों के निजी क्षेत्र बैंकों को लाइसेंस जैसे मुख्य सुधारों के अलावा बैंकिंग परिचालन में आईटी का प्रयोग भी महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा है। भारतीय बैंकिंग उद्योग कई चरणों से गुजरा है और प्रत्येक फेज में इस उद्योग ने अपनी सफलता के इतिहास को दोहराया है। आईटी के उपयोग से बैंकों की कार्यदक्षता पर प्रचुर रूप से प्रभाव पड़ा है क्योंकि भारतीय बैंकों का आस्तियों पर प्रतिलाभ अनुपात (RoA) वर्ष 2000 में 0.69 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013 में 1.03 प्रतिशत हो गया है। वास्तव में यदि देखा जाए तो वित्तीय सुधारों के अलावा इन दो शब्दों - आईटी (Information Technology) की शुरुआत ने साधारण व्यक्ति के जीवन को बदलने के साथ-साथ बैंकिंग को ग्राहक की मुट्ठी में ला दिया है। ग्राहक अपने घर व कार्यालय में बैठे-बैठे ही बैंकिंग लेनदेनों को अपनी सुविधानुसार पूरा कर सकता है और उसे शाखा में जाकर कतार में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अतः इस आलेख में आईटी के जरिए बैंकिंग कार्यदक्षता (Efficiency)



डॉ. रामजस यादव
बैंक ऑफ बड़ौदा
अहमदाबाद

में जो सुधार आया है उसे एक विश्लेषण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

II. बैंकों की कार्यदक्षता का आकलन एवं विश्लेषण

बैंकिंग एक सेवोन्मुख उद्योग होने के कारण इसकी कार्यदक्षता का उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के अतिरिक्त लाभप्रदता एवं उत्पादकता के रूप में आकलन किया गया है। बैंकों में लाभप्रदता की गणना शुद्ध लाभ का उनके कार्यकारी निधियों (Working Fund) के संबंध से की जाती है (बैंक के तुलन-पत्र की आस्तियों या देयताओं के किसी भी पक्ष के योग को कार्यकारी निधि कहते हैं)। बैंकों में कुल व्यवसाय को उत्पादकता का द्योतक माना जाता है। बैंकों की कार्यदक्षता के मूल्यांकन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न मदों व घटकों (Factors) को पाठकों की जानकारी हेतु निम्नलिखित गणितीय समीकरणों द्वारा प्रकट किया गया है -

1. शुद्ध ब्याज आय (NII) = ब्याज आय - ब्याज भुगतान,
2. शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) = शुद्ध ब्याज आय / ब्याज अर्जनवाली आस्तियां x 100,
3. परिचालनात्मक लाभ (Operating Profit) = सकल आय - सकल व्यय (प्रावधान व आकस्मिकताओं के अलावा),
4. भार (Burden) = गैर ब्याज व्यय - गैर ब्याज आय यानि अन्य आय,
5. लागत-आय अनुपात (Cost-Income Ratio) = परिचालन व्यय / (शुद्ध ब्याज आय + अन्य आय) x 100,
6. व्यवसाय (Business) = जमा + अग्रिम।

बैंकों की कार्यदक्षता (Efficiency) को मुख्यतः लाभप्रदता व उत्पादकता के रूप में दर्शाया जाता है, जिसके दो प्रमुख भाग हैं-

क) आबंटन दक्षता (Allocational Efficiency) - राष्ट्र एवं समाज में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग हो, इसे सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से हर राष्ट्र अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। हमारा भारत देश गांवों में निवास करता है और आजादी के 67 वर्ष बीत जाने के बाद भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की मूलभूत आवश्यकता - रोटी, कपड़ा और मकान का अभाव है। अतः बैंकिंग देश की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग होने के नाते इसकी उत्पादकता व लाभप्रदता का सही मायने में प्रयोग करना होगा। यदि बैंकों के कार्यनिष्पादन का आकलन प्रति शाखा जनसंख्या, कुल व्यवसाय व शाखा नेटवर्क में ग्रामीण क्षेत्रीय जमा, अग्रिम व शाखाओं के हिस्से के रूप में किया जाए तो राष्ट्र का समावेशी (inclusive) विकास सुनिश्चित किया जा सकता है क्योंकि अभी इन मानदंडों पर बैंकों का योगदान संतोषप्रद नहीं है।

ख) परिचालन दक्षता (Operational Efficiency) - बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाएं पूर्ण सुरक्षा, त्वरितता एवं किफायती ढंग से ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएं, इसे सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के कार्यनिष्पादन का आकलन लाभप्रदता के विभिन्न मानदंडों के जरिए किया जाता है जैसे शुद्ध ब्याज मार्जिन, लागत-आय अनुपात आदि।

विश्लेषण

बैंकों में मानवीय पूंजी (Human Capital) को कार्यदक्षता के आकलन की दृष्टि से इन्पुट माना गया है। अतः बैंकों की औसत आस्तियों एवं व्यवसाय, जिसे आउटपुट माना गया है, के संबंध में स्टाफ व्यय तथा अन्य परिचालन संबंधी खर्चों के विभिन्न अनुपातों (Ratios) से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं -

- बैंकों के परिचालन व्यय कुल आस्तियों व व्यवसाय के अनुपात में 2.8 प्रतिशत और 2.3 प्रतिशत (1992) से घटकर क्रमशः 1.8 प्रतिशत (2013) रह गए हैं। इसी प्रकार से स्टाफ व्ययों का आस्तियों व व्यवसाय की तुलना में अनुपात 1.9 प्रतिशत व 1.5 प्रतिशत (1992)

से घटकर क्रमशः 1.0 प्रतिशत व 0.7 प्रतिशत (2013) रह गया है। ये सुधार इस बात का प्रमाण हैं कि बैंक आईटी के जरिए अपने संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करके अपनी व्यावसायिक दक्षता को सतत रूप से बढ़ाने में सफल रहे हैं।

- लागत-आय अनुपात (CIR) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों की कार्यकुशलता का एक महत्वपूर्ण मानदंड समझा गया है क्योंकि इस अनुपात में बैंक के तुलन-पत्रेतर परिचालनों के प्रभाव अर्थात् लाभ/ हानि को भी शामिल (Capture) कर लिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार लागत-आय अनुपात का 40 प्रतिशत होना बहुत अच्छा माना गया है। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय बैंक श्रेष्ठ मानदंड के नजदीक हैं और 64.6 प्रतिशत (1992) के स्तर से 45.6 प्रतिशत (2013) का बैंचमार्क हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है जो आईटी के उपयोग का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है।

यदि समुचित विकास, जो कि आबंटन दक्षता का प्रतीक है, को मद्देनजर रखा जाए तो बड़े ही आश्चर्यजनक परिणाम हमारे समक्ष विश्लेषण से उजागर होते हैं, जैसे कि -

- बैंक जमा के क्षेत्र में यह तथ्य सामने आता है कि बैंकों की कुल जमाओं में ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा 15.2 प्रतिशत (1994) से घटकर 9.4 प्रतिशत (2013) रह गया है। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण खातों की संख्या में वृद्धि (CAGR) वर्ष 1994-2013 के मध्य 1.4 प्रतिशत रही है जबकि इसी अवधि के दौरान मेट्रो क्षेत्र के खातों की वृद्धि दर 13.86 प्रतिशत रही है। ग्रामीण ऋण का कुल ऋण में हिस्सा भी 18 प्रतिशत से घटकर मात्र 8 प्रतिशत रहा है। अतः बैंक अपने संसाधनों को मेट्रो तक ही सीमित रखे हुए हैं जो समग्र विकास व सतत व्यावसायिक वृद्धि के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। इस क्षेत्र में सुधार के लिए बैंकों द्वारा आईटी में किए गए निवेश का पूर्ण उपयोग करना होगा ताकि ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण दोहन करके राष्ट्र के चहुंमुखी विकास और बैंकों की लाभप्रदता व उत्पादकता में संतुलित वृद्धि की जा सके।

- आज बैंकों के कुल ऋणों का लगभग 60 प्रतिशत व जमाओं का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा सबसे बड़े 10 शहरों में है जो कि संकेंद्रण (Concentration) जोखिम का प्रतीक है। बैंकों को चाहिए कि वे आईटी के जरिए अपने व्यवसाय को देश के हर कोने में पहुंचाएं।
- हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी आज भी गांवों में रहती है जबकि गांवों में शाखा के रूप में बैंकों की उपस्थिति 57.16 प्रतिशत (1994) से घटकर 37.18 प्रतिशत (2013) रह गई है जो इस बात का प्रमाण है कि बैंक परिचालन दक्षता में वृद्धि तो हासिल कर रहे हैं, मगर उनका लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा है। अतः आज भी गरीब और अधिक गरीब तथा अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है।

उक्त विश्लेषण से जाहिर है कि बैंक परिचालनात्मक दृष्टिकोण से आईटी का उपयोग करके कार्यदक्षता के चुनिंदा मानदंडों पर उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। मगर आबंटन दक्षता प्राप्त करने के लिए आईटी के माध्यम में ऐसे व्यवसाय मॉडल को अपनाया होगा जिससे बैंकों व राष्ट्र का समुचित विकास हो सके।

आईटी से बैंक व ग्राहक को हुए लाभ – केस स्टडी

उक्त विश्लेषण से इस बात की पुष्टि हुई है कि आईटी के उपयोग से एक ओर बैंकिंग कारोबार पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है जिससे उनकी कार्यकुशलता व दक्षता में वृद्धि हुई है तथा दूसरी ओर ग्राहकों को काफी फायदे हुए हैं व सुविधाएं मिली हैं। विभिन्न गतिविधियों में आईटी के उपयोग से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पड़े प्रभावों को अलग-अलग उदाहरणों एवं केस स्टडी के जरिए यहां प्रस्तुत किया गया है -

1. शाखा ग्राहक से बैंक ग्राहक का दर्जा : बैंकों में सीबीएस के उपयोग से अब ग्राहक को शाखा के बजाय बैंक ग्राहक का दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे बैंकों व ग्राहकों को बहुत से फायदे हुए हैं। उदाहरणार्थ:

- ग्राहक व बैंकों को अपने खाता नंबर का परिवर्तन करने की जरूरत नहीं क्योंकि एकाउण्ट पोर्टेबिलिटी के कारण खाते को उसी नंबर के साथ एक शहर/जगह से अन्यत्र स्थान पर ट्रांसफर किया जा सकता है।

- ग्राहकों को अपने केवाईसी दस्तावेजों को बार-बार प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं।
- बैंकों को पुनः उसी व्यक्ति का खाता नहीं खोलने से परिचालनात्मक व्ययों में मितव्ययिता आई है।
- काफी हद तक एक ही आदमी द्वारा अनेक खाते रखने से होने वाली धोखाधड़ी पर रुकावट लगी है।

2. कारोबार में वृद्धि : संस्था में तीन एम (3Ms - Men, Machines, Money) उत्पादकता बढ़ाने में मुख्य घटक माने जाते हैं। इन तीनों 'एम' में मानव पूंजी महत्वपूर्ण है जो अन्य दो एम अर्थात् मशीन व निवेश के जरिए कारोबार में वृद्धि करती है। बैंकों द्वारा आईटी में किए गए निवेश से मानव संसाधनों द्वारा इसका सफल उपयोग हुआ है। प्रकाशित आंकड़ों से इस बात की पुष्टि हुई है कि बैंकिंग उद्योग का प्रति कर्मचारी कारोबार वर्ष 2009 के ₹7.40 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2013 में ₹12.13 करोड़ हो गया। प्रति कर्मचारी लाभ भी इसी अवधि में ₹5.5 लाख से बढ़कर ₹8.30 लाख हो गया है। अतः इस प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बैंकों ने न केवल कारोबार व लाभ में ही वृद्धि की है अपितु प्रति कर्मचारी लाभ व आस्तियों में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की है जो आईटी के उपयोग का सकारात्मक प्रभाव है।

3. हाउस-कीपिंग : मैनुअल बैंकिंग के दौरान बैंक कर्मचारियों का सर्वाधिक समय विभिन्न खातों की बैलेंसिंग एवं लेन-देन/वाउचर तैयार करने में लगता था, जिसके कारण -

- व्यवसाय विकास कार्यों हेतु समय का अभाव था।
- लंबी अवधि से बकाया असंतुलित खातों व बहियों के रहने से बैंकों को इस राशि का प्रावधान भी करना होता था जो बैंकों की लाभप्रदता का प्रत्यक्ष रिसाव था।
- बहियों का मिलान नहीं होने की वजह से धोखाधड़ी की संभावनाएं बहुत अधिक होती थीं।

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से बैंकों के पास अपने उत्पादों के विपणन हेतु समय मिलता है और अनावश्यक प्रावधान राशि लाभ-हानि खाते को डेबिट नहीं होने से लाभप्रदता में वृद्धि हुई है।

4. प्रभावी 'ग्राहक को जानिए (KYC)' प्रणाली :

आज के समय में बैंकों के समक्ष सुचारु के.वाई.सी. व ए.एम.एल. प्रक्रिया सुनिश्चित करना एक भारी चुनौती है। मगर आईटी के उपयोग से बैंक यदि चाहें तो के.वाई.सी. का अच्छी तरह पालन कर सकते हैं जिससे बैंकिंग कारोबार में अपराधी तत्वों को रोका जा सकता है और इनसे होने वाली हानि से बैंकों को बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इससे हमारे राष्ट्र की अच्छे गवर्नेंस (Governance) के रूप में पहचान बनेगी। आईटी से इस क्षेत्र में अनेक फायदे हैं, जैसे -

- ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों - आयकर विवरणी, पैन आदि की ऑनलाइन जांच।
- कॉर्पोरेट खातों में कंपनी की MCA-21 से ऑनलाइन विस्तृत जांच।
- सरकार व बैंकों द्वारा समय-समय पर जारी नकारात्मक संस्थाओं की डेस्कटॉप पर सूचनाएं आदि।

5. ऋण की गुणवत्ता (Credit Quality) :

आर्थिक विकास हेतु ऋण मुहैया कराना बैंकिंग कारोबार का मुख्य हिस्सा है। साथ ही, बैंकों की आस्तियां स्टैंडर्ड रहें यह भी ज़रूरी है। अन्यथा एन.पी.ए. खातों पर न केवल प्रावधान करना पड़ता है बल्कि वसूली नहीं होने से पूंजी कम हो जाती है और बैंक ऋण देने में असमर्थ होते हैं। किसी ऋण के स्टैंडर्ड रहने के लिए ऋणी की सही पहचान व उसकी क्रेडिट रिपोर्ट ज़रूरी है। इस मामले में आईटी का उपयोग अपरिहार्य है, जैसे -

- कोई भी ऋण देने से पूर्व आवेदक की क्रेडिट रिपोर्ट की सिबिल (CIBIL) से जांच कराना कि उसने किसी अन्य बैंक/संस्था से ऋण तो नहीं लिया है और यदि ऋण लिया है तो उसके भुगतान की क्या स्थिति है। इस रिपोर्ट से ऋणी के साख अंक (Credit Score) पता चलते हैं जो 300 से 900 के मध्य होते हैं और 700 को अच्छा स्कोर माना गया है। इसी प्रकार जमानतदार की साख रिपोर्ट जांच कर सही आदमी की गारंटी ली जा सकती है।
- बैलेंस शीट पर आधारित वित्तीय मूल्यांकन के लिए ज़रूरी है कि उसकी विश्वसनीयता की जांच की जाए। MCA-21 के जरिए इसकी जांच संभव हो पाती है।

- सनदी लेखाकारों (CAS) की रिपोर्ट/प्रमाण-पत्र आदि की भारतीय सनदी लेखा संस्थान (ICAI) की साइट से वैध होने की ऑनलाइन जांच।
- ऋणी की प्राप्य राशियों (Receivables) एवं मशीन आपूर्तिकर्ता की समुचित सावधानी (Due Diligence) भी ऑनलाइन संभव है।
- ऋण आवेदन ऑनलाइन करना व बैंकों द्वारा लैप्स (LAPS - Lending Automation Process System) पर ऋण मंजूर करना।

बैंकों में सूचना आधारित साख निर्णय सदैव अच्छे पाए गए हैं तथा आईटी के उपयोग से साख मूल्यांकन प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।

6. ऋण वसूली : बैंक ऋणों की समय पर वसूली हेतु अनिवार्य है कि ऋणियों से सतत संपर्क बना रहे और समय-समय पर रिमाइण्डर जारी किया जाता रहे। इस प्रक्रिया को आईटी के उपयोग ने बेहद सरल बनाया है जिससे बैंक कम लागत पर ऋणियों के संपर्क में रह सकते हैं और सामयिक वसूली होने से लाभप्रदता में वृद्धि कर सकते हैं। उदाहरणार्थ -

- ऋणियों को मासिक स्तर पर एसएमएस (SMS) के जरिए रिमाइण्डर, जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन (CBS) वातावरण में सिस्टम से जनरेट किए जाते हैं।
- ऋणी से फेसबुक, ट्विटर, ई-मेल आदि के जरिए संपर्क रहता है और एक-दूसरे की समस्या को समय पर जानना ताकि बैंक अच्छी प्रकार से अपनी पकड़ कायम रखकर अपनी अस्तियों को स्टैंडर्ड बनाए रखें।
- ऋणी को अपनी किस्त जमा कराने के लिए बैंक शाखा में आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ECS) के जरिए बैंक खुद ही ऋणी के खाते से ट्रान्सफर कर सकते हैं जिससे ऋणी अपने कीमती समय को व्यवसाय वृद्धि में लगा सकते हैं।

7. धोखाधड़ी की रोकथाम (Fraud Management) : प्रतिस्पर्धा के इस युग में वित्तीय धोखाधड़ियों की संख्या में वृद्धि

हुई है जिससे बैंकों को भारी मात्रा में हानि उठानी पड़ती है। यदि आईटी का ठीक रूप से उपयोग किया जाए तो इन धोखाधड़ियों से बचा जा सकता है जैसे -

- कृषि/बंधक ऋणों में जमीन के मालिकाना हक की ऑनलाइन जांच संबंधित राज्य/जिले के राजस्व विभाग की साइट से करना।
- बंधक की गई अचल संपत्ति का सरसई (CERSAI) के अधीन सेन्ट्रल रजिस्ट्री के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण।
- कंपनी ऋण खातों में रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑनलाइन बैंक प्रभागों को दर्ज करना एवं उनकी जांच करना।

8. धन प्रेषण व भुगतान प्रणाली में तीव्रता : पुराने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बैंकों से धन राशि का प्रेषण, ड्राफ्ट/डाक अंतरण/टी.टी. आदि के जरिए होता था जिसमें सप्ताह व महीना लग जाता था। आईटी के उपयोग से इस प्रक्रिया में अत्यंत सरलता, मितव्ययिता व तीव्रता आई है जिससे बैंकों की समाधान प्रक्रिया संबंधी समस्याएं दूर हो गई हैं जैसे -

- राशि को NEFT व RTGS के जरिए तुरंत प्रेषित किया जाना जिसका दैनिक आधार पर सेटलमेंट होता है।
- ई-बैंकिंग के उपयोग से ग्राहक स्वयं भी इन्टरनेट व मोबाइल बैंकिंग के जरिए राशि अंतरित कर सकता है जिससे बैंकों में लेनदेन लागत (Transaction Cost) में भारी कमी आई है और बैंकों का इन गतिविधियों में लगने वाला समय अन्य विकासात्मक उपयोगी कार्यों में लगता है।
- ATM के द्वारा ग्राहक स्वयं राशि आहरण करता है, खातों के स्टेटमेंट व बैलेंस की जांच कर सकता है जिससे पासबुक अपडेट करने में लगनेवाला समय अन्य व्यवसाय वृद्धि संबंधी कार्यों में लगाया जाता है।

9. बिजनेस प्रॉसेसिंग रीड्जीनियरिंग (BPR) : बैंकिंग की विभिन्न गतिविधियों में लगने वाला समय (Turnaround Time - TAT) कम करने में आईटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे बैंकों की लागत में कमी व समय की बर्बादी पर रोक लगी है जिन्हें व्यवसाय बढ़ाने संबंधी कार्यों में लगाया गया है।

उदाहरणार्थ-

- बैंकों में बैक ऑफिस (Back Office) अवधारणा आरंभ हुई जिसके कारण खाते खोलने, चेक बुक जारी करने तथा ऋण आवेदनों की प्रासेसिंग करने का कार्य अब विशिष्ट आउटलेट जैसे क्षेत्रीय बैक ऑफिस (RBO), ऋण फैक्टरी, केंद्रीय प्रॉसेसिंग कक्ष (CPC) आदि द्वारा जारी किया जाता है।
- शाखाओं द्वारा निर्धारित अंतराल में भेजी जाने वाली विवरणियों व सूचनाओं में लगने वाला समय अन्य विकास संबंधी कार्यों में लगता है क्योंकि CBS वातावरण में प्रधान/प्रशासनिक कार्यालय इन्हें खुद ही सिस्टम से जनरेट कर सकते हैं।

10. ई-लर्निंग : बैंकों के समक्ष एक बड़ी चुनौती यह है कि वरिष्ठ बैंकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और नई पीढ़ी के लोग बैंकिंग सेवा में आ रहे हैं। बैंकिंग अनुभव व ज्ञान की कमी के कारण व्यवसाय व ग्राहक सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही, बड़ी संख्या में भर्ती किए जाने के कारण प्रशिक्षण कालेजों द्वारा सभी को प्रशिक्षित करना मुश्किल कार्य है। इस अवस्था में आईटी का उपयोग बैंकों में ज्ञान की कमी को ई-लर्निंग के जरिए पूरा करेगा। इससे बैंकिंग को कम समय में समझ लेने से व्यवसाय वृद्धि की यह रफ्तार जारी रहेगी। अतः बैंकों को चाहिए कि वे -

- अधिक से अधिक E-Learning मॉड्यूल तैयार करके कर्मचारियों को उपलब्ध कराएं।
- प्रशिक्षण हेतु Virtual क्लास रूम की शुरुआत करें।
- इसके अतिरिक्त आजकल बैंकों में पदोन्नति व भर्ती संबंधी परीक्षाएं आईटी के उपयोग से ऑनलाइन होने लगी हैं जिससे प्रणाली में अधिक पारदर्शिता व प्रभावशीलता आई है और परीक्षा परिणाम तुलनात्मक दृष्टि से जल्दी आते हैं। अतः इस प्रक्रिया में लगने वाले भारी मानवीय घंटे में बचत हुई है।

11. ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) : व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए जरूरी है कि ग्राहक की प्रोफाइल हमारे पास हो ताकि व्यवसाय समूहीकरण (Business Segment)

करके उनकी बैंकिंग आवश्यकताओं को जाना जा सके। इसके अलावा प्रति-विक्रय के माध्यम से बैंक के अधिक से अधिक उत्पाद बेचे जा सकें। उदाहरणार्थ - एक चिकित्सक को क्लीनिक चलाने का ऋण, कार ऋण, आवास ऋण दिया जा सकता है और उनके बच्चों को शिक्षा हेतु भी ऋण दे सकते हैं, बशर्ते बैंक शाखा के पास उस चिकित्सक का प्रोफाइल उपलब्ध हो। उनके कर्मचारियों को इसी तरह के ऋण व जमा सुविधाएं भी दी जा सकती हैं। ये सभी आईटी के पूर्ण उपयोग से ही संभव हो सकता है और इससे बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ है क्योंकि CRM के जरिए प्रति ग्राहक उत्पाद अनुपात (Customer Product Ratio) में वृद्धि हुई है।

12. अतिलघु शाखाएं (Ultra Small Branches) :

विदित है कि देश की सर्वाधिक आबादी गांवों में रहती है जहां बैंकिंग का पहुंचना बाकी है। अर्थव्यवस्था के समुचित विकास के लिए सरकार ने वित्तीय समावेशन अभियान आरंभ किया हुआ है जिसमें अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए बैंकों ने आईटी आधारित कारोबार प्रतिनिधि (BC) मॉडल अपनाया है। इसके अतिरिक्त भौतिक स्वरूप वाली शाखाओं (Brick & Mortar structure) के स्थान पर आईटी उपयोग की वजह से अतिलघु शाखाओं की शुरुआत हो पाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग से जोड़ने में अत्यंत उपयोगी पाई गई हैं। उदाहरणार्थ -

- अतिलघु शाखा मॉडल कारोबार प्रतिनिधि (BC) व बेस ब्रांच के मध्य वह कड़ी है जो 3-4 कि.मी. की दूरी के 8-10 कारोबार प्रतिनिधियों को सहायता प्रदान करेगी।
- इस मॉडल में बैंक का सी.बी.एस. सुविधा वाला कम्प्यूटर होगा जिससे ग्राहकों की पासबुक पूरा करने का कार्य, छोटे बैंकिंग लेनदेन आदि किए जा सकते हैं।
- कारोबार प्रतिनिधि के कार्यों की मॉनीटरिंग करने, नकदी प्रबंधन, खाता खोलने संबंधी दस्तावेजों की जांच व ग्राहक की समस्याओं के निस्तारण में यह मॉडल बहुत उपयोगी रहा है और इनसे व्यवसाय वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

प्रमुख चुनौतियां

आईटी से निःसंदेह परिचालनात्मक कार्यदक्षता में वृद्धि हुई है। हालांकि, आईटी का पूर्ण लाभ लेने के लिए बैंकों के समक्ष काफी चुनौतियां हैं, जैसे -

- कुल व्यवसाय में ग्रामीण क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि करना ताकि बैंक न केवल अर्थव्यवस्था के समावेशी (Inclusive) विकास का हिस्सा बन सकें अपितु अपने संकेंद्रण (Concentration) जोखिम का भी प्रभावी रूप से प्रबंधन कर पाएं।
- ग्राहकों में आईटी के उपयोग संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए बैंकों द्वारा विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि वे उपलब्ध ई-बैंकिंग का सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकें और बैंकों में बढ़ रही धोखाधड़ी से बचा जा सके।
- बैंकों में प्रबंध सूचना प्रणाली (MIS) के मैनुअल कार्य से शाखाओं को पूर्णतः मुक्त करना होगा ताकि उसमें गलत रिपोर्टिंग, सूचनाएं विलंब से भेजने तथा समय की बर्बादी से बचा जा सके।

उपसंहार

आईटी के उपयोग से भारतीय बैंकिंग की रूपरेखा में दिन-रात का परिवर्तन हुआ है। आज स्वयं ग्राहक अपने घर बैठे 24 X 7 मॉडल में बैंकिंग कर सकता है जिससे बैंकिंग व्यवसाय उसके जीवन का हिस्सा बन गया है। अभी भुगतान निपटान में कैश व चेक का उपयोग लगभग बंद हो गया है जिससे ग्राहक अपने मोबाइल बैंकिंग से विभिन्न तरह के भुगतान जैसे - रेलवे टिकट, बिल भुगतान, खरीदारी (PoS), मोबाइल रिचार्ज आदि कभी भी कर सकता है। अतः आईटी ने बैंकिंग के साथ मानव की दिनचर्या को भी बदल दिया है। इससे बैंकों की लाभप्रदता व उत्पादकता सीधे रूप से प्रभावित हुई है और बैंक अपने उतने ही कर्मचारियों से कई गुना अधिक व्यवसाय कर रहे हैं जबकि दशकों पूर्व यह एक स्वप्न जैसा था। यहां पर इस बात का उल्लेख अनिवार्य है कि बैंकों ने आईटी में प्रचुर मात्रा में निवेश किया है जिसका पूर्ण उपयोग किया जाना बाकी है ताकि बैंकों के समक्ष मौजूद भविष्य की चुनौतियों का बखूबी सामना किया जा सके।

○○○

ऑटोमेटेड डेटा फ्लो (एडीएफ)- आज की प्रासंगिकता

राष्ट्र की उन्नति में बैंकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंकिंग प्रणाली देश के आर्थिक ढांचे का मेरुदंड है। पिछले एक दशक में बैंकिंग जगत में कई विकासात्मक परिवर्तन हुए हैं। इनमें से अधिकतर परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से हुए हैं। भारत में बैंकिंग केवल एक व्यवसाय का साधन ही नहीं है, अपितु राष्ट्र के विकास हेतु इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन भी है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सूचना प्रौद्योगिकी का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

विकसित देशों की तुलना में भारत में बैंकिंग का उत्तरदायित्व दोहरा है। एक ओर जहां वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय समावेशन अभियान के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को दूरदराज में बसे लोगों तक पहुंचाना है वहीं दूसरी ओर भूमंडलीकरण के दौर में ग्राहकों की विविध मांगों की पूर्ति करते हुए कारोबार में अपना स्थान भी बनाए रखना है। सरकारी बैंकों के लिए यह एक चुनौती भरी मांग है। ऐसी स्थिति में बैंकों के समक्ष सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना ही एक विकल्प बचता है। हालांकि, भारतीय बैंकों ने सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए अपनी कार्यशैली में काफी परिवर्तन किए हैं, फिर भी कारोबार में तेजी से बदलते स्वरूप और सूचना प्रौद्योगिकी



ध्रुव मुखर्जी

वरिष्ठ प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक
प्रधान कार्यालय, कोलकाता

के क्षेत्र में आ रहे नवीन उत्पादों के कारण बैंकिंग व्यवसाय निरंतर परिवर्तनशील है।

कुशल प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस)

राष्ट्र के विकास के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति-निर्धारकों को एक कुशल प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) की आवश्यकता होती है जिसके आधार पर वे देशहित में तेजी से उचित नीतियों का निर्धारण करने में सक्षम हो सकें। बैंकों के एमआईएस का मुख्य आधार उनकी विभिन्न रिपोर्टें तथा विवरणियां होती हैं। बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक/अन्य विनियामकों को प्रस्तुत की जानेवाली सूचनाएं व रिपोर्टें केंद्र/राज्य सरकारों के नीति-निर्धारण में सहायता करती हैं। अतः आज की बदलती परिस्थिति में एमआईएस की प्रासंगिकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।

बैंकों में वर्तमान एमआईएस का परिदृश्य

बैंकिंग एक सूचना-प्रधान उद्योग है जहां प्रबंध सूचना प्रणाली का निर्माण एक विशाल व जटिल कार्य है। सामान्य भाषा में बैंकों में प्रबंध सूचना प्रणाली का तात्पर्य केंद्रीय (कॉरपोरेट/प्रधान कार्यालय) स्तर पर विशाल डेटा की उपलब्धता से है, जिसका उपयोग विभिन्न रिपोर्टों/सूचनाओं के सृजन व उनके विश्लेषण और विनियामकों को उनके प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। बैंकों में डेटा का महत्व सामान्यतः उनके उचित तरीके से एकत्रीकरण, प्रसंस्करण व विभिन्न प्रकार के विश्लेषणात्मक रिपोर्टों को जनरेट करने से है। मूलतः एमआईएस दोनों प्रक्रियाओं यथा डेटा-एकत्रीकरण व डेटा-विश्लेषण के अंतिम उत्पाद का ही रूप है। वर्तमान में रिपोर्टों का तात्पर्य आम तौर पर आवधिक कागज़ी विवरणियों से है जो विभिन्न स्तरों पर मैनुअल (मानवीय) हस्तक्षेप द्वारा बैंकों की शाखाओं से जनरेट होकर उनके नियंत्रक कार्यालयों

के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक व अन्य विनियामकों को उपलब्ध कराई जाती हैं। ये विवरणियां भारतीय रिज़र्व बैंक को पर्याप्त समय-अंतराल, गुणवत्ता की कमी व प्रचुर त्रुटियों, कम कुशलता व उच्च लागत तथा विभिन्न स्तरों पर अलग व्याख्याओं के साथ प्राप्त होती हैं।

मौजूदा एमआईएस व्यवस्था में कमियां

● समय-सीमा

रिज़र्व बैंक को डेटा प्रस्तुत करना एक चुनौती है क्योंकि पूरे डेटा की गुणवत्ता और सत्यापन के लिए कोई स्वचालित (ऑटोमेटेड) प्रक्रिया उपलब्ध नहीं होने से मैनुअल हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है जिसके कारण समय-सीमा का पालन करना मुश्किल हो जाता है।

● गुणवत्ता

- डेटा की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा विवरणियों (रिटर्न) को सही ढंग से बनाने की जिम्मेदारी व्यक्तियों पर निर्भर होती है जिसके कारण मानवीय गलतियां होने की अत्यधिक संभावनाएं रहती हैं।
- विभिन्न स्रोत-प्रणालियों से डेटा एकीकृत होने के कारण डेटा में डुप्लिकेशन, असमानता आदि त्रुटियां मिलती हैं।
- विभिन्न एप्लिकेशनों में मेटाडेटा का कोई सामंजस्य नहीं होता है।

● दक्षता

- बैंकों के लिए विवरणियां तैयार करना एक गैर-कोर गतिविधि है जिससे उनको कोई भी राजस्व प्राप्त नहीं होता है।
- मैनुअल प्रक्रियाओं हेतु अधिक मानवशक्ति (मैनपावर) की आवश्यकता होती है।

● सेंट्रल डेटा रिपॉजिटरी (सीडीआर) का अभाव

- रिपोर्ट जनरेट करने हेतु स्प्रेडशीट या सीबीएस का प्रयोग होता है।
- प्रत्येक एप्लिकेशन स्रोत से अलग तरीके से एमआईएस का सृजन होता है।

स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीएफ) : दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एमआईएस की कमियों को देखते हुए बैंकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच स्वचालित डेटा प्रवाह हेतु एक रूपरेखा/दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिस पर आगे चर्चा की गई है।

एडीएफ हेतु समान दृष्टिकोण

स्वचालित डेटा प्रवाह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूर्ण रूप से स्वचालित ढंग से बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को विभिन्न रिटर्न प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। भारतीय रिज़र्व बैंक को विवरणियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को एकसमान दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। इसमें प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी दोनों आयाम शामिल हैं।

एडीएफ हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत

वर्तमान में भारतीय बैंक प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी मोर्चों पर विभिन्न परिपक्वता स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। एडीएफ हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत बैंकिंग उद्योग की ज़रूरतों के मुताबिक लचीले व समावेशी दृष्टिकोण पर आधारित होने चाहिए। इनका उपयोग बैंकों द्वारा प्रौद्योगिकी में भारी निवेश का लाभ उठाने हेतु किया जाना चाहिए।

- एडीएफ बैंकों की वर्तमान प्रौद्योगिकी स्थिति पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
- सभी बैंकों के लिए एक समान होनी चाहिए।
- लचीली और समावेशी होनी चाहिए।
- प्रौद्योगिकी/बुनियादी ढांचे में निवेश के अनुरूप होनी चाहिए।
- विवरणियों का तार्किक वर्गीकरण होना चाहिए।
- शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भी लागू होनी चाहिए।

प्रस्तावित रोडमैप

बैंकों में कंप्यूटीकरण के विभिन्न स्तरों तथा उनके द्वारा बड़ी संख्या में रिटर्न प्रस्तुत किए जाने की वजह से बैंकों और रिज़र्व बैंक के बीच स्वचालित डेटा प्रवाह प्राप्त करने के लिए समयबद्ध ढंग से योजना बनाना व उसे निष्पादित करना आवश्यक है। इस

उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने एडीएफ परियोजना की रूपरेखा तथा बैंकों के लिए एक चरणबद्ध प्रक्रिया तैयार की है (चित्र-1)। बैंकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे निर्धारित पद्धति के माध्यम से अपनी वर्तमान कम्प्यूटरीकरण की स्थिति का पूरी तरह से आकलन कर समयबद्ध तरीके से एडीएफ को कार्यान्वित करें।



रिज़र्व बैंक को विवरणियां प्रस्तुत करने हेतु सूचना-मूल्य शृंखला (चित्र-1)

प्रक्रिया-वर्गीकरण


भारतीय रिज़र्व बैंक ने एडीएफ के कार्यान्वयन हेतु बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को चार भागों में विभाजित किया है :

इस दिशा में रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक रिटर्नों को पांच व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया है (i) सरल समूह (ii) मध्यम समूह (iii) जटिल समूह-1 (iv) जटिल समूह-2 तथा (v) अन्य समूह।

प्रारंभ में बैंकों को अपनी क्षमता व संसाधनों के आधार पर प्रथम चार उपसमूहों में स्वचालित डेटा प्रवाह सुनिश्चित करना होगा जिसे वे आनुक्रमिक या समानांतर तरीके से तय समय-सीमा के भीतर लागू कर सकते हैं।

तत्पश्चात् डेटा प्रवाह के पूर्ण स्वचालन के लिए पांचवें समूह पर ध्यान केंद्रित करना होगा क्योंकि वर्तमान में इस समूह के रिटर्नों

एडीएफ हेतु सैद्धांतिक संरचना (चित्र-2)



के लिए आवश्यक डेटा का संग्रहण आईटी सिस्टम द्वारा करना मुश्किल है। हालांकि, भविष्य में इस समूह को भी एडीएफ के तहत लाने की परिकल्पना है।

एडीएफ : कार्यान्वयन चरण


भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वचालित डेटा प्रवाह हेतु बैंकों में कार्यान्वयन प्रक्रिया को चार चरणों में विभक्त किया है :

1. डेटा अधिग्रहण परत,
2. डेटा एकीकरण व भंडारण परत,
3. डेटा रूपांतरण परत,
4. डेटा प्रस्तुतीकरण परत।

प्रभाव का स्वतः आकलन करना तथा उसके आधार पर पूरी तरह स्वचालित प्रक्रिया को अपनाने हेतु की गई तैयारियों और उनकी परिपक्वता का मूल्यांकन कर अपनी स्थिति को जानना।

- प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी परिपक्वता-स्तर के आधार पर बैंक को छह समूहों (क्लस्टरों) चित्र-4 में से किसी एक में वर्गीकृत करना तथा तदनुसार एडीएफ कार्यान्वयन का रोडमैप परिभाषित कर भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करना।

एडीएफ दृष्टिकोण, चरण व गतिविधियाँ (चित्र-3)



प्रथम चरण

स्वतः मूल्यांकन व समय-सीमा का निर्धारण

- प्रत्येक बैंक द्वारा विवरणियाँ प्रस्तुत करने की स्थिति पर दो आयामों - प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया - के पड़ने वाले

- तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विवरणियों के प्रत्येक समूह के स्वचालन की समय-सीमा उस बैंक के वर्गीकृत समूह/क्लस्टर के अनुसार तय किया जाना एवं उस बैंक की संपूर्ण एडीएफ प्रक्रिया की समय-सीमा का निर्धारण किया जाना।

बैंक समूहीकरण प्रौद्योगिकी (चित्र-4)



द्वितीय चरण

डेटा-आर्किटेक्चर (संरचना) का निर्माण

डेटा संरचना का तात्पर्य बैंक के विभिन्न स्रोतों-सिस्टमों से डेटा को एक केंद्रीकृत डेटा भंडार (सीडीआर) में प्रवाहित कर उस एकत्रित डेटा का इस्तेमाल रिटर्न/विवरणियां बनाने से है।

- डेटा-संरचना के तहत चार अंतःसंबंधित परतों यथा - डेटा-अधिग्रहण, डेटा-एकीकरण, डेटा-रूपांतरण व डेटा-सत्यापन और डेटा-प्रस्तुतीकरण में विभाजित करना।
- इस संरचना के तहत डेटा-एकीकरण और डेटा-संग्रहण परतों पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा को एकीकृत और परिष्कृत/शुद्ध करना तथा डेटा-रूपांतरण स्तर पर इस डेटा को निर्धारित फार्मेट में रूपांतरित करना।
- तत्पश्चात् इस तब्दील हुए डेटा को डेटा-प्रस्तुतीकरण परत से रिज़र्व बैंक को विवरणियां प्रस्तुत करना।

डेटा-अधिग्रहण परत का निर्माण

इस परत में स्रोत-डेटा के निर्माण पर फोकस होता है तथा यह बैंकों के स्रोत-सिस्टम में डेटा की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत बैंकों को आईटी सिस्टम में स्थापित विभिन्न स्रोत-सिस्टम जैसे सीबीएस, ट्रेजरी, ट्रेड फाइनेंस आदि स्रोतों से डेटा को कैप्चर करना होता है।

डेटा-एकीकरण/डेटा-संग्रहण परतों का निर्माण

यह परत स्रोत-सिस्टम से रिज़र्व बैंक विवरणों की आवश्यकतानुसार डेटा को अधिकतम विघटन के साथ एकीकृत

करता है तथा सीडीआर/डेटा वेयरहाउस में उसके प्रवाह को सुनिश्चित करता है। यह रिपोर्टिंग सभी रिटर्नों की जानकारी हेतु एकमात्र स्रोत होता है। इसके अंतर्गत बैंकों को सीडीआर/डेटा वेयरहाउस का निर्माण करना होता है।

डेटा-रूपांतरण/डेटा-सत्यापन परतों का निर्माण

यह परत पूर्व-निर्धारित नियमों के अनुसार सीडीआर में संगृहीत डेटा को निर्धारित प्रारूपों में रूपांतरित करता है। यह डेटा-भंडारण परत और प्रस्तुतीकरण परत के बीच इंटरफेस का काम भी करता है। यह रिटर्न की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए डेटा का भी सत्यापन करता है। इस चरण के तहत बैंकों को इस इंटरफेस का निर्माण करना आवश्यक है।

डेटा-प्रस्तुतीकरण परत का निर्माण

यह एकल प्रसारण चैनल है जो एक सीधे प्रसंस्करण माध्यम (एसटीपी) मोड में स्वतः रिटर्न जनरेट और प्रस्तुत करने हेतु रिपोर्टिंग प्लेटफार्मों जैसे ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली (ओआरएफएस) में सुरक्षित फाइल अपलोड-यांत्रिकी को सुनिश्चित करता है। इस परत में रिज़र्व बैंक के सिस्टम में डेटा प्रवाह को अधिकृत करने के साथ रिज़र्व बैंक सिस्टम से त्रुटि-संदेश और जानकारी प्राप्त करने व सुधार कर आगे की प्रक्रिया बढ़ाने की क्षमता होती है। यह रिज़र्व बैंक को स्वचालित प्रणाली द्वारा उत्पन्न प्रस्तुत डेटा की विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। अतः बैंकों के लिए प्रसारण चैनल का निर्माण जरूरी है।

तृतीय चरण

रिटर्न-वर्गीकरण फ्रेमवर्क

वर्तमान में बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाले 171 रिटर्नों को पांच व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक रिटर्न को किसी एक समूह में ही रखा गया है। बैंकों को प्रत्येक रिटर्न-समूह को एकल रूप में स्वचालन (ऑटोमेशन) पर विचार कर लागू करना है।

बैंकों के लिए प्रमुख चुनौतियां

- रिटर्न तैयार करने के लिए आवश्यक डेटा एक से अधिक स्रोतों से प्राप्त करना होता है। इसलिए पूर्ण रूप से स्वचालित रिटर्न प्रस्तुत करने से पूर्व सभी स्रोत प्रणालियों का एकीकरण आवश्यक है।

- वर्तमान में रिटर्न भेजने की प्रक्रिया को कोर बैंकिंग गतिविधियों से अलग रखा जाता है। इस प्रक्रिया को भी कोर गतिविधियों में शामिल करने की आवश्यकता है।
- डेटा-परिवर्तन व व्यापार-नियम भली-भांति प्रलेखित नहीं हैं। अतः एडीएफ परियोजना आरंभ करने से पूर्व बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे इस दिशा में विस्तृत प्रक्रिया दस्तावेज तैयार करें।
- रिज़र्व बैंक के प्रकाशित कोड और परिभाषाओं से मैपिंग के लिए बैंकों को अपने लिगेसी डेटा को ठीक करने की आवश्यकता है।
- स्रोत-सिस्टम के अनुसार डेटा-कणिकता (डेटा-ग्रेनुलैरिटी) को मानकीकृत करने की आवश्यकता है।
- सीबीएस लागू होने के पश्चात् रिपोर्टिंग जीएल आधारित आंकड़ों पर होती थी परंतु एडीएफ के चलते आंकड़ों की रिपोर्टिंग खातों के स्तर पर परिवर्तित कर दी गई है जिसकी वजह से जीएल तथा खातों से प्राप्त आंकड़ों में भिन्नता दिखाई दे रही है।
- विभिन्न वेंडरों द्वारा अपने एप्लिकेशन के स्रोत डेटाबेस को साझा न करने की वजह से एडीएफ में विभिन्न मॉड्यूलों में एकरूपता लाने में कठिनाई हो रही है।

सामान्य लाभ

बैंकों के आईटी सिस्टम द्वारा रिज़र्व बैंक को बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के स्वचालित डेटा प्रवाह से डेटा की गुणवत्ता और समयबद्धता में काफी वृद्धि होने की संभावना है जिससे भारतीय बैंकिंग को और अधिक नीतिगत फैसलों की जानकारी प्राप्त करने के साथ बेहतर विनियमन का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त आंतरिक संचालन, दक्षता और प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी।

स्वचालित डेटा प्रवाह के लाभ

- स्वचालित डेटा प्रवाह के सही ढंग से लागू होने के पश्चात् बैंकों को बढ़ी हुई गुणवत्ता-डेटा, समयबद्धता, प्रक्रिया की दक्षता, कम लागत और एमआईएस के प्रयोजन हेतु सीडीआर के उपयोग का लाभ मिलेगा।

बेहतर समय-सीमा

- डेटा के सीडीआर में उपलब्ध होने की वजह से प्रक्रिया के पूर्ण समय-चक्र में कमी आएगी।
- डेटा प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया स्वचालित होने से मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता कम रह जाएगी जो न्यूनतम विलंब से रिज़र्व बैंक को रिटर्न प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी।

बेहतर डेटा गुणवत्ता

- न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप त्रुटियों में कमी लाएगा जो बेहतर डेटा-गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।
- एक सुपरिभाषित प्रक्रिया, स्रोत-डेटा को शुद्ध, मानकीकृत और सत्यापित करेगा जिससे रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत डेटा सटीक और विश्वसनीय होगा।
- डेटा एकीकरण व संग्रहण तथा रूपांतरण दोनों ही परतों में डेटा का सत्यापन, डेटा की सटीकता व एकरूपता को सुनिश्चित करेगा।

प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार

- स्वचालन के चलते व्यक्तियों पर निर्भरता खत्म होगी और कार्यकुशलता में सुधार होगा।

लागत में कमी

- स्वचालन के चलते रिटर्न जनरेट करने हेतु मानव संसाधन (मैनपावर) में कमी आएगी तथा वह जनशक्ति राजस्व-सृजन जैसी गतिविधियों में उपलब्ध हो सकेगी।
- स्वचालन की वजह से निर्णय-प्रक्रिया में सुधार होगा और एमआईएस के कारण बैंक बेहतर व्यापार रणनीतियां बना सकेंगे।

निष्कर्ष

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सुझाए गए एडीएफ दृष्टिकोण को बैंकों द्वारा सुचारु रूप से कार्यान्वित करने से स्वचालित डेटा प्रवाह (एडीएफ) में गुणात्मक सुधार होने की प्रचुर संभावनाएं हैं। इसके लिए आवश्यक है कि बैंक अपने निचले से निचले स्तर तक के स्टाफ को इस ओर उन्मुख करें और तय समय-सीमा के भीतर एडीएफ को कार्यान्वित करें।

○○○

लाभप्रदता – बैंकों के लिए एक चुनौती

यह सर्वविदित है कि किसी भी वित्तीय या बैंकिंग संस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभप्रदता के बिना कोई भी वित्तीय संस्था अधिक दिनों तक टिक नहीं सकती। आज पारंपरिक परिभाषाएं और परिवेश अप्रासंगिक हो चुके हैं। नवोन्मेष बैंकिंग, नवीन प्रौद्योगिकी अंगीकरण तथा वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों द्वारा बैंक अपनी लाभप्रदता बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रतिवर्ष कठोर होते मानदंड जैसे पूंजी पर्याप्तता, आस्ति-देयता प्रबंधन, आस्ति निर्धारण व प्रावधानीकरण ने बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर डाला है। अतः आज के बैंकिंग परिदृश्य में सबसे चुनौतीपूर्ण प्रश्न है – लाभप्रदता को बढ़ाना।

लाभप्रदता किसी भी संस्था या बैंक की लाभार्जन क्षमता होती है, जिसका सीधा संबंध लागत से होता है। अतः लाभप्रदता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए टीम भावना के साथ संगठित प्रयास किए जाएं। कुछ ऐसे कारक हैं जो बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर डालते हैं, अतः उनकी ओर ध्यान देना नितांत आवश्यक है।



विद्या भूषण मल्होत्रा

पंजाब नेशनल बैंक

जयपुर

लाभप्रदता को प्रभावित करने वाले कारक

बैंकों की लाभप्रदता कई कारणों से प्रभावित होती है। ये कारण आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार हैं-

- बैंकिंग क्षेत्र में नए खिलाड़ियों का प्रवेश तथा बढ़ती प्रतिस्पर्धा।
- पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, प्रावधानीकरण तथा तुलनपत्रों में पारदर्शिता।
- अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की अवधारणा एवं वसूली संकट।
- ब्याज निर्धारण में स्वायत्तता एवं अविनियमन।
- बैंकों में बढ़ते घोटाले, धोखाधड़ी व फिजूलखर्ची इत्यादि।
- जोखिम प्रबंधन में निपुणता न होने के कारण न्यूनतम जोखिम पर अधिकतम प्रतिफल न मिल पाना।
- निधि एवं गैर निधि आधारित आय में अमध्यस्थता का स्तर – राजस्व व लागत में हानि।
- अनर्जक आस्तियों की वसूली में लगने वाला समय, श्रम, मुकदमेबाजी व अनावश्यक व्यय।
- कार्यज्ञान का अभाव तथा प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था न होना।
- शाखा स्तर पर 'लागत-लाभ विश्लेषण' पर ध्यान न देना।
- वैकल्पिक डिलिवरी चैनलों पर अधिक व्यय।
- बैंक के स्रोतों में सीआरआर एवं एसएलआर में परिवर्तन।
- कर्मचारी/अधिकारी संगठनों की भूमिका।

लाभप्रदता बढ़ाने हेतु कुशल रणनीतियां

आज के इस प्रतियोगी वातावरण में लाभप्रदता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक हो गया है कि दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जाएं क्योंकि लाभप्रदता के अभाव में बैंक न केवल विकास करने में विफल हो जाता है बल्कि अपने प्रतिस्पर्धी बैंकों का सामना करने में असमर्थ व निष्फल हो जाता है। दीर्घकालिक योजना एक नियमित रणनीति है जिसके अंतर्गत बाहरी परिवर्तनों का प्रभाव देखा जा सकता है, संसाधनों की पहचान की जा सकती है, आंतरिक क्षमता को समझा जा सकता है तथा उद्देश्यों को निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने के लिए कुशल रणनीतियां बनाई जा सकती हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

उत्तम ग्राहक सेवा

बैंकों में ग्राहक सेवा का विशेष महत्त्व है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में बैंकों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करनी चाहिए। ग्राहक की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं को समझना चाहिए और उसी के अनुरूप सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। प्रश्न जमा, अग्रिम या किसी अन्य बैंकिंग व्यवसाय का क्यों न हो, हमें हर क्षेत्र में त्वरित व गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। 'क्वालिटी एण्ड एक्सिलेंस इन ह्यूमन सर्विसेज' में यह बताया गया है कि सेवा उद्योग में गुणवत्ता के लिए जहां एक ओर भौतिक सुविधाओं या उपकरणों की मौजूदगी आवश्यक है वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों/अधिकारियों में ग्राहकों को त्वरित सेवा प्रदान करने की इच्छाशक्ति, अपेक्षित कौशल, विनम्रता, ग्राहक के प्रति आदर भाव तथा मित्रवत् व्यवहार करने की मनोवृत्ति होने के साथ-साथ स्टाफ का संस्था के प्रति आस्थावान व ईमानदार होना भी बहुत आवश्यक है।

यह सत्य है कि एक संतुष्ट ग्राहक अपने साथ कई ग्राहकों को जोड़ता है। वहीं एक असंतुष्ट ग्राहक बैंक की छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ता जिससे ग्राहकों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अतः लाभप्रदता बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट ग्राहक सेवा अत्यावश्यक है।

उत्पादों की क्रॉस सेलिंग

बैंक क्रॉस सेलिंग के माध्यम से जमा तथा अग्रिम दोनों प्रकार के उत्पादों को अपने ग्राहकों को बेच सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि यदि ग्राहक को

कम से कम तीन उत्पादों का विक्रय एक साथ किया जाता है तो लाभप्रदता में आशातीत वृद्धि होती है तथा ग्राहक को भी एक ही छत के नीचे कई सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं। इससे ग्राहक संतुष्टि को भी बढ़ावा मिलता है। अतः यह कोशिश होनी चाहिए कि प्रत्येक ग्राहक को अधिक से अधिक बैंकिंग उत्पाद बेचे जाएं।

आक्रामक विपणन प्रणाली

विपणन के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि सरकारी बैंकों की विपणन प्रणाली उतनी आक्रामक नहीं है जितनी निजी व विदेशी बैंकों की है। अतः लाभप्रदता बढ़ाने के लिए आक्रामक विपणन प्रणाली को अपनाना आवश्यक हो गया है। विपणन आयोजन के लिए बाजार में अवसरों, चुनौतियों, प्रतिस्पर्धाओं तथा मार्केट शेयर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए प्रतिस्पर्धियों को समझना, बैंक उत्पादों/सेवाओं की संभावनाओं का पता लगाना तथा भावी चुनौतियों का पूर्ण निर्धारण अत्यंत आवश्यक है।

विपणन के संबंध में किसी प्रसिद्ध लेखक ने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं - 'विपणन व्यावसायिक क्रियाकलापों की वह प्रक्रिया है जो उत्पादों और सेवाओं को उत्पादकों से ग्राहक या उपभोक्ता तक पहुंचाती है।' अतः बैंकों को अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए पोस्टर, होर्डिंग, बैनर तथा बस पैनल द्वारा प्रचार किया जाना चाहिए। मेलों व प्रदर्शनियों में भी भाग लेकर बैंक अपने नए उत्पादों की जानकारी दे सकते हैं। टी.वी. के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा सकता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन

आज के प्रतिस्पर्धी वातावरण में लाभ अर्जित करने के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन का विशेष महत्त्व है। इसमें ब्याज दरों की अस्थिरता और परिपक्वता अवधि के परिवर्तन का प्रबंधन किया जाता है। इसमें बैंक द्वारा यह भी निर्णय लिया जाता है कि कौन-कौन सी आस्तियां और देयताएं बैंक के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रबंधन द्वारा आस्तियों और देयताओं के बीच उपयुक्त मिश्रण और उनकी राशि सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान में ब्याज दरों में अस्थिरता का दौर चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आस्तियों और देयताओं का ऐसा मिश्रण होना चाहिए जिससे निवल ब्याज मार्जिन कम न हो, नहीं तो ब्याज मार्जिन घटने से लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन

आज बैंकों की कार्यविधि को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला तथ्य अनर्जक आस्तियां (एन.पी.ए.) हैं। ये न केवल बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर डालती हैं बल्कि पूँजी पर्याप्तता, आस्ति-देयता प्रबंधन, निधियों के पुनर्निवेश तथा आय सृजन के क्षेत्र में भी इनका प्रतिकूल असर पड़ता है। आज बैंकों की अनर्जक आस्तियां ₹1,00,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी हैं जो एक चिंता का विषय है। इनके सही प्रबंधन के लिए निम्न रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए-

- जो अनर्जक या अनुत्पादक आस्तियां काफी समय से लंबित पड़ी हैं, उनकी वसूली के लिए ठोस व संगठित प्रयास किए जाने चाहिए।
- मानक आस्तियों को अवमानक आस्तियों में जाने से रोकने के लिए समय से सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए।
- हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि अनुत्पादक निष्क्रिय आस्तियों को पुनर्जीवित करके उन्हें चालू किया जाए और अपनी लाभप्रदता बढ़ाई जाए।
- अनुत्पादक आस्तियों की आयुवार रचना की ओर भी ध्यान देना चाहिए। वैसे तो सभी आयु की अनुत्पादक आस्तियों को कम करना समान रूप से महत्वपूर्ण है, फिर भी यदि 3 वर्ष और इससे कम पुरानी अनुत्पादक आस्तियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाए तो अधिक सफलता प्राप्त की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उपाय भी किए जाने चाहिए - जैसे ऋणों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना, ऋण की अदायगी में विलंब होने पर ऋणी तथा गारंटीकर्ता से संपर्क बनाए रखना, उचित समय पर वसूली कैम्प लगाना, इत्यादि।

जोखिम प्रबंधन

आज के बदलते परिवेश में बैंकिंग और जोखिम को अलग नहीं किया जा सकता। आज बैंकों को कई प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है जैसे बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चूककर्ता जोखिम, चलनिधि जोखिम, विनिवेश जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम इत्यादि। भारतीय परिवेश में जोखिम निर्धारण

का कोई विशेष पैमाना नहीं है, फिर भी बैंकों को अपने डेटाबेस को और अधिक मजबूत बनाना होगा तथा जोखिम प्रबंधन में प्रवीणता हासिल करनी होगी तभी हम अपनी लाभप्रदता बढ़ाने में सफल हो सकेंगे।

आय के नए स्रोतों की पहचान

लाभप्रदता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि आय के नए स्रोतों की पहचान की जाए। इसके लिए गैर-निधि आधारित व्यवसाय में वृद्धि करनी होगी क्योंकि गैर-निधि आधारित व्यवसाय में जोखिम भी कम है तथा लाभ कमाने के क्षेत्र भी विद्यमान हैं। अतः उदारीकरण का पूरा लाभ उठाते हुए बैंकों को साख पत्र, गारंटी पत्र, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, फैक्ट्रिंग, फॉर्किटिंग, लीजिंग, परियोजना परामर्श, प्रबंध एवं सलाहकारी योजनाएं, पारस्परिक निधियों का नियंत्रण एवं परामर्श, स्वर्ण व्यवसाय, बीमा व्यवसाय, यात्रा संबंधी सेवाएं तथा कर व परामर्श सेवाओं में अपने पाँव जमाने होंगे। इससे न केवल शुल्क आधारित व्यवसाय में वृद्धि होगी बल्कि यह परिवर्तन बैंकों का भविष्य भी सुनिश्चित करेगा।

अन्य आवश्यक पहलू

बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए जहाँ एक ओर गैर ब्याज आय में वृद्धि करनी होगी वहीं दूसरी ओर गैर ब्याज में कमी के लिए भी प्रयत्नशील रहना होगा। टेलीफोन, फैक्स, डाक व कुरियर आदि के प्रयोग का चयन 'ए.बी.सी. विश्लेषण' के आधार पर करना चाहिए। कोई भी सेवा या उत्पाद प्रारंभ करने से पहले 'लागत-लाभ विश्लेषण' का पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यह लाभप्रदता बढ़ाए रखने का आवश्यक सूत्र है।

इसके अतिरिक्त बैंकों को जोखिमपूर्ण बड़े ऋणों पर रोक लगाने के साथ छोटे-छोटे ऋणों (खुदरा ऋणों) को अधिक से अधिक लोगों में बांटने पर जोर देना चाहिए क्योंकि जोखिम बंटा हुआ होने के कारण ये ऋण ज्यादा सुरक्षित रहते हैं तथा इसमें ब्याज स्प्रेड लगभग 4 प्रतिशत होता है, जबकि कॉरपोरेट ऋणों में औसत प्रतिलाभ 0.5 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत होता है। अतः आधुनिक बैंकिंग में बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने तथा ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने में खुदरा बैंकिंग एक क्रांतिकारी परिवर्तन है।

सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग

बैंकिंग उद्योग एक सेवा उद्योग है और सेवा उद्योग में अधिक से अधिक सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावनाएं हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण कार्यकुशलता, गति, दूरी, पहुंच तथा सुविधा की दृष्टि से बैंकिंग सेवाओं के स्वरूप में कई प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग से लागत में कमी आएगी, उत्पादकता तथा परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी, लाभप्रदता बढ़ेगी और ग्राहक सेवा को बेहतर करने में बैंकों को सहायता मिलेगी। इस प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि लेन-देन की लागत को तभी बचाया जा सकता है जब ग्राहक नए चैनलों का प्रयोग करें न कि मौजूदा चैनलों के साथ-साथ नए चैनलों का प्रयोग भी करते रहें।

मानव संसाधन विकास

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बैंकों में लाभप्रदता कर्मठ, दक्ष, अभिप्रेरित एवं आधुनिकतम ज्ञान से परिपूर्ण मानव-शक्ति द्वारा ही संभव है। अतः सेवा उद्योग की सफलता में मानव संसाधन विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य पहलू है। बैंकों को मानव संसाधन विकास तथा बैंकिंग शिक्षा पर जोर देना चाहिए। आज न केवल अधिकारियों को बल्कि लिपिकों को भी मानव संसाधन विकास का प्रशिक्षण देना समय की अनिवार्यता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कर्मचारियों की मौजूदा कार्यकुशलता बढ़ाकर उन्हें

और बड़ी जिम्मेदारियां संभालने तथा कुशल व बेहतर ढंग से अपना कार्य करने में सफल बनाती है। बैंक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों में लाभप्रदता के प्रति झुकाव, कार्यनिष्पादन में चूक की खोज, लागत नियंत्रण, ऋण प्रबंधन में विशेष जानकारी, बैंक सेवाओं के विपणन, आधुनिक तकनीकी ज्ञान, भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के जोखिमों तथा शाखाओं में प्रतिदिन आने वाली समस्याओं के निराकरण पर जोर देना चाहिए।

प्रबंधक वर्ग को अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना चाहिए कि वे संस्था की प्रगति में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। कर्मचारियों को उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर अर्थात् सही व्यक्ति को सही काम सौंपा जाना चाहिए, तभी बैंक नए परिवेश का पूर्ण व्यावसायिक दोहन करने में सफल हो सकेंगे।

उपसंहार

आधुनिक बैंकिंग के दौर में बैंकों को अपने उत्पादों, सेवाओं, विपणन प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी को नए आयाम देने होंगे। कर्मचारियों के व्यक्तिगत विकास तथा उनकी उपलब्धियों को भी मान्यता देनी होगी। बैंकों को बाजार का रुख पहचानना होगा तथा व्यावसायिक व उद्देश्यों से प्रेरित प्रबंधकीय दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसके दूरगामी परिणाम होंगे और बैंक भावी चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी लाभप्रदता बढ़ाने में सफल हो सकेंगे।

○○○

भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत दरें *

बैंक दर	:	9.0%
रेपो दर	:	8.0%
रिवर्स रेपो दर	:	7.0%
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ)	:	9.0%

आरक्षित अनुपात *

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)	:	4.0%
सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)	:	22.0%

*सितंबर 2014 के अंत की स्थिति

अस्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति के खाते

भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति संविदा करने में सक्षम है जो वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो एवं किसी भी प्रभावशील कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित न कर दिया गया हो। उक्त अधिनियम की धारा 12 के अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति वह है जो संविदा करते समय उसे समझने एवं अपने हितों पर इसके प्रभाव के बारे में विवेकसंगत निर्णय लेने की स्थिति में है। जो व्यक्ति इस स्थिति में नहीं है वह अस्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाता है। इस तरह की अस्वस्थता स्थायी अथवा अस्थायी हो सकती है। अस्थायी अस्वस्थता की स्थिति में वह संविदा वैध नहीं हो सकती है जो मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में की गई हो। किसी समय विशेष पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ मानसिक अवस्था में था या नहीं यह एक संवेदनशील मुद्दा है। अतः यह विवाद का विषय भी हो सकता है। विवाद की ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है।

मस्तिष्क का पूर्णतया विकसित न होना या जीवनकाल में किसी भी कारण से इसमें किसी प्रकार का विकार आ जाना मस्तिष्क की अस्वस्थता के कारण हो सकते हैं। ये व्यक्ति स्वलीनता (Autism) के शिकार हो सकते हैं, प्रमस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy) से पीड़ित हो सकते हैं, मंदबुद्धि (Mental retardation) हो सकते हैं अथवा बहु अशक्तताओं (Multiple



डी.के. जैन

पंजाब नैशनल बैंक
मंडल कार्यालय, पुणे

disabilities) से ग्रसित हो सकते हैं। तथापि ऐसे नैसर्गिक व्यक्तियों को भी न सिर्फ जीने का अधिकार है वरन् जीवनयापन के वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति को प्राप्त रहते हैं। उन्हें अपने नाम पर संपत्ति रखने एवं उससे आय प्राप्त करने का भी अधिकार है। उनकी आय के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। लेकिन चूंकि मानसिक अस्वस्थता के कारण वे विवेकपूर्ण निर्णय लेने में समर्थ नहीं होते हैं, अतः उनकी संपत्तियों के रखरखाव के लिए सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति उनके संरक्षक की हैसियत से इस कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। उनके नाम से बैंक में खाता खोलने एवं उसके परिचालन के लिए भी संरक्षक ही अधिकृत होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की संपत्तियों एवं आय के प्रबंधन के लिए संरक्षक की नियुक्ति मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 अथवा राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत हो सकती है।

मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत जिला न्यायाधीश अथवा जिलाधीश द्वारा संरक्षक की नियुक्ति की जा सकती है जबकि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अनुसार राष्ट्रीय न्यास एक स्थानीय स्तर की समिति की स्थापना कर सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति को मानसिक रुग्णता से ग्रस्त व्यक्ति का संरक्षक नियुक्त कर सकता है। नागरिक सेवाओं का कोई अधिकारी, जो जिलाधीश अथवा जिला न्यायाधीश के पद से कम का न हो, किसी पंजीकृत संगठन का प्रतिनिधि एवं कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 (ट) के अनुसार अशक्य हो, स्थानीय समिति का सदस्य हो सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित स्थानीय स्तर की समिति की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट <http://rbi.org.in> पर भी उपलब्ध है। स्थानीय स्तर की समिति को किसी संरक्षक के विरुद्ध अपने पद के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संरक्षक को पद से हटाने का भी अधिकार है।

अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर उनके संरक्षक द्वारा किसी भी बैंक में बचत, आवर्ती अथवा सावधि जमा खाते खोले जा सकते हैं। इन खातों का परिचालन ऐसे संरक्षक द्वारा उसी तरह किया जा सकता है जिस तरह किसी अवयस्क के खाते का उसके संरक्षक द्वारा। तथापि संरक्षक द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति की रुग्णता जारी होने और उक्त संरक्षक का संरक्षण जारी रहने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रति वर्ष प्राप्त किया जाना चाहिए। संरक्षक से इस बात का भी वचन पत्र लिया जाना चाहिए कि उसका संरक्षण समाप्त होने की स्थिति में वह तत्काल बैंक को इस तथ्य की सूचना देगा। किसी अवयस्क मानसिक रुग्ण व्यक्ति के वयस्क हो जाने पर भी रुग्णता जारी रहने की स्थिति में संबंधित अधिनियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति का संरक्षण जारी रह सकता है।

बैंकिंग कम्पनी (नामांकन) नियमों के अनुसार अवयस्क मानसिक रुग्ण व्यक्ति का नामिती (Nominee) नियुक्त करने का अधिकार उसके विधि अनुसार नियुक्त संरक्षक को है। लेकिन खातेदार के वयस्क होने पर ऐसा नामांकन स्वयमेव रद्द हो जाता है। संरक्षक का निधन होने पर मानसिक रुग्ण व्यक्ति के खाते में परिचालन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि किसी अन्य व्यक्ति की सक्षम अधिकारी द्वारा संरक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं हो जाती। वयस्क मानसिक रुग्ण खातेदार के निधन की स्थिति में खाते में जमा शेषराशि का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार उसके वैधानिक उत्तराधिकारियों को ही है।

चूंकि ऐसे व्यक्ति वैध संविदा करने की पात्रता नहीं रखते, अतः ये किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के एकल स्वामी (Proprietor) या भागीदार (Partner) अथवा संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता नहीं हो सकते। यदि कोई भागीदार कालांतर में किसी मानसिक रुग्णता का शिकार हो जाता है तो अन्य किसी भागीदार के आवेदन पर भागीदारी फर्म का विघटन हो सकता है। यही कारण है कि अस्वस्थ मस्तिष्क व्यक्ति के नाम पर चालू खाते भी नहीं खोले जा सकते। इन्हें किसी प्रकार की ऋण सुविधा भी नहीं दी जा सकती।

अस्वस्थता शारीरिक हो या मानसिक - वह पीड़ित व्यक्ति के लिए कष्टप्रद ही है। इसलिए वह समाज की सहानुभूति का हकदार है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमारा सामाजिक दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें न सिर्फ वह सब कुछ हासिल हो जिसके वे अधिकारी हैं बल्कि यह भी कि वे अपनी अस्वस्थता के कारण किसी के शोषण का शिकार न हों।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने संगत अधिनियम के अंतर्गत अक्षम व्यक्ति के तात्पर्य, कानूनी प्रावधान और अभिभावक संबंधी प्रमाण-पत्र आदि को समाहित करते हुए दिनांक 13 जनवरी 2014 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार -

- (i) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 में एक कानून का प्रावधान किया गया है जो मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों के उपचार और देखभाल तथा उनकी संपत्तियों व अन्य मामलों के संबंध में बेहतर प्रावधान करने से संबंधित है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत, “मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे मानसिक मंदन को छोड़कर किसी अन्य मानसिक रुग्णता के लिए उपचार की आवश्यकता है। इस अधिनियम की धारा 53 और 54 मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिभावकों तथा कतिपय मामलों में उनकी संपत्ति के लिए प्रबंधकों की नियुक्ति करने से संबंधित है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अंतर्गत निर्धारित नियोक्ता प्राधिकारी जिला न्यायालय और जिलाधिकारी हैं।
- (ii) राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 में कतिपय विनिर्दिष्ट विकलांगताओं से संबंधित कानून का प्रावधान किया गया है। उस अधिनियम की धारा 2 के खंड (जे) में “विकलांग व्यक्ति” की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है जो स्वपरायणता, मस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदन या किन्हीं ऐसे दो या अधिक रुग्णताओं से पीड़ित हैं और इसमें बहुविध अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति भी शामिल हैं। यह अधिनियम एक स्थानीय स्तर की समिति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विकलांग व्यक्ति के लिए ऐसे अभिभावक की नियुक्ति कर सके जो उस अक्षमता वाले व्यक्ति और उसकी संपत्तियों की देखभाल कर सकेगा।

अतः उक्त विधिक स्थिति को नोट करें और बैंक खाते खोलने/परिचालित करने हेतु अभिभावकों/प्रबंधकों की नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुदेशों/प्रमाण-पत्रों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तथा उन्हें आधार बनाएं। संदेह की स्थिति में उचित विधिक परामर्श लिया जाना अपेक्षित है।

○○○

बैंकों में कुशल नेतृत्व (लीडरशिप) की अवधारणा

यह पाया गया है कि कुछ लोग नेतृत्व (लीडरशिप) करने से घबराते हैं, उनके मन में यह डर रहता है कि वह सही तरीके से नेतृत्व कर पाएगा अथवा नहीं या सामने वाला उसकी बात मानेगा या नहीं, उसके द्वारा लिए गए निर्णय उचित होंगे अथवा नहीं? सामान्यतः सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाना, भविष्य में कैरियर के लिए बाधक होता है। बैंकों में कुशल नेतृत्व की अहम् भूमिका रहती है। शाखा प्रबंधक शाखा में जितनी अच्छी तरह से टीम लीड करेगा वह उतना ही सफल होगा एवं शाखा के लक्ष्य प्राप्त करेगा। बैंक चूंकि ग्राहक आधारित सेवा क्षेत्र है, इसलिए यहां देखा जाए तो ग्राहक सेवा में शाखा का हर कर्मचारी टीम लीडर ही होता है।

नेतृत्व के बारे में कहा जाता है, “कुछ लोग कभी सपने नहीं देखते – ऐसे लोग भटकने वाले होते हैं। कुछ लोग सपने तो देखते हैं, परंतु अपने दम पर कभी उसका पीछा नहीं करते – ऐसे लोग अनुयायी होते हैं। कुछ लोग सपने देखते हैं और उनका पीछा करते हैं ऐसे लोग सफल होते हैं। कुछ लोग सपने देखते हैं, उनका पीछा करते हैं और वही सपने देखने में दूसरों की मदद करते हैं – वास्तव में वही सही नेतृत्व करते हैं, यही लोग लीडर और हीरो होते हैं।”



संतोष श्रीवास्तव
स्टाफ प्रशिक्षण केंद्र
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भोपाल

व्यवहारगत दृष्टिकोण (बिहेवरल अप्रोच) के अनुसार नेतृत्व में सफलता के तीन आयाम बताए गए हैं:

- तकनीकी,
- मानवीय,
- धारणात्मक (कन्सेप्चुअल)।

व्यक्ति का व्यवहार लीडरशिप के दृष्टिकोण के अनुकूल अथवा प्रतिकूल हो सकता है। जहां अनुकूल व्यवहार साथियों को आगे आने के लिए प्रेरित करेगा, वहीं प्रतिकूल व्यवहार के कारण ‘प्रेरणा’ का पहलू क्षीण हो जाएगा और इससे खराब संप्रेषण, खराब पारस्परिक संबंध विकसित होंगे, जो भावनात्मक अपरिपक्वता को प्रदर्शित करेंगे।

फाये वैटलटन ने कहा है, ‘तूफानों का मुकाबला करने वाला इकलौता सुरक्षित जहाज नेतृत्व ही है।’

इसी तरह जेम्स कैलेहन ने कहा है, ‘अगर मैं दूसरों की तुलना में ज्यादा दूर तक देख सकता हूं तो इसकी यही वजह थी कि मेरे पीछे नेतृत्व का अनुभव था।’

नेतृत्व की तीन शैलियां हैं:

1. अधिकारात्मक नेतृत्व

इसके अंतर्गत लीडर समस्त अधिकार और निर्णय लेने का दायित्व अपने तक सीमित रखता है। इसमें जरूरी नहीं कि लीडर के सभी निर्णय सही हों। इस लीडर के अधीन काम करने वाले सदस्य भय अथवा डर के कारण ही उसका अनुसरण करते हैं।

अतः इस तरह के नेतृत्व को नकारा ही जाता है।

2. सहभागितापूर्ण नेतृत्व

इस नेतृत्व में लीडर अपने अधिकारों का विकेंद्रीकरण करता है एवं किसी मिशन के लिए टीम

के सभी सदस्यों से सलाह करता है, उनके विचारों की इज्जत करता है और उन विचारों को अपने मिशन में शामिल करता है।

सामान्यतः इस तरह के नेतृत्व को स्वीकारा जाता है और सफलता का श्रेय लीडर द्वारा टीम को दिया जाता है। शाखा एवं प्रशासनिक कार्यालयों में यह लीडरशिप सफल रहती है। इससे जमा एवं अग्रिम राशि, बैंक के विभिन्न उत्पादों की बिक्री आदि लक्ष्य प्राप्त होते हैं।

3. स्वतंत्र एवं नियंत्रणहीन नेतृत्व

इस नेतृत्व में लीडर अपने समस्त अधिकार टीम को सौंप देता है और उसकी भूमिका नगण्य होती है। इस लीडरशिप में जीत के मौके कम ही होते हैं क्योंकि टीम में अनेक लीडर बन जाते हैं और सब अपने अनुसार मिशन हेतु प्रयास करते हैं। इसमें अनुशासनहीनता और अव्यवस्था अधिक रहती है।

एक कुशल नेतृत्व इससे दूर ही रहता है।

कुशल नेतृत्व के गुण पारदर्शिता

नेतृत्व में पारदर्शिता आवश्यक है। अपनी टीम के सदस्यों के साथ समभाव होना चाहिए एवं मिशन के कार्यों एवं उद्देश्य से सभी को अवगत कराते हुए उसमें सभी सदस्यों की सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए।

विश्वसनीयता

नेतृत्व विश्वसनीय होना चाहिए तथा उसकी 'कथनी और करनी' में अंतर नहीं होना चाहिए। साथ ही, लीडर को अपने टीम सदस्यों पर भी विश्वास करना चाहिए।

हिम्मत

मिशन में अगर कहीं असफलता दिखाई दे तब हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इससे टीम के सदस्यों में भी निराशा की भावना आ जाएगी। इसलिए लीडर को अंतिम समय तक हिम्मत बनाए रखना चाहिए।

इसी तारतम्य में **डिवलाइट आइजनआवर** ने कहा है, "नेतृत्व वह कला है, जिसमें आप किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा काम करवा लेते हैं जो आप करवाना चाहते हैं क्योंकि वह उसे करना चाहता है।"

ज्ञान

नेतृत्व के अंतर्गत टीम लीडर को मिशन के लिए उपलब्ध करवाए गए संसाधनों, तकनीक का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। तभी वह अपनी टीम को उनके बारे में अवगत करा पाएगा।

बैंकों के परिप्रेक्ष्य में शाखा प्रबंधक को क्षेत्र विशेष का भूगोल, क्षेत्र की जानकारी के अलावा बैंक द्वारा अपनाई गई नवीन तकनीक, नई योजनाओं एवं परिपत्रों का ज्ञान होना चाहिए।

थियोडोर एम हेसबर्ग ने कहा है, "नेतृत्व का निचोड़ यही है कि आपके पास विज्ञान होना चाहिए। आप दिखाई न देने वाला बिगुल नहीं बजा सकते।"

सामंजस्य

लीडर को घमंडी और अभिमानि नहीं होना चाहिए, वरना इससे टीम के साथ अच्छा तालमेल नहीं बन पाएगा और आपसी दूरियां बनी रहेंगी। इसलिए कुशल नेतृत्व में सामंजस्य बहुत जरूरी है।

कुशल संभाषण

नेतृत्व करने वाला लीडर संभाषण करने में कुशल हो, वह अपनी बात सामने वाले के सामने अच्छी तरह से रख सके, उसकी भाषा संयत एवं 'टू दि पॉइंट' होनी चाहिए। इस तरह से वह मिशन में उच्च अधिकारियों एवं अपनी टीम के साथ सेतु का कार्य अच्छी तरह से कर सकेगा। बैंकों के परिप्रेक्ष्य में यह बात और ज्यादा महत्व रखती है क्योंकि शाखा प्रबंधक जितना कुशल संभाषण करके नेतृत्व करेगा उतना ही वह ग्राहकों को संतुष्ट कर पाएगा और उच्च अधिकारियों के समक्ष अच्छी तरह से अपनी बात कह पाएगा। अनर्गल और ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को लोग पसंद नहीं करते हैं और यह नेतृत्व के अंतर्गत भी कुशल संभाषण की श्रेणी में नहीं आता है।

सकारात्मक सोच

लीडर की सोच सकारात्मक होनी चाहिए।

मैं यह नहीं कर सकता हूँ; मैंने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर लिया, फिर भी काम नहीं हो पाया; मैं उसके बराबर काम नहीं कर सकता हूँ, आदि बातें कुशल नेतृत्व के लक्षण नहीं हैं, इससे टीम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मिशन सफल होने में संशय होता है।

बैंकों में कुशल नेतृत्व के अंतर्गत सकारात्मक सोच की बहुत आवश्यकता है। इसी से शाखा के लक्ष्य प्राप्त होते हैं।

समय का महत्त्व

कुशल नेतृत्व वही है जिसमें लीडर समय का मूल्य समझे। कहा भी गया है, “बीता समय लौटकर नहीं आता।”

जॉन गार्डनर ने कहा है, “समय निष्पक्ष होता है और उसमें चीजों को बदलने की ताकत नहीं होती। नेतृत्व करने वाले अपने उत्साह और आगे बढ़ने की अपनी ताकत से चीजें बदला करते हैं।”

लापरवाही से बचना

नेतृत्व के अंतर्गत लीडर को अपने मिशन में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लीडर की एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को असफल कर सकती है जिसकी जिम्मेदारी टीम लीडर पर आती है और उसे कुशल नेतृत्व नहीं कहा जा सकता है।

हार में भी खुशी

कुशल नेतृत्व का यह अहम् गुण होना चाहिए कि उसे “हार में खुशी” मनानी चाहिए। हार-जीत जीवन के दो पहलू हैं, ‘हार’ से निराश होने की जगह उस “हार” से सबक लेना चाहिए और जिन बिंदुओं पर कमी थी, उन्हें दूर करते हुए पुनः उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए। यही कुशल नेतृत्व की सफलता का राज है।

कुशल नेतृत्व के लाभ

कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति की उसके कार्यस्थल एवं समाज में एक पहचान बन जाती है। वास्तव में देखा जाए तो **मानव संसाधन (एचआर)** में नेतृत्व का बहुत महत्त्व है।

हर संस्था अपने यहां ऐसे कार्मिक चाहती है जो स्वयं अपने कार्य अथवा अपनी टीम को लीड कर सके।

अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए शाखा प्रबंधक को नेतृत्व की महत्ता समझनी होगी और इससे दूर जाने के बजाय, आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाने हेतु तत्पर होना होगा। इसके निम्न लाभ होंगे:

• आत्मविश्वास में बढ़ोतरी

एक तपे हुए गागर की तरह व्यक्ति में आत्मविश्वास आ जाता है कि वह पानी भरने से बिखरेगा

नहीं, बल्कि पानी को अपने में समाहित करने की क्षमता उसमें आ जाती है। उसके बातचीत करने के तरीके, हाव-भाव आदि से आत्मविश्वास झलकता है और वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम होता है।

• जोखिम उठाने में सक्षम होना

कुशल नेतृत्व में पारंगत व्यक्ति ‘कांटों में भी राह’ निकालने में सक्षम होता है। उसका यही गुण उसे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाता है और उसके निर्णयों से संस्था को लाभ मिलता है।

• समय प्रबंधन में सक्षम होना

कुशल नेतृत्व से व्यक्ति समय प्रबंधन को जीवन में विशेष महत्त्व देता है क्योंकि समय के महत्त्व को वह समझता है जो उसके कैरियर का एक अंग होता है।

• सकारात्मक सोच होना

कुशल नेतृत्व से व्यक्ति की सोच एवं चिंतन सकारात्मक हो जाती है क्योंकि वह सफलता पाने के हर पहलू से परिचित हो जाता है।

• जोश और जुनून का जज्बा बने रहना

नेतृत्व में दक्ष व्यक्ति में जोश और सफलता के लिए जुनून का जज्बा बना रहता है क्योंकि वह सभी परिस्थितियों में संघर्ष के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहता है।

इस तरह कुशल नेतृत्व सफलता की कुंजी है, खास तौर पर आज के वैश्वीकरण, भूमण्डलीकरण, उदारीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के दौर में इसका महत्त्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। कुशल नेतृत्व आज की अहम् जरूरत है। बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जब भी नेतृत्व हेतु मौका मिले उसे नहीं छोड़ना चाहिए जो भविष्य और कैरियर के लिए जरूरी है। साथ ही, कुशल नेतृत्व कर वह अपनी टीम को सफलता के आयामों तक पहुंचा सकता है।

○○○

इतिहास के पन्नों से

विजया बैंक – आपका भरोसेमंद साथी

भारतीय बैंकिंग की अपनी एक गौरवशाली परंपरा रही है जो हम बैंकों के ऐतिहासिक सफर के दौरान स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। अपने पाठकों को देश के प्रमुख बैंकों की जीवनगाथा से परिचित कराने की जो शृंखला हमने प्रारंभ की है उसमें हमें काफी कुछ समानताएं देखने को मिली हैं। अमूमन हर बैंक चाहे वह देश के उत्तरी भाग में जन्मा हो या सुदूर दक्षिणी छोर पर, हरेक की स्थापना के लिए देश की तत्कालीन स्थानीय आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियां कारणभूत रही हैं। दासता की जंजीरों में जकड़े देश में जब नवचेतना का उदय हुआ और समाज के लोग पढ़-लिखकर जागरूक बने तो उनका ध्यान अपने आस-पास फैली गरीबी व दरिद्रता की ओर गया और उनके मन में उस बंधन से समाज को मुक्त कराने की चाह बलवती हुई। 'सोने की चिड़िया' कहे जाने वाले देश की आर्थिक दुर्दशा को दूर करना ऐसे शिक्षित समाज की प्राथमिकता बन गया और शायद इसी सोच ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान



प्रस्तुतीकरण – सावित्री सिंह

उप महाप्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई



संस्थापक शाखा

देश के अलग-अलग हिस्सों में वित्तीय संस्थाओं के गठन को प्रेरित किया। इन संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य रहता था स्थान और वर्ग विशेष की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करना ताकि व्यवसायगत अड़चनों पर विजय पाई जा सके और अंततः एक सुदृढ़ एवं मजबूत समाज का निर्माण किया जा सके। हमने अब तक जितने भी बैंकों की जीवनगाथा देखी लगभग सभी की स्थापना के पीछे यही प्रयोजन काम करता नजर आया। आइए इस बार आपको ले चलते हैं एक ऐसे बैंक के ऐतिहासिक सफर पर जिसका जन्म भी समाज कल्याण व उन्नति की परोपकारी भावना के चलते हुआ था। अपनी स्थापना से ही गरीबी व आर्थिक विपन्नता जैसे समाज की प्रगति में बाधक बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेने का ध्येय लेकर चलनेवाले इस बैंक के संस्थापकों ने इसका नाम ही रख दिया 'विजया बैंक'। सुनिए विजया बैंक की कहानी उसी की जुबानी.....

.....मैं हूँ विजया बैंक, आपका भरोसेमंद साथी। जी हां, आपको प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए कटिबद्ध इस साथी पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। आप मेरा अब तक का रिकार्ड देख सकते हैं जिसमें आपको मेरी निरन्तर प्रगति नजर आएगी। अपने अब तक के सफर में मैं अपने संस्थापकों के मूलमंत्र का पालन करता आया हूँ और

शायद यही वजह रही है कि वक्त के थपेड़ों के साथ-साथ मैं और भी मजबूती हासिल करता गया तथा अपने ग्राहकों के भरोसे को टूटने नहीं दिया।

प्रथम विश्वयुद्ध की विभीषिका के बाद जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आ गई तब गुलाम भारत कैसे उससे अछूता रह सकता था। एक ओर अंग्रेजों की यह मंशा कि हमारे उद्योग-धंधों को पनपने न दिया जाए और दूसरी ओर पूरी दुनिया के बाजारों पर छाई मंदी ने हमारे घरेलू रोजगार पर घातक प्रभाव डाला। छोटे व्यवसायी आर्थिक तंगी के शिकार होकर रह गए, हमारी कृषि भी जरूरी साधनों के अभाव में दम तोड़ने लगी। हां, ऐसे में साहूकारों एवं महाजनों की बन आई जो उधार देकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का खून चूसने लगे। यह वह समय था जब देश के दक्षिणी राज्यों के शिक्षित लोग क्रांतिकारी विचार लेकर सामने आए और समाज के जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जगह-जगह संयुक्त पूंजी बैंकों का गठन किया जाने लगा। समाज में चली इसी लहर में मेरा भी जन्म हुआ।

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड जिले के बंट समुदाय की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ मेरे संस्थापक श्री ए.बी. शेट्टी ने सबसे पहले 1930 में प्रयास आरंभ किए।

तत्कालीन बंट समुदाय में 60 प्रतिशत से अधिक लोग किसान थे और उनकी रोजी-रोटी का जरिया खेती ही हुआ करती थी। ये सभी 'जमींदार' कहलाते थे जो समाज का एक रसूखदार तबका हुआ करता था। लेकिन समय की मार ने इनमें से अधिकांश को साहूकारों के चंगुल में फंसा दिया था और वे कर्ज के बोझ से दबे जा रहे थे। उनकी

इस शोचनीय स्थिति ने श्री शेट्टी को विचलित कर दिया और उन्होंने अपने बंट समुदाय के लोगों की मदद करने का बीड़ा उठा लिया। इसके लिए उन्होंने एक बैंक की स्थापना करने



श्री ए बी शेट्टी

के संकल्प के साथ अपने जैसे मजबूत इरादोंवाले 13 अन्य प्रबुद्ध व्यक्तियों को साथ लिया। इस तरह से आठ जमींदार, पांच वकील एवं एक डाक्टर की टीम ने मुझे आकार प्रदान करने में प्रमुख भूमिका निभाई जो आगे चलकर मेरे संस्थापक निदेशक कहलाए।

आखिरकार 23 अक्टूबर 1931 का वह पावन दिन भी आ पहुंचा जब ठीक विजया दशमी के दिन "विजया बैंक लिमिटेड" के रूप में मुझे आकार प्रदान किया गया। मैंने मंगलूर स्थित बंट छात्रावास के सामने के एक निजी घर से काम करना आरंभ किया।

मेरे सभी संस्थापक निदेशक कृषक पृष्ठभूमि से आते थे अतः किसानों को उनकी दयनीय स्थिति से बाहर निकालने का उनका संकल्प दृढ़ था। 'विजया बैंक' के रूप में मेरे नामकरण के पीछे भी शायद उनकी मंशा यही थी कि बंट समुदाय, खासकर समुदाय के किसानों, की आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने पर विजय हासिल की जा सके और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सभी ने हरसंभव योगदान दिया।

हम सभी यह जानते ही हैं कि किसी भी बैंक को चलाने के लिए पहले आधारभूत पूंजी जुटानी पड़ती है। मेरे संस्थापकों को भी मेरे अस्तित्व को साकार करने और मेरा कारोबार आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त शुरुआती पूंजी जुटानी पड़ी जिसे उन सभी ने अपनी जी-तोड़ मेहनत एवं निजी अंशदान से संभव कर दिखाया। आखिरकार 2 मई 1931 का वह दिन भी आ पहुंचा जब मंगलूर में मेरा पंजीकरण किया गया और इस विधिक अपेक्षा को पूरा करने के बाद अन्य औपचारिकताओं को पूरा करते हुए मैंने 23 अक्टूबर 1931 से सही मायने में बैंकिंग कारोबार आरंभ कर दिया। किसानों के हितों के पोषक मेरे संस्थापक सही समय पर एवं सही ब्याज दर पर किसानों को कर्ज उपलब्ध कराने में विश्वास रखते थे जो मेरे कारोबार का अभिन्न अंग बन गया।

मैंने 1931 में 50 लाख रुपये की प्राधिकृत पूंजी एवं 2 लाख रुपये की निगमित पूंजी के साथ कारोबार आरंभ किया। कृषक वर्ग के कल्याणार्थ कार्य करने की सोच के साथ शुरुआती कारोबार को जमाने में मुझे दो-तीन वर्ष का समय लग गया

और आखिरकार 1934 में मैं इस स्थिति में पहुंच गया कि अपने शेयरधारकों को 6 प्रतिशत का लाभांश दे सकूँ। स्थापना के 8 वर्षों में मेरी प्रदत्त पूंजी 8670 रुपये से बढ़कर 36 हजार रुपये हो गई और अगले 4 वर्षों तक मैं 5 से 7 प्रतिशत तक लाभांश देने की स्थिति में पहुंच गया।

अपने गृहनगर से बाहर मैंने सबसे पहले 1936 में उडुपि में अपनी पहली शाखा खोली और आने वाले वर्षों में यह प्रयास सतत जारी रहा। 1939 के आते-आते पूरे दक्षिण कन्नड जिले में मेरी 5 शाखाएं खुल चुकी थीं। 1942 तक मेरी प्रदत्त पूंजी 1.00 लाख रुपये हो गयी।

मेरी इस यात्रा में एक अहम पड़ाव तब आया जब 1963 में श्री मुल्की सुंदर राम शेटी ने मेरी बागडोर संभाली। कहते हैं कि यदि सही व्यक्ति के हाथों में नेतृत्व हो तो वह पत्थर को भी तराशकर हीरे का आकार प्रदान कर सकता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ जब श्री सुंदर राम शेटी जैसा व्यक्तित्व मेरे अध्यक्ष के पद पर



आधुनिक विजया बैंक के निर्माता श्री मुल्की सुंदर राम शेटी

मेरे अध्यक्ष के पद पर विराजमान हुआ। उनके कुशल नेतृत्व में मैंने 1979 तक लगातार 17 वर्षों के दौरान सफलता का आस्वाद अनुभव किया। मैं आपको बताऊँ आज भी मेरे परिवारजन श्री सुंदर राम शेटी के काल को 'स्वर्णयुग' की संज्ञा से अभिहित करते हैं तथा श्री शेटी को 'आधुनिक विजया बैंक के प्रमुख निर्माता' के नाम से पुकारते हैं। उन्होंने 1962 से लेकर 1969 तक ऑनरेरी अंशकालिक अध्यक्ष और उसके बाद 1979 तक पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में मुझे संकट से उबारने, संवारने और निखारने में अपनी पूरी ताकत लगा दी।

अपने तारणहार की छत्रछाया में मैंने प्रगति एवं विकास का ऐसा स्वाद चखा जो मैं कभी विस्मरण नहीं कर सकता। आप जानते हैं जब श्री सुंदर राम शेटी ने मेरा कार्यभार संभाला

तब मैं 21 शाखाओं तक सिमटा हुआ था लेकिन उनकी प्रेरणा एवं प्रगतिशील विचारों से मेरा दायरा 571 शाखाओं तक फैल गया। इस दौरान मेरे पास जो जमाराशि थी वह भी 1.80 करोड़ रुपये से बढ़कर 396 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। श्री शेटी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा सम्मोहक था कि वे कारोबारियों एवं औद्योगिक संस्थानों को सहज ही मेरी ओर मोड़ लेने में कामयाब हो जाते थे।

मेरे अब तक के बैंकिंग सफर में वर्ष 1969 एक मील का पत्थर है। इसी वर्ष मेरी शतकीय शाखा ने कार्य करना आरंभ किया और मैं मंगलूर से बेंगलूर स्थित अपने नए प्रधान कार्यालय भवन में आ गया। गौरतलब है कि यह वही वर्ष था जब सरकार ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की जमाराशि वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया।

मेरे लिए 70 का दशक भी प्रगति के लिहाज से अच्छा फलदायक रहा। 1971 में मुझे विदेशी विनिमय कारोबार में उतरने का मौका मिला और देश के सात केंद्रों से मैंने यह सेवा आरंभ की। वर्ष 1976 में एक ही दिन खोली गई 27 नई शाखाओं के साथ मैंने 18 राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपने इस स्वर्णिम दौर में मैंने 1963 से 1967 के बीच छोटे-छोटे 9 बैंकों का अपने में विलय कर लिया। इस प्रक्रिया के दौरान मुझे अन्य बैंकों के साथ-साथ डाक बचत तथा बीमा कंपनियों से होनेवाली प्रतिस्पर्धा से भी दो-चार होना पड़ा।

कारोबारी सफलता के साथ-साथ अपने स्टाफ-सदस्यों के कार्य कौशल को निखारना भी मेरा फर्ज बनता है। इसे ध्यान में रखते हुए मेरे निदेशक मंडल ने एक प्रशिक्षण संस्थान के गठन का निर्णय लिया और अक्टूबर 1970 से



बेंगलूर स्थित प्रधान कार्यालय भवन

बेंगलूर स्थित स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान ने कार्य करना आरंभ कर दिया। अपने मजबूत इरादों वाले व संस्था के प्रति गहरी निष्ठा रखनेवाले कार्यबल के भरोसे पर ही मैंने देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपनी शाखाएं ऐसे समय खोलीं जब वहां आतंकवाद अपने चरम पर था और उस क्षेत्र के बैंक भी ऐसे आतंकग्रस्त इलाकों में जाने से कतराते थे। लेकिन मैंने न केवल वहां कारोबार आरंभ किया बल्कि उसमें सफलता भी अर्जित की।

फिर आया 15 अप्रैल 1980 का वह दिन जब मुझे निजी क्षेत्र के पांच बड़े बैंकों के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। उस वक्त पूरे देश में मेरी 571 शाखाएं कार्य कर रही थीं और मेरी कुल जमाराशि 390.44 करोड़ रुपये थी तथा अग्रिम 215.15 करोड़ रुपये था। इस श्रेणी में शामिल होने के बाद सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं में सहायता प्रदान करना तथा निर्दिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना मेरी प्राथमिकता में शामिल हो गया और मैंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सक्रिय भूमिका निभानी आरंभ कर दी।

राष्ट्रीयकरण के ठीक अगले वर्ष अर्थात् 1981 में मैंने अपनी स्थापना के स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश किया। इसके साथ ही प्रगति पथ पर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए मैंने दिसंबर 1985 में अपनी जमाराशियों को 1000 करोड़ रुपये के पार पहुंचा दिया जो 1989 के आते-आते दुगुनी होकर 2000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इस दौरान मैंने 1986 में 2 करोड़ 66 लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया जो 55 वर्षों के मेरे सफर का सर्वाधिक लाभार्जन था। बदलते समय की मांग के अनुरूप मैं नई तकनीकों को अपनाने से भी पीछे नहीं हटा हूं। देश के दक्षिणी क्षेत्र में एटीएम की स्थापना करने में मैं अग्रणी रहा हूं। वर्ष 2005 तक मेरी समस्त शाखाएं कंप्यूटरीकृत हो चुकी थीं और मैंने 50,000 करोड़ रुपये के कारोबारी लक्ष्य को हासिल कर लिया था। वर्ष 2009 में मैंने सीबीएस को अंगीकृत कर लिया और अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता को संवर्धित करते हुए मोबाइल बैंकिंग सेवा का श्रीगणेश किया। वर्ष 2010 से मैं अपने ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट की सुविधा भी प्रदान कर रहा हूं।

मेरी उपलब्धियों के लिए विभिन्न मंचों पर मुझे पुरस्कृत भी किया गया है। जहां तक राजभाषा का संबंध है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेरी गृहपत्रिका 'विजया विकास' को तीन बार पुरस्कृत

करने के साथ ही मुझे रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड से भी नवाज़ा है। इस क्षेत्र में मेरी स्वर्णिम उपलब्धि थी वर्ष 2006-07 में इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार जीतना।

मैं अपने आपको अत्यंत गौरवशाली महसूस करता हूं जब मैं यह देखता हूं कि खेल जगत में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ प्रमुख खिलाड़ी मेरे अपने परिवार से आते हैं। इनमें मैं विशेष रूप से क्रिकेट से जुड़े दो नामचीन खिलाड़ियों - श्री अनिल कुम्बले एवं श्री जावागल श्रीनाथ, एथलीट सुश्री अश्विनी नाचप्पा तथा कबड्डी खिलाड़ी श्री सी. होनप्पा का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने न केवल मेरा अपितु हमारे देश का नाम रोशन किया है।

आपने यदि मेरे 'लोगो' पर गौर किया होगा तो आप यह जान ही चुके होंगे कि मैं अपने ग्राहकों की सेवा के लिए स्वागत की मुद्रा में सदैव तत्पर रहता हूं। मेरा मकसद है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के सहारे पेशेवर बैंकिंग सेवाओं और सतत वृद्धि के साथ ग्राहकों की अभिलाषाएं पूरी करते हुए एक प्रमुख राष्ट्रीय बैंक के रूप में उभरना और राष्ट्रीय विकास में पूरक बनना। अपने इस मिशन को पूरा करने में मैं अपने परिवार के सदस्यों की कर्तव्यनिष्ठा, लगन एवं प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। किसी ने ठीक ही कहा है - मुश्किलें सदैव हारती हैं और संघर्ष करनेवाले जीतते हैं। अस्तु, मैं इतना ही कहूंगा-

अभी ना पूछो हमसे कि मंज़िल है कहां,
अभी तो हमने चलने का इरादा किया है,
ना हारे हैं ना हारेंगे कभी क्योंकि,
किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही वादा किया है।

शेष फिर कभी.....

आपका,



विजया बैंक



मराठी लेखिका वंदना धर्माधिकारी लिखित मूल मराठी पुस्तक 'मैत्री बैंकिंगशी' का हिंदी अनुवाद 'मित्रता बैंकिंग से' भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। लेखिका का यह मानना है कि बिना सोचे समझे आर्थिक लेन-देन करना खतरे से खाली नहीं, इसलिए आम आदमी को बैंकिंग की जान-पहचान कराना ज़रूरी है। इस उद्देश्य से कि हिंदी के माध्यम से इसे व्यापक स्तर पर ले जाना संभव हो सकता है; डॉ. अंशुमती दुनाखे की सहायता से लेखिका ने मूल मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद पाठकों को उपलब्ध कराया है।

वित्तीय समावेशन की अहमियत को देखते हुए आम जनता को बैंकिंग से परिचित कराना और बैंकिंग से दूर रही जनता को बैंक के खातेदार के रूप में बैंकिंग परिवार में शामिल कराना एक चुनौती-भरा काम है और इस दिशा में किए जा रहे विभिन्न प्रयासों में आम बोलचाल की भाषा में बैंकिंग का परिचय कराने वाले लेख, पुस्तकें, प्रदर्शनियां आदि अहम भूमिका निभाती हैं। वित्तीय साक्षरता के उद्देश्य से वंदना धर्माधिकारी द्वारा लिखित 'मित्रता बैंकिंग से' पुस्तक इस दृष्टि से अपनी भूमिका बखूबी निभाती है।

बैंकिंग जैसे क्लिष्ट और तकनीकी विषय को लेखिका ने छोटे-छोटे अध्यायों में समुचित शीर्षक देकर विभाजित किया है। 'भारतीय करेन्सी - रुपया' में भारतीय सिक्कों के उद्गम से लेकर आज के अलग-अलग मूल्यवर्ग के नोटों की विशेषताओं, जैसे - आकार, रंग, उभरे हुए चिह्न आदि सहित नोटों की सुरक्षा विशेषताओं तक की विस्तृत जानकारी रोचक ढंग से दी गई है।



छाया राजे

सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

पुस्तक समीक्षा

मित्रता बैंकिंग से

लेखिका : वंदना धर्माधिकारी

हिंदी संस्करण सहायक : डॉ. अंशुमती दुनाखे

प्रकाशक - सकाळ प्रकाशन प्रथम संस्करण - मई 2014

मूल्य : ₹ 240

पृष्ठ संख्या - 200

'बैंक निक्षेप' में लेखिका ने बैंक में पैसा जमा कराने के लाभ, बैंक की आस्तियों-देयताओं और उनके प्रबंधन, बैंक और ग्राहक के बीच के रिश्ते के विविध पहलू, बैंक खातों के प्रकार, खातों की विशेषताओं तथा जीवन में कामयाबी हासिल करने में बचत के महत्त्व को उजागर किया है।

'प्लास्टिक कार्ड' में एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि की जानकारी के साथ-साथ कार्ड क्लोनिंग की भी जानकारी देकर लेखिका प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले सुरक्षा उपायों के अध्ययन की आवश्यकता के बारे में पाठकों को आगाह करने से भी नहीं चूकती। 'इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग' में एनईएफटी, आरटीजीएस के साथ-साथ तार अंतरण, डाक अंतरण जैसे पुराने पारंपरिक धनप्रेषण सुविधाओं का भी लेखिका ने परिचय कराया है। 'इंटरनेट बैंकिंग' में बैंकों द्वारा दी जा रही प्रौद्योगिकीगत सुविधाओं की जानकारी दी गई है। इंटरनेट की सुविधा से बैंकों के खातों के परिचालन तथा घर बैठे बैंकिंग व्यवहार करने के चमत्कार से भी लेखिका ने आम आदमी को परिचित कराया है।

'अनिवासी भारतीय' में फेमा, फेरा, एनआरई खाते, एनआरओ खाते, एफसीएनआर खाते के बारे में जानकारी दी गई है। इस विषय पर आसान भाषा और सीधी-सादी शैली में लिखकर लेखिका ने वित्तीय साक्षरता के दायरे को व्यापक परिमाण दिया है।

बैंकिंग के साथ-साथ लेखिका ने 'लोक भविष्य निधि' जैसी सरकारी योजना की महत्त्वपूर्ण तथा उपयुक्त जानकारी का भी अपनी पुस्तक में समावेश किया है। धननिवेश और उस पर

अधिकतम लाभ पाने की दृष्टि से सुरक्षित बचत के तौर पर आम जनता को लोक भविष्य निधि के फायदेमंद विकल्प की जानकारी देना लेखिका ने इसलिए भी ज़रूरी समझा होगा कि आयकरदाताओं के लिए कर में छूट पाने का यह एक बढ़िया विकल्प है। लोक भविष्य निधि खाता खुलवाने के लिए आवश्यक जानकारी के साथ-साथ लेखिका ने सोदाहरण यह स्पष्ट किया है कि इस खाते में नियमित रुपये जमा कराने से सेवानिवृत्ति के बाद यह खाता पेंशन की तरह कैसे आय का उत्तम साधन बन सकता है।

निवेश संबंधी जानकारी में भारतीय जनमानस का ध्यान रखते हुए स्वर्ण की शुद्धता, स्वर्ण की खरीद, उसकी जमानत पर ऋण की उपलब्धता, स्वर्ण निवेश से लेकर अत्याधुनिक स्वर्ण खरीद अर्थात् गोल्ड ईटीएफ यूनिट तक से पाठकों को अवगत कराया गया है। साथ ही, इस अध्याय के अंत में स्वर्ण आयात से देश की अर्थव्यवस्था पर होने वाले बुरे असर की ओर इंगित करते हुए लेखिका ने कम-से-कम दो वर्ष स्वर्ण न खरीदने का आह्वान पाठकों से किया है।

विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं के बारे में जानकारी देते समय लेखिका ने सेफ कस्टडी, सेफ डिपॉज़िट वॉल्ट, लॉकर जैसी सेवाओं के बारे में भी लिखा है, जिनके उपयोग से बहुमूल्य वस्तुएं, गहने, महत्वपूर्ण कागज़ात आदि बैंक के पास सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इन सुविधाओं का लाभ उठाते समय उनके परिचालन की जानकारी, नामांकन की सुविधा आदि बारीकियों की भी जानकारी मिलती है। बैंक के सभी खातों पर उपलब्ध नामांकन सुविधा के बारे में एक अलग अध्याय में विस्तृत जानकारी देते हुए लेखिका ने इच्छापत्र (Will) की आवश्यकता तथा तत्संबंधी बारीकियों से भी पाठकों को अवगत कराया है।

‘वित्तीय समावेशन’ अध्याय में प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वसहायता समूह, सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म वित्त संस्था आदि जैसी ग्रामीण विकास में सहायक योजनाओं की जानकारी दी है। ‘ऋण’ अध्याय के तहत ओवरड्राफ्ट, वैयक्तिक ऋण, पेंशन पर उपलब्ध ऋण, वाहन ऋण, उपभोक्ता ऋण, अल्पावधि ओवरड्राफ्ट, स्वर्ण ऋण, आवास ऋण आदि की जानकारी, ब्याज दरों, किस्तों, चुकौती आदि के बारे

में विस्तार से समझाया है। युवा पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षार्थ ऋण की जानकारी भी एक अलग अध्याय में दी गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए बैंकों से मिलने वाली सहायता, कृषि वित्त सहायता संबंधी जानकारी तथा स्वयं सहायता बचत दलों की सहायता करनेवाली संस्थाओं की भी संक्षेप में जानकारी दी है। बैंकिंग लोकपाल योजना तथा सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली संबंधी जानकारी भी उपयुक्त है। अंत में कतिपय बैंकिंग संक्षेपों की सूची न केवल उनका पूर्ण रूप तथा हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करती है बल्कि आवश्यकतानुसार उनका स्पष्टीकरण अथवा उससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी भी इसमें मिलती है। लेखिका ने सभी अध्यायों में अधिक से अधिक जानकारी सोदाहरण देकर विषय को सरल बनाने की पूरी कोशिश की है।

बैंकिंग संबंधी विषयों पर अंग्रेजी में लिखी कई पुस्तकें उपलब्ध हैं परंतु अंग्रेजी न जानने वाले पाठकों के लिए हिंदी अथवा स्थानीय भाषाओं में लिखी पुस्तकों की कमी है। इस अभाव को कुछ हद तक ‘मित्रता बैंकिंग से’ निःसंदेह पूरा करती है। यह पुस्तक केवल बैंकिंग से ही मित्रता नहीं कराती, वित्तीय साक्षरता के अपने व्यापक उद्देश्य की दृष्टि से बैंकिंग के साथ-साथ उन सभी सरकारी योजनाओं-सुविधाओं से भी मित्रता कराती है जो आम आदमी को अपने तथा समाज के विकास हेतु मददगार हैं।

पुस्तक में भाषा संबंधी कई त्रुटियां हैं और वाक्यविन्यास पर भी कई जगह मराठी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। एकाध स्थान पर लेखिका ने अपने ही किसी अन्य प्रकाशन का जिक्र करते हुए पाठकों को उसे पढ़ने की सलाह दी है, जो साहित्यिक संकेतों के अनुसार अखरता है। इसे आसानी से टाला जा सकता था। ‘मनोगत’, ‘मुदत ठेव’ (Term deposit), ‘मुलाखत’, ‘स्थानिक’, ‘आनंदी’, ‘सुवर्ण’ जैसे कुछेक मराठी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है परंतु सरल और रोचक शैली में विषय को पाठकों तक पहुँचाने के लेखिका के प्रयास बेजोड़ हैं।

○○○



घूमता आईना

श्री एस.एस. मूंदड़ा भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर बने

भारत सरकार ने श्री एस.एस. मूंदड़ा को भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। रिज़र्व बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री मूंदड़ा देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। श्री मूंदड़ा ने अपना कैरियर बैंक ऑफ बड़ौदा में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में शुरू किया था। अपने 37 वर्ष के बैंकिंग कैरियर के दौरान उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया है जिनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक और बैंक ऑफ बड़ौदा के यूरोपीय परिचालन का प्रधान बनना प्रमुख है। श्री मूंदड़ा सीसीआईएल, सीडीएसएल, बैंक ऑफ बड़ौदा आस्ति प्रबंधन कंपनी, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कॉर्पोरेशन (यूके) लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड जैसी हाई-टेक संस्थाओं के बोर्ड पर रहे हैं।



के.सी. मालपानी

प्रबंधक

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) – कैसे खुलवाएं खाता

समाज के हर वर्ग तक वित्तीय सेवाओं एवं विकास के लाभों को पहुंचाने तथा व्यापक वित्तीय समावेशन का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से सरकार ने 28 अगस्त 2014 को 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' की शुरुआत की। दो चरणों वाली इस योजना का पहला चरण 15 अगस्त से 14 अगस्त 2015 तक चलेगा और इस दौरान बैंकिंग सुविधाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। बैंकों से इस योजना के तहत 26 जनवरी 2015 तक 7.5 करोड़ बैंक खाते खोले जाने का लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है। इस योजना के तहत खोले जाने वाले खाते बेसिक बचत बैंक खाते (जीरो बैलेंस) होंगे तथा हर खाते के साथ एक 'रूपे डेबिट कार्ड' तथा एक लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलेगा। इन खातों के सफल परिचालन पर इनमें छह महीने बाद पांच हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जा सकेगी। अगर खाता 26 जनवरी 2015 से पहले खुलवाया जाता है तो खातेदार को 30 हजार रुपये का जीवन बीमा कवर दिए जाने का भी प्रस्ताव है। ओवरड्राफ्ट खातों में चूक कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना का प्रस्ताव है।

सरकार का मानना है कि बैंक खाता खुल जाने के बाद हर परिवार को बैंकिंग और कर्ज की सुविधाएं सुलभ हो जाएंगी और उन्हें साहूकारों के चंगुल से निकलने, आपातकालीन जरूरतों के चलते पैदा होने वाले वित्तीय संकटों से खुद को दूर रखने और तरह-तरह के वित्तीय उत्पादों से लाभान्वित होने का मौका मिलेगा।

कैसे खुलवाएं खाता और इसके लिए कौन से दस्तावेज चाहिए

- इस योजना के तहत उन गरीब परिवारों का खाता ही खोला जाना है, जिस परिवार के किसी भी सदस्य का बैंक में कोई खाता नहीं है।

- उस परिवार का कोई भी सदस्य खाता खुलवाने के लिए अपने पास के किसी भी सरकारी बैंक में संपर्क कर सकता है। उसे खाता खोलने के लिए मिलने वाले फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों का विवरण लिखकर तथा फॉर्म पर अपना फोटो चिपकाकर संबंधित अधिकारी को देना होगा।
- खाता खुलवाने के लिए एक पहचान पत्र की जरूरत होगी। इसके लिए आधार कार्ड या उसका नंबर, मनरेगा जॉब कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या टेलीफोन बिल, सरपंच का लिखा पहचान पत्र और किसी मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र में से कोई भी एक मान्य होगा।
- इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए बैंक जगह-जगह पर कैंप भी लगाने जा रहे हैं। सीधे उस कैंप में जाकर भी खाता खुलवाया जा सकता है लेकिन जरूरी दस्तावेज ले जाना न भूलें।

छोटे व भुगतान बैंकों के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने छोटे बैंकों की स्थापना तथा भुगतान बैंक की स्थापना के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी किया है। छोटे बैंक किसानों व कारोबारियों को कर्ज के तौर पर छोटी रकम मुहैया कराएंगे जबकि भुगतान बैंक जमाओं के संग्रह और धन अंतरण के लिए प्रवासी मजदूरों समेत समाज में हाशिये पर पड़े लोगों से कारोबार हासिल करेगा।

दिशा-निर्देश के मुताबिक ऐसे बैंकों की न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपये होगी जबकि सामान्य वाणिज्यिक बैंकों की न्यूनतम पूंजी 500 करोड़ रुपये होती है। ये बैंक विशेषीकृत बैंक होंगे और इनका मकसद वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना होगा। प्रस्तावित छोटे बैंक आधारभूत बैंकिंग सेवाएं मुहैया कराएंगे, जिनमें जमा स्वीकार करना और कर्ज मुहैया कराना शामिल है। लेकिन इनका परिचालन एक सीमित इलाके में होगा। दूसरी ओर, भुगतान बैंक सीमित सेवाओं की पेशकश करेंगे, मसलन जमा स्वीकार करना और रकम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की सुविधा उपलब्ध कराना परंतु उनका नेटवर्क बड़ा होगा, खास तौर

से दूरदराज के इलाके में ये अपनी शाखाओं के नेटवर्क के या फिर बिजनेस कॉरिसपॉन्डेंट के जरिए या किसी दूसरे की तरफ से उपलब्ध कराए गए नेटवर्क के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मौजूदा नॉन-बैंक प्री पेमेंट लिखत जारी करने वाली एनबीएफसी, कॉरपोरेट बिजनेस कॉरिसपॉन्डेंट, मोबाइल टेलिफोन कंपनियां, सुपर मार्केट चेन, कंपनियां, रियल एस्टेट क्षेत्र की को-ऑपरेटिव और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां भुगतान बैंक की स्थापना के लिए आवेदन कर सकती हैं। बैंकिंग व वित्त में 10 साल का अनुभव रखने वाले देशी नागरिक, कंपनियां व सोसाइटी भी छोटे बैंक की स्थापना के लिए प्रवर्तक के रूप में पात्र होंगी।

एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस संस्थान, लोकल एरिया बैंक भी छोटे बैंक के तौर पर तब्दील होने का विकल्प चुन सकते हैं। स्थानीयता पर जोर और छोटे ग्राहकों को सेवा मुहैया कराने में सक्षमता ऐसे बैंक का लाइसेंस पाने का प्रमुख मानदंड होगा।

सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) पर अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए

पूंजी बाजार विनियामक सेबी ने हाल ही में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) की स्थापना के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद देश में आरईआईटी की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सेबी के इस कदम से नकदी की समस्या से जूझ रही रियल्टी और बुनियादी ढांचा कंपनियों को नकदी हासिल करने में मदद मिलेगी।

क्या है आरईआईटी ?

रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) अचल संपत्ति में निवेश का एक नया तरीका है जो म्यूच्युअल फंड की तरह ही काम करता है। आरईआईटी प्रमुखतया ऐसी अचल संपत्तियों में निवेश करते हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जिनसे आय प्राप्त हो रही है। ट्रस्ट को मिलने वाली आय का मुख्य जरिया इन संपत्तियों के मिलने वाला किराया या संपत्ति से होने वाला पूंजीगत लाभ होता है। ये ट्रस्ट अपनी आय का अधिकांश भाग निवेशकों के बीच वितरित कर देते हैं। कोई रियल एस्टेट डेवलपर या कोई प्राइवेट इक्विटी फंड इनको बना सकता है।

इसके लिए उसे ऑफिस बिल्डिंग्स, मॉल्स, वेयरहाउसेज जैसी किराए की आय देने वाली अचल संपत्तियों की पूलिंग कर एक ट्रस्ट बनाना होता है। आरईआईटी से जुड़े विभिन्न पक्षकारों में ट्रस्टी, प्रायोजक, प्रबंधक और प्रधान मूल्य निर्धारक होते हैं। आरईआईटी जहां निवेशकों को निर्माणाधीन परियोजनाओं की तुलना में कम जोखिमपूर्ण निवेश के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही नियमित आय प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर ये प्रायोजकों (जो कि ज्यादातर डेवलपर या प्राइवेट इक्विटी फंड होते हैं) को धन जुटाने का एक अतिरिक्त जरिया भी प्रदान करते हैं। इस तरह मिलने वाले धन का प्रयोग डेवलपर अन्य प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। चूंकि आरईआईटी में किया गया निवेश अचल संपत्ति से समर्थित होता है अतः यह उन खुदरा निवेशकों के लिए भी उपयुक्त है जो प्रॉपर्टी टाइटल्स के पचड़े या दूसरे जोखिम से बचते हुए इस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं।

क्या खास है दिशा-निर्देशों में?

- आरईआईटी की स्थापना एक ट्रस्ट के रूप की जा सकेगी और इनको सेबी के पास पंजीकृत कराना होगा।
- पंजीकरण हो जाने के बाद आरईआईटी को प्रारंभिक निर्गम के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति होगी। हालांकि बाद में अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ), अधिकार निर्गम, अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से भी धन जुटाया जा सकेगा।
- प्रारंभिक निर्गम लाने के लिए आरईआईटी के पास कम से कम 500 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति होने की शर्त लगाई गई है तथा प्रारंभिक निर्गम का आकार कम से कम 250 करोड़ रुपये होना चाहिए।
- आरईआईटी की एक यूनिट एक लाख रुपये की होगी। आरईआईटी के यूनिटों के लिए न्यूनतम अभिदान राशि 2 लाख रुपये रखी गई तथा कम से कम 25 प्रतिशत यूनिटों को जनता को अभिदान के लिए जारी करना होगा।
- इक्विटी शेयरों के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम की तरह ही आरईआईटी को भी अपने यूनिटों की स्टाक एक्सचेंज पर अनिवार्य रूप से लिस्टिंग करानी होगी।

- आरईआईटी को निरंतर आय मिलती रहे इस बात को ध्यान में रखकर सेबी ने आरईआईटी के लिए रेडी पजेशन प्रोजेक्ट या 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट में ही निवेश करने की शर्त लगाई है।
- आरईआईटी को वाणिज्यिक अचल संपत्तियों में ही सीधे अथवा किसी विशिष्ट प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के जरिए निवेश की अनुमति होगी। तथापि, ऐसे एसपीवी की इक्विटी का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा आरईआईटी के पास होना चाहिए।
- आरईआईटी को वार्षिक आधार पर मूल्य निर्धारक से पूर्ण मूल्यांकन कराना होगा तथा इसे हर छह माह में अपडेट करना होगा। ऐसे मूल्यांकन/अपडेशन से 15 दिनों के भीतर एनएवी घोषित करनी होगी। आरईआईटी को अपनी आय का 90 फीसदी निवेशकों को वितरित करने की शर्त भी लगाई गई है।
- यद्यपि, सेबी ने अपने परामर्शी पत्र में बताया था कि आरईआईटी में कोई भी निवेश कर सकेगा। तथापि, शुरुआती तौर पर उच्च मालियत वाले निवेशकों (एचएनआई) और संस्थागत निवेशकों को ही निवेश की अनुमति दी गई है।
- शुरुआत में सभी आरईआईटी योजनाएं क्लोज एंडेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्कीमें होंगी जो अचल संपत्तियों में निवेश करेंगी तथा इनका उद्देश्य यूनिट धारकों को लाभ (रिटर्न) देना होगा।

व्यय प्रबंधन आयोग का गठन

सरकारी खर्चों का प्रबंधन करने और सब्सिडी में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा व्यय प्रबंधन आयोग का गठन किया गया है। यह आयोग खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जा रही सब्सिडी घटाने और राजकोषीय घाटा कम करने के उपाय सुझाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. बिमल जालान को इसका अध्यक्ष बनाया गया है जबकि पूर्व वित्त सचिव सुमित बोस को आयोग का पूर्णकालिक सदस्य और रिज़र्व बैंक के पूर्व उप गवर्नर सूबीर गोकर्ण को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अतिरिक्त सचिव इसके पदेन

अतिरिक्त सचिव होंगे और वित्त या व्यय विभाग में अनुभव वाले एक वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे।

इस आयोग से अपेक्षा की गई है कि वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश किए जाने के पहले वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट तथा वर्ष 2016-17 के बजट के पहले अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दे। उल्लेखनीय है कि वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में एक ऐसे आयोग की स्थापना की घोषणा की थी जो सरकार की व्यय सुधार संबंधी पहलों के विभिन्न आयामों पर विचार करेगा।

कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई को दी मंजूरी

आर्थिक सुधारों की दिशा में अहम कदम उठाते हुए कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा को 26 से बढ़ाकर 49 फीसदी करने को मंजूरी दे दी है। शर्त यह है कि कंपनी प्रबंधन का नियंत्रण भारतीय प्रमोटर्स के हाथों में ही रहेगा। बीमा में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव 2008 से अटका पड़ा था। अब सरकार के इस फैसले से बीमा क्षेत्र में करीब 25 हजार करोड़ रुपये का विदेशी निवेश होने का अनुमान है। एफडीआई की सीमा 49 फीसदी करने के लिए बीमा कंपनियों को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी लेनी होगी। यानि यह ऑटोमैटिक रूट के जरिए नहीं होगा। ऑटोमैटिक रूट में किसी भी प्रस्ताव को रिज़र्व बैंक अपने स्तर पर मंजूरी देता है। देश में इस वक्त भारतीय जीवन बीमा निगम के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की चार कंपनियां हैं। भारत में बीमा कारोबार करीब 35 हजार करोड़ रुपये का है और इसमें 52 सरकारी व निजी कंपनियां हैं।

एटीएम के बार-बार प्रयोग पर देना होगा शुल्क

रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 2014 से छह महानगरों अर्थात मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, बेंगलूर और हैदराबाद में एटीएम के निःशुल्क इस्तेमाल को सीमित करने का फैसला किया है। अभी तक दूसरे बैंकों के एटीएम पर हर महीने में पांच बार लेन-देन निःशुल्क करने की अनुमति थी लेकिन अब यह संख्या घटाकर तीन कर दी गई है। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय लेन-देन, अर्थात आप चाहे रुपये निकालें या केवल खाते की जानकारी लें, सभी शामिल हैं।

अब अपने ही बैंक के एटीएम पर भी महीने में पांच बार लेन-देन निःशुल्क करने की अनुमति होगी अर्थात तय संख्या से अधिक एटीएम का इस्तेमाल करने पर बैंकों को 20 रुपये प्रति लेन-देन शुल्क वसूल करने की अनुमति होगी।

हालांकि, रिज़र्व बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि नई व्यवस्था छोटे, नो-फ्रिल और बेसिक बचत खाताधारकों पर लागू नहीं होगी। साथ ही, देश के छह महानगरों के अलावा दूसरे शहरों में भी नई व्यवस्था लागू नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार देश भर में कुल 1.6 लाख एटीएम थे।

एसबीआई ने एप का हिंदी संस्करण उतारा

भारतीय स्टेट बैंक ने अपने मोबाइल एप्लीकेशन स्टेट बैंक एनीवेयर का हिंदी संस्करण पेश किया है। स्टेट बैंक एनीवेयर का अंग्रेजी संस्करण इस वर्ष मार्च में पेश किया गया था, जिसे काफी उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली थी। इसके जरिए ग्राहक अपने खातों के बारे में चार प्रकार की जानकारी मसलन लेन-देन, जमा, ऋण और पीपीएफ के अलावा खाते की विस्तृत जानकारी और अंतिम 10 ट्रांजेक्शन सहित मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक बैंक के अंदर व बाहर धन का अंतरण भी कर सकते हैं। इसमें नेफ्ट, क्रेडिट कार्ड (वीजा) भुगतान, आईएमपीएस ट्रांसफर, सावधि व आवर्ती जमा आदि शामिल हैं। ग्राहक अपने मोबाइल या डीटीएच सेवाओं को भी इसके जरिए रिचार्ज कर सकेंगे।

फोर्ब्स की सूची में भारत की पांच कंपनियां

इस बार हिंदुस्तान यूनिलीवर और टीसीएस समेत पांच भारतीय कंपनियां फोर्ब्स मैगजीन की विश्व की 100 सबसे अधिक नव-प्रवर्तनशील कंपनियों की सूची में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। इस सूची में उन कंपनियों को शामिल किया गया है जिसके लिए निवेशकों को लगता है कि वे ज्यादा कारोबार करेंगी और वृद्धि संबंधी नए विचार लेकर आएंगी।

इस सूची में सबसे ऊपर लगातार चौथे साल कैलिफॉर्निया की वैश्विक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी सेल्सफोर्स रही है। इस सूची में दर्ज होने वाली पांच भारतीय कंपनियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर 14वें स्थान पर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 57वें पर, निर्माण सेवा

कंपनी लार्सन एंड टूब्रो 58वें पर, प्रमुख फार्मा कंपनी सन फार्मा 65वें पर और बजाज ऑटो 96वें स्थान पर शामिल हैं।

पहली तिमाही में वृद्धि दर 5.7 फीसदी रही

खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर उछलकर 5.7 प्रतिशत पर पहुंच गई। पिछले ढाई साल में यह सर्वाधिक है। इससे पहले जनवरी-मार्च 2014 तिमाही में सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत और एक साल पहले अप्रैल-जून तिमाही में 4.7 प्रतिशत रही थी।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी पहली तिमाही के वृद्धि आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि रही जबकि पिछले वर्ष इस क्षेत्र में 1.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। इसी प्रकार अप्रैल-जून 2014 तिमाही में खनन क्षेत्र में 2.1 प्रतिशत वृद्धि रही जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 3.9 प्रतिशत गिरावट रही थी।

चालू वित्त वर्ष के दौरान पहली तिमाही में सबसे अधिक 10.4 प्रतिशत वृद्धि वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में रही। इसके बाद बिजली, गैस और जलापूर्ति क्षेत्र में 10.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।

भारतीय भाषाओं में इंटरनेट डोमेन शुरू

हिंदी समेत देवनागरी लिपि वाली 8 भारतीय भाषाओं के लिए डोमेन नाम लॉन्च किया गया है। अब इंटरनेट पर कोई वेबसाइट अपना नाम देवनागरी लिपि में रखते हुए पीछे .com या .in जैसे डोमेन की जगह .भारत रख सकती है। अब वेबसाइट के नाम देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करने वाली भाषाओं हिंदी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, नेपाली और सिंधी में रखे जा सकते हैं। इस डोमेन के जरिये वेबसाइट सीधे क्षेत्रीय भाषाओं में खुलेगी। शुरू में यह उन कंपनियों के लिए होगा, जिनके पास कॉपीराइट या ट्रेड मार्क है। इसके बाद यह सभी के लिए उपलब्ध होगा।

नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज आफ इंडिया बांग्ला, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, तमिल और गुजराती के लिए भी डोमेन नाम जारी करने की दिशा में काम कर रहा है।

हर साल दोपहिया का बीमा कराने से मिलेगी मुक्ति

बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों (जीआईसी) को दोपहिया वाहनों के मामले में तीन साल के लिए थर्ड पार्टी मोटर कवर जारी करने की अनुमति दी है। मौजूदा व्यवस्था के तहत इसका नवीकरण हर साल कराना पड़ता था। तीन साल के थर्ड पार्टी बीमा कवर से उपभोक्ताओं को तो राहत मिलेगी ही बीमा कंपनियां भी साल-दर-साल के बजाय तीन साल का प्रीमियम एक बार में ले सकेंगी। हालांकि, दुर्घटना के कारण वाहन को नुकसान होने के संदर्भ में (ओन डैमेज के लिए) बीमा का नवीकरण हर साल कराना होगा।

ट्रेसेज क्या है ?

ट्रेसेज (टीडीएस रिकंसाइलेशन एनालिसिस ऐंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम) आयकर विभाग की तरफ से करदाताओं के लिए अपनी वेबसाइट <http://www.tdscpc.gov.in> पर उपलब्ध कराई गई एक यूटिलिटी है। इस यूटिलिटी में टीडीएस की कटौती करने वाले तथा जिन करदाताओं के संबंध में टीडीएस किया गया है, दोनों को चुकता टैक्स ऑनलाइन देखने के अलावा रिटर्न फाइल करने और रिफंड के मकसद से उससे मिलान करने की सहूलियत दी गई है।

जो वैयक्तिक करदाता अपना टीडीएस ट्रेसेज पर देखना चाहते हैं, उनको पैन, ई-मेल और मोबाइल नंबर के साथ यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए ऑनलाइन एकाउंट बनाना होगा। इसमें लॉग-इन करके ऐसे सभी ट्रांजैक्शन, जिनमें टीडीएस काटा गया है, तथा करदाता की ओर से जमा किया गया टैक्स (एडवांस टैक्स सहित) देखा जा सकता है।

इसके अलावा फॉर्म 16/16ए भी ट्रेसेज से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इससे एनुअल टैक्स स्टेटमेंट (फॉर्म 26एएस) भी डाउनलोड किया जा सकता है जिसमें एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट सहित सभी चुकता टैक्स दिखाए जाते हैं।

○○○

लेखकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिंदी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। लेखकों से यह भी अनुरोध है कि वे प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :

1. क. सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है। लेख मौलिक विचारों पर आधारित हो अथवा किसी विचारधारा की मौलिक समीक्षा हो।
 - ख. लेख में किसी सम-सामयिक बैंकिंग समस्या पर प्रतिपक्षात्मक (कॉन्ट्रारियन) विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं बशर्ते प्रतिपक्षात्मक विचारधारा का उद्देश्य आलोचनात्मक न होकर समीक्षात्मक हो या समस्या के बहुपक्षीय आयामों की संभावनाओं से जुड़ा हुआ हो।
 - ग. लेख बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी किसी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल प्रैक्टिस पर आधारित हो ताकि नवोन्मेष (इनोवेशन) को प्रोत्साहन मिले।
 - घ. लेख ऐसी बैंकिंग विचारधारा, व्यवस्था या पद्धति पर आधारित हो, जिससे भारतीय बैंकिंग ग्लोबल स्तर पर स्पर्धात्मक बने।
 - ङ. लेख भारतीय बैंकिंग में अपनाई गई ऐसी सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में हो जिसका अन्य देश अनुकरण कर सकें।
2. लेख में दिए गए तथ्य, आंकड़े अद्यतन हों एवं उनके स्रोत के बारे में स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।
3. क. लेख अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों में हो।
 - ख. वह कागज़ के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित हो।
 - ग. यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया हो और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिए गए हों।
 - घ. लेख यदि संभव हो तो आकृति/यूनिकोड फॉन्ट में rajbhashaco@rbi.org.in और/अथवा ramakantgupta@rbi.org.in नामक ई-मेल आईडी पर भेजने की व्यवस्था की जाए।
4. यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
5. प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि जब तक लेख की अस्वीकृति सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए।

बैंकिंग शब्दावली


वित्तीय क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली एक ऐसा शब्दकोश है जिसमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त हिंदी शब्दों का चयन किया गया है। 288 पृष्ठ वाले इस कोश का मूल्य 80.00 रुपये (डाक व्यय अतिरिक्त) है। इसे प्राप्त करने हेतु निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है:

निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग (बिक्री अनुभाग)

आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

अमर भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001



भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित

नवीनतम हिन्दी पुस्तक

पूँजी पर्याप्तता

एवं

बासेल मानक


मूल्य: 300/- रुपये

पुस्तक मिलने का पता

मै. आधार प्रकाशन प्रा. लि.

एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16

पंचकूला (हरियाणा)



इस अंक के प्रकाशन में राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक प्रबंधक (राजभाषा) डॉ. अनिल चन्द्र और डॉ. मनीषा का सहयोग प्राप्त हुआ।

नेतृत्व शैली

